लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 17—बुधवार, 6 मार्च, 1968/ 16 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 17, Wednesday, March 6, 1968/ Phalguna 16, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
450.	विदेशों में लगाई गई भारतीय पूंजी	Indian Capital Invested Abroad	853-856
452.	इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी भाभा समिति	Bhabha Committee on Electronics	856-858
453.	गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन	Non-Aligned Summit Conference	858-862
454.	अफ्रीका में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन	National Liberation Movement in Africa	862-864

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

451.	गोआ के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की रिहाई	Release of Goa Freedom fighte	865
455.	भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न संगठनों को देय धन	Amount paid by India to UN Organisations	865

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
456.	राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् का पुनर्गठन	Revival of National Integration Council	866
457.	मास्को रेडियो से प्रसारण	Broadcasts from Radio Moscow	866
458.	विमान दुर्घटनायें	Flying Accidents	866-867
459.	जल प्रांगण की सीमा	Limit of Territorial Waters	867
460.	खारे समुद्री जल को पीने योग्य बनाना	Coversion of Saline Sea Water into Potable Water	867
461.	भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों का व्यय	Expenditure on Indian Missions/Consulates	867-868
462.	छावनी अधिनियम के उप-नियम	Bye-laws of Cantonment Act	868-869
463.	पेकिंग में भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Peking	869
464.	ईरान के साथ औद्योगिक सहयोग	Industrial Collaboration with Iran	869
465.	सेना में नये पद	New Ranks in Army	869-870
466.	मद्रास में राष्ट्रीय ध्वज के निरादर की घटना	Disrepect shown to National Flag in Madras	870
467.	परमाणु हथियारों के प्रासर को रोकने की सन्धि के बारे में रूस द्वारा चेतावनी	Warning given by Soviet Union about Non-proliferation Treaty	870-871
468.	कच्छ के तट के साथ भारतीय जल प्रांगण में पाकिस्तानी नावों का अवैध प्रवेश	Entry of Pak. Boats into Indian Teritorial Waters along the Kutch Coast	871
469.	कच्छ न्यायाधिकरण के समक्ष भारतीय पक्ष का पेश किया जाना	Presentation of India's case before Kutch Tribunal	871-872
470.	इंग्लैंड में कीनिया के भारतीयों के प्रवेश के बारे में इंग्लैंड की सरकार से परामर्श	Consultation with U.K. Government about Entry of Kenya Indians in U.K.	872
471.	पाकिस्तान और चीन को भेजे गये विरोध-पत्र	Protest Notes sent to Pakistan and China	872-873

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ /PAGES
472. दक्षिण वियतनाम में आहत असैनिक लोगों की सहायता	Help for Civilian Victims in South Vietnam	873
473. राष्ट्र गीत तथा राष्ट्रीय ध्वज के चलचित्र	Films on National Anthem and National Flag	873
474. पाकिस्तान में बुधवेर में अमरीकी सैनिक अड्डा	U. S. Military Base at Budhber in Pakistan	873-874
475. ताशकंद घोषणा	Tashkent Declaration	874
476. राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर पाकिस्तान की युद्ध के समान तैयारियां	Pakistan's War-Like Preparations on Rajasthan and Gujarat Borders.	874-875
477. किर्की में बारूद बनाने के कारखाने में विस्फोट	Explosion in Ammunition Factory, Kirkee	875-876
478. आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान	Payment of Arrears to INA personnel	876

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

3010 'एन ईवनिंग इन पैरिस' नामक चलचित्र	Film Evening in Paris	876-877
3011. संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग	United Nations Commission on International Law	877
3012. आण्विक कृषि औद्योगिक उद्योग समूह	Nuclear Agrô Industrial Complex	877-878
3013. नेपाल, भूटान और सिक्किम में भारत की सहायता से बनाई गई सड़कें	Roads constructed with Indian Help in Nepal, Bhutan and Sikkim	878
3014. भूटान के लिये घन का नियतन	Allotment of Funds for Bhutan	878
3015. पश्चिम बंगाल विधान-सभा के अध्यक्ष के संबंधम आकाशवाणी पर चर्चा	Discussion in AIR on the Speaker of West Bengal	878

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3016.	अटामिक मिनरल्स डिवीजन के कर्मचारी	Staff of Atomic Minerals Division	879
3017.	अटामिक मिनरल्स डीवीजन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	Service conditions of the Employees of the Atomic Minerals Division	879
3018.	विदेश स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा हिन्दी में लिखे गये पत्र	Letters Written in Hindi by Indian Missions Abroad	879-880
3019.	मंत्रियों द्वारा भारतीय वायु सेना के हैलिकाप्टरों का प्रयोग	Use of I.A.F. Helicopters by Ministers	880
3020.	भारत छोड़ कर चले जाने के लिये विदेशी राजनयिकों से कहना	Foreign Diplomats asked to leave India	880
3021.	भारतीय आर्थिक सम्मेलन	Indian Economic Conference	881
3022.	लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग	Indian High Commission, London	881
3023.	स्वायत्तशासी उत्पादन बोर्ड	Autonomous Production Board	881-882
3025.	हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों के लिये आण्विक शक्ति	Atomic Energy for Inaccessible Regions of Himalayas	882
3026.	डा० तेजा के विरुद्ध निष्कासन कार्यवाही पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Extradition Proceedings of Dr. Teja	882
3027.	कटक आकाशवाणी केन्द्र के लिये भवन	Building for AIR Station, Cuttack	882
3028.	सैनिक इंजीनियरी सेवा में अर्धस्वामी कर्मचारी	Quasi Permanent Officials in MES	882-883
3029.	विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यकलाप	Performance of Indian Missions Abroad	883
3031.	गुड़गांव के निकट प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Defence purposes near Gurgaon	883-884

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3032.	आयुध उपकरण कारखाने	Ordnance Equipment Factories Unit	884
3033.	औद्योगिक परिषद् की बैठकें	Industrial Council Meeting	884
3034.	विदेशों के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम	AIR Programme for Foreign countries	885
3035.	विदेशी सैनिकों का प्रशिक्षण	Training of Foreign Army personnel	885
3036.	हरिद्वार में रूस के प्रधान मंत्री के सम्मान समारोह में प्रेस संवादाताओं को निमंत्रण	Invitation to Press Correspondents at Functions in Honour of Soviet Prime Minister at Hardwar	886
3037.	संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में भारतीय जवान	Indian Jawans with UNO	886
3038.	संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवा में भारतीय सैनिक	Indian soldiers with UNO	886-887
3039.	सेना के जवानों के बच्चों और माता-पिता की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Medical Expenses of Children and parents of Jawans	887
3040.	कानपुर के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	IAF Accident near Kanpur	887
3041.	भारत में परमाणु बिजली घरों की स्थापना	Setting up of Atomic Power Stations in India	888
3042.	जवानों के वेतन तथा भत्ते	Pay and Allowances of Jawans	888
3043.	भारतीय सांख्यिकी संस्था	Indian Statistical Institute	888
3044.	चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को योजनायें	Scheme for Orissa for Fourth Five Year Plan	888-889
3045.	फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करना	Exemption of Films form Entertainment Tax	889
3046.	26 जनवरी को लाल किले में कवि सम्मेलन	Kavi Sammelan at Red Fort on 26th January, 1968.	889
3047.	सैनिक सामान बनाने के लिये असैनिक कारखाने	Civilian Factories for Manufacturing Military Equipment	889-890
3048.	12 बोर की राइफलों के कारतूसों का निर्माण	Manufacture of 12 Bore Cartridges.	890

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3049.	आयुद्ध कारखानों द्वारा बन्दूकों का निर्माण	Production of Guns by Ordnance Factories	890
3050.	1966-67 तथा 1967-68 के लिये हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजनायें	Annual Plans for Himachal Pradesh for 1966-67 and 1967-68	890-891
3051.	आकाशवाणी का कृषि दर्शन कार्यक्रम	AIR Programme of Krishi Darshan	891
3052.	आवड़ी में टैंकों का निर्माण	Manufacture of Tanks at Avadi	891
3053.	श्री जयप्रकाश नारायण की विदेश यात्रा	Shri Jayaprakash Narayan's visit Abroad	891-892
3054.	योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र	Private Sector Vis-a-vis Public Sector under the Plans	892
3055.	भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग सैनिक कर्मचारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Army Personnel Disabled during Indo-Pak. War	892
3056.	हैवी व्हीकल्स कारखाना, आवड़ी में मोटर गाड़ियों का निर्माण	Manufcture of Vehicles at Heavy Vehicles Factory, Avadi	892-893
3057.	एशिया फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित परियोजनायें	Projects Financed by Asia Foundation	893
3058.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकायें	Periodicals published by Indian Missions abroad.	893
3059.	बेतार संचार व्यवस्था	Wireless communication system	894
3060.	होशंगाबाद में सैनिक केन्द्र	Military Station in Hoshangabad	894
3061.	मध्य प्रदेश मे ट्रांसमीटर	Transmitters in Madhya Pradesh	894
3062.	फिलीपीन के राष्ट्रपति का सुझाव	Suggestion by President of Philippines	894-895
3063.	सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति	Soochna aur prasaran Hindi Samiti	895

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3064.	गणतंत्र-दिवस परेड के अवसर पर बैठने की व्यवस्था	Seating Arrangements on Republic day Parade	895-896
3065.	प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income	896
3066.	महाराष्ट्र में सैनिक अधिकारियों के लिए भूमि का अवंटन	Allotment of Land to Military Officers in Maharashtra	896
3067.	उत्तर प्रदेश में उद्योगों में प्रति व्यक्ति पूंजी का विनियोजन	Per Capita Investment on Industries in U.P.	896
3068.	उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय परियोजनायें	Central Projects in U.P.	897
3069.	किसानों की वार्षिक आय	Annual Income of Farmers	897
3070.	उड़ीसा की विकास योजनायें	Development Plans of Orissa	897-898
3071.	रोडेशिया से इंग्लैंड के व्यापार संघर्ष	U.K's Trade relations with Rhodesia	898
3072.	आकाशवाणी केन्द्र, औरंगाबाद	A. I. R. Station, Aurangabad	898
3073.	विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	S. C. and S. T. Officers in Indian Missions Abroad	899
3074.	सरकारी दल की चेकोस्लोवाकिया तथा अन्य देशों की यात्रा	Visit by Official Team to Czechoslovakia and other countries	899-900
3075.	गणतंत्र-दिवस समारोह में अन्दमान से राष्ट्रीय छात्र-सेना दल	N. C. C. Contingent from Andaman in Republic Day Functions	900
3076.	विदेशों से निष्कासित भारतीय	Indians Deported from Foreign countries	900

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3077.	केन्द्रीय यंत्रीकृत कृषि फार्म, सूरतगढ़ के समीप हवाई अड्डा	Aerodorme near Central Mechanised Agricultural Fam, Suratgarh.	900
3078.	सैनिकों का समाचार-पत्र पढ़ना	Reading of Newspapers by the Troops	900-901
3079.	विदेशी चलचित्र समारोह	Foreign Films Festivals	901
3080.	परियोजना सामग्री का आदान-प्रदान	Exchange of Data on Projects	901-902
3081.	केरल के कलाकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर वृत्त चित्र	Documentary Film on the Life of Raja Ravi Varma, artist of Kerala	902
3082.	गुलबर्गा आकाशवाणी केन्द्र से समाचार बुलेटिन	News Bulletins from Gulbarga Radio Station	902
3083.	वियतनाम में हताहत हुए अन्तर्राष्ट्रीय वियंत्रण आयोग के लोग	International Control Commission Personnel injured in Vietnam	902-903
3084.	टेलीविजन के लाइसेंस	Television Licences	903
3085.	टेलीबिजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets	903-904
3086.	ईवनिंग इन पेरिस नामक चलचित्र का प्रदर्शन	Exhibition of the Film Evening in Paris	904
3087.	इंडिया 1967 नामक वृत्तचित्र	Documentary Film India 1967	904-905
3088.	विदेशी चलचित्रों का आयात	Import of Foreign Films	905-906
3089.	शागिर्द चलचित्र	Film' Shagird'	906
3090.	भारत को राज्यक्षेत्रिय अखण्डता के लिये कानूनी बचाव	Legal Defence of India's Territorial Integrity	906
3091.	भारत द्वारा नियुक्त किये गये अन्तर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ	International Legal Experts engaged by India	906-907
3092.	राजनैतिक दलों के वार्षिक अधिवेशनों की कार्यवाही के वृत्तान्तों का प्रसारण	Broadcasting of Proceedings of Annual Sessions of Political Parties	907-908

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3093.	विजयन्त टैंक	Vijayanta Tanks	908
3094.	तुलिहाल हवाई अड्डा	Tulihal Airport	908
3095.	इम्फाल आकाशवाणी केन्द्र के लिये बजट में रखी गई राशि	Budget Outlay for AIR, Imphal	908-909
3096.	पुँछ से सेना में भर्ती	Recuritment to Army from Poonch	909
3097.	सेवामुक्त किये गये इमरजेंसी कमीशंड अफसर	Released Emergency Commissioned Officers	909-912
3098.	सेना मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय छात्र-सेना दल में लगाया जाना	Released Emergency Commissioned Officers absorbed in N. C. C.	912
3099.	सेवा मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त सैनिक अधिकारी	Released Emergency Commissioned Officers	912-913
3100.	गोरखपुर में रेडियो स्टेशन तथा ट्रांसमिटर का लगाया जाना	Installation of Radio Station and Transmitter at Gorakhpur.	913
3101.	अमरीका द्वारा वियतनाम में नेपाम बमों का प्रयोग	Use of Napalm Bombs by USA in Vietnam	913-914
3102.	आदिम जाति विकास कार्यक्रम	Tribal Development Programme	914
3103.	शरीर क्रिया विज्ञान (फिजिआलोजी) और तत्सम्बन्धी विज्ञान सम्बन्धी प्रतिरक्षा संस्था	Defence Institute of Physiology and Allied Sciences	914
3104.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों का उत्तराधिकार	Sucession of States in International Law	914-915
3105.	नागाओं का चीन जाना	Nagas going to China	915
3106.	पश्चिम जर्मनी से ऐनकों का उपहार	Gift of Eye Aids from West Germany	915-916
	राज्य सभा से सन्देश	Message form Rajya Sabha	916

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) निरंतरता विधेयक	Armed forces (Special Powers) Continuance Bill	916
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	As passed by Rajya Sabha	
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	916
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	Fifteenth Report	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	916
बाइसवां प्रतिवेदन	Twenty-Second Report	
प्राक्कलन समिति	Estimate Committee	917
छत्तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-Sixth Report	
औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति पर प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Reports on Industrial Planning and Licensing Policy	917-930
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	
श्री रा० की० अमीन	Shri R. K. Amin	
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S. M. Krishna	
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Srimati Sharda Mukerjee	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	
राष्ट्र मंडल आप्रवासी विधेयक पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: Statement on Commonwealth Immigrants Bill of U.K.	930-939
श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta.	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	
श्री सु० कु० तापाड़िया	Shri S. K. Tapuriah	
श्री गु० सिं० ढिल्लों	Shri G. S. Dhillon	
श्री कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री शशिभूषण बाजपेयी	Shri Shashibhushan Bajpai	
श्री स्वैल	Shri Swell	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री रविराय	Shri Rabi Ray	
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	
श्री विक्रम चन्द महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	
श्री अनिरुद्धन	Shri K. Anirudhan	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	
दक्षिण रोडेशिया शासन द्वारा अफ्रीकी व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ाये जाने के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Eexecution of Africans by South Rhodesian Government	939-940
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi.	
यू० के० राष्ट्रमण्डल आप्रवासी विधेयक पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव—जारी	Motion Re: Statement on Commonwealth Immigrants Bill of U.K.—Contd.	940-945
नोवस्ती के साथ करार के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re: Agreement with NOVOSTI	945-948
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	
श्री के० के० शाह	Shri K. K. Shah	

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 6 मार्च, 1968/ 16 फाल्गुण, 1889 (शक)

Wednesday, March 6, 1968/ Phalguna 16, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों में लगाई गई भारतीय पूंजी

*450. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय लोगों द्वारा लगाई गई पूंजी का उन देशों में राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) हाल ही में यद्यपि राष्ट्रीयकरण के दो मामले हुए हैं, फिर भी, इस समय ऐसी किसी समस्या के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Shiv Chanda Jha : To what extent the organic composition of Indian Capital invested abroad has undergone change and what impact did it have on the rate of profit of those industries ?

Shri B. R. Bhagat : If the hon. Member wants to know the change in the Capital invested by the local people in those industries, I require notice for this question.

Shri Shiv Chandra Jha : According to Marxist theory of industrialisation the capital on machinery increases while on labour it decreases with the result that the profits go on decreasing.

Is it not a fact that the average rate of profit in countries where Indian Capital has been invested is more than that in India, if so, how much? What amount of that profit has been remitted to India ? If that profit is not adequate, have Government of India asked those capatalists to shift their Capital to India on the pain of discontinuing their facilities granted by the Government? Have Government of India asked the Government of those countries to nationalise the industries owned by Indians there and give the compensation in that regard to the Indian Government and not them ?

Shri B. R. Bhagat : If the hon. Member sends me in writing all these questions, I will furnish all the details. The Indian emigrants have been carrying on their commercial activities in foreign countries for a long time. Many of them are now coming back and we have allowed them to invest their moneys in other countries and for that we gave them certain facilities. As regards the details of the profit. I require notice.

डा० रानेन सेनः क्या सरकार को पता है कि भारतीन पूंजीपतियों ने भारत सरकार की समर्थन को नीति का लाभ उठा कर अफ्रीका के कुछ देशों में पूंजी लगाई है जिसके कारण वहाँ के लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं, यदि हाँ, तो भारतीय पूंजीपतियों की एकाधिपत्य की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ब० रा० भगतः उन पर दो प्रतिबन्ध हैं। एक तो यह कि हम उनको केवल वहीं जाने देते हैं जहाँ पर उनका जाना हमारे राष्ट्र हित में होता है । बड़ा प्रतिबन्ध यह है कि वे तब ही जा सकते हैं जब उन देशों कि सरकारें जहाँ वे जाना चाहते हैं उन्हें चाहें।

कुछ मामलों में, जो लोग वहाँ गये हैं उनका बड़ा स्वागत किया गया है और उन्हें पसन्द किया गया है । कोई असंतोष नहीं है ।

श्री रंगा : कहाँ पर ? बर्मा में हमारी विनियोजित पूंजी के साथ जो कुछ हुआ है तथा कीनिया में हुई नवीनतम गतिविधियों और वहाँ पर हमारे लोगों की दशा को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने हमारे पूंजीपतियों को देश में ही पूंजी लगाने के लिये प्रोत्साहन देने की वांछनीयता पर विचार किया है जब कि हमारे देश में ही आर्थिक विकास की बड़ी आवश्यकता है ?

श्री ब० रा० भगतः पुराने समय में विदेशों में पूंजी विनियोजन तथा वर्तमान समग्र में पूंजी विनियोजन में अन्तर है । हाल ही में हमने कपड़ा मिलों या चीनी मिलों के स्थापित करने के लिये विदेशों में पूंजी लेजाने की अनुमति दी थी । ऐसा कुछ देशों के साथ आर्थिक सम्बन्धों को बढ़ाने के लिये किया गया है । आजकल के संसार में विदेशों से मित्रता बढ़ाने में आर्थिक सम्बन्धों का बड़ा महत्व है । ऐसा बहुत ही कम मामलों में किया जाता है। अतः देश की आवश्यकताओं की उपेक्षा का कोई प्रश्न नहीं है । मशीनों का निर्माण यहां पर ही किया जाता है । अतः इससे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है ।

Shri K.N. Tiwary : What steps are being taken by Government to remove the difficulties put by foreign Governments in the way of the Indians wishing to bring their Capital to India? What is the amount Indian Capital thus blocked in African Countries ?

श्री ब० रा० भगतः पूर्वी अफ्रीका से पूंजी लाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है। अब चूंकि लाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिये यह भय फैला हुआ है कि उन देशों की सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। हम उन देशों की सरकारों से इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पूंजी की राशि के बारे में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कीनिया से ब्रिटेन जाते हुए भारतीय अपनी काफी पूंजी कीनिया में छोड़ गये ? क्या उनमें से किन्हीं लोगों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में कीनिया की सरकार से बातचीत करे, यदि हाँ, तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ब० रा० भगत : भारत सरकार से तो उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं कहा है, किन्तु यदि उनको कोई कठिनाई है तो हमारा उच्चायुक्त कीनिया सरकार से इस मामले पर बात करेगा।

श्री चेंगल राया नायडू : जो देश इस समय भारतीय पूंजी को निमन्त्रित कर हैं क्या भारत सरकार उनसे यह करार करेगी कि उस पूंजी का जो लाभ होगा वह तथा पूंजी भारत भेजी जायेगी ? दूसरे, कीनिया तथा अन्य देशों से, उन देशों में उद्योगों का विकास करने के पश्चात् भारतीयों को अपना धन लाने नहीं दिया जाता है।

श्री ब० रा० भगत : नये उपक्रमों के सम्बन्ध में हम केवल उन्हीं शर्तों को स्वीकार करते हैं जो हम विदेशी पूंजी के लिये दूसरे देशों के साथ तय करते हैं। दूसरी श्रेणी के सम्बन्ध में समस्या है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : विदेशों में हमारी अर्जित पूंजी सुरक्षित रूप से भारत आ जाये, इसको सुरक्षित करने के लिये क्या भारत सरकार उपाय कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हमने पहले से ही सुरक्षा उपाय कर रखे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : संसार के सभी देश वहाँ पर ऐसे भारतीयों को उनकी सम्पत्ति और पूंजी से वंचित करना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई दीर्घकालीन नीति अपनाने पर विचार किया है ? यदि ऐसी नीति अपना ली जाय तो भारतीय पूंजी को विदेशों में भेजने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

श्री ब० रा० भगत : दीर्घकालीन नीति महत्वपूर्ण है। जब हम करार करते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं।

श्री रमानी : हमारे देश में वर्तमान आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए क्या, सरकार हमारे बड़े पूंजीपतियों द्वारा विदेशों में पूंजी ले जाने पर रोक लगायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : इन सभी परियोजनाओं में हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हमारे देश को किस सूरत में अधिक शुद्ध लाभ होगा। उदाहरणार्थ जब हम तक्नीशन भेजते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिलती है और जब हम दूसरे देशों में पूंजी लगाते हैं तो हम मशीनों का निर्यात करते हैं।

श्री लोबो प्रभु : क्या सरकार राष्ट्रीकरण के सम्बन्ध में दोरंगी नीति अपना रही है-- भारत में राष्ट्रीकरण किन्तु विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिये कोई राष्ट्रीकरण नहीं?

श्री ब० रा० भगत: कोई द्वैध नीति नहीं अपनाई जा रही है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कुछ समय पहले हांगकांग के बहुत से भारतीय वहाँ से अपनी पूंजी, मशीनें आदि भारत लाना चाहते थे। उनमें से कितने भारत आना चाहते थे और कितनों को अनुमवि दी गई थी और कितनों को अनुमति नहीं दी गई?

श्री ब० रा० भगत : पूंजी के विनियोजन के सम्बन्ध में एकसम नीति है, किसी एक या दूसरे देश से इसका सम्बन्ध नहीं है। यह बता दिया गया है कि वे अपनी पूंजी ला सकते हैं और उसपर कोई कर नहीं होगा। परन्तु यदि उस पूंजी को लगाना है तो उसे प्राथमिकता या योजना की परियोजनाओं में ही लगाता जा सकता है अन्य परियोजनाओं यें नहीं। ये ही सुविधाएँ भारतीय नागरिकों को दी गई है। यहाँ पर आने वाले भारतीयों की निश्चित संख्या के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री श्रीधरन : माननीय मंत्री ने कहा कि विदेशों में पूंजी विनियोजन द्वारा हम उन देशों से राजनीतिक सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमण के समय हमारे कोई मित्र नहीं थे। उन देशों में पूंजी विनियोजन के कारण किन-किन देशों के साथ हमारी मित्रता बढ़ी है?

श्री ब० रा० भगत: हम इससे सहमत नहीं हैं कि हमारे कोई मित्र नहीं थे। दूसरे, पूंजी विनियोजन के परिणामों को थोड़े से समय में नहीं आँका सकता। मैं यह भी समझता हूँ कि आजकल के संसार में आर्थिक सहयोग द्वारा मैत्रिक सम्बन्ध बढ़ाने की नीति अधिक लाभप्रद है।

Shri Srichand Goyal : May I know whether, apart from private, Capital, Government have also invested some Capital abroad and if so whether it is safe?

श्री ब० रा० भगत: सरकार ने कोई पूंजी नहीं लगाई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विदेशों मे भारतीय विनियोजन पूंजी के रूप में हैं अथवा मशीनों के रूप में? दूसरे, विदेशों में रह रहे भारतीय बहुत समृद्ध हैं। क्या ये उपक्रम उन भारतीयों से भी, जो वहां पर रह रहे तथा काम कर रहे हैं, पूंजी लगवाने के लिये प्रयत्न कर रहे है?

श्री ब० रा० भगत : विनियोजन नकदी के रूप में नहीं अपितु पूंजी के रूप में है। स्थानीय सरकार तथा स्थानीय लोग भी पूंजी लगाते हैं। अपने पिछले उत्तर में मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि सरकार का कोई विनियोजन नहीं है। किन्तु मुझे याद है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कच्चा तेल निकालने के लिये ईरान में पूंजी लगाई है।

Bhabha Committee on Electronics

*452. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether it a fact that the Bhabha Committee has recommended to Government that one more factory in addition to the Bharat Electrionics Ltd., Bangalore, should be set up for manufacturing precision equipment such as radar and microwave instruments ;

(b) if so, the decision taken by Government in this regard ; and

(c) the amount likely to be spent by Government on the setting up of this factory ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The planning has been commenced, but it will take some time to finalise the proposals.

Shri Hukam Chand Kachwai : What is the quantum of shortage of different types of equipments in our country and what amount of foreign exchange is spent on their import ?

Shri L. N. Mishra : It is well might impossible to give the names of all the equipments but there is an abiding shortage of those equipments. If the hon. Member sees the Report of Bhabha Committee placed in the library he will find that under the 10 year-Plan drawn by us, we shall require equipments worth 1600 crores of rupees.

Shri Hukam Chand Kachwai : Has that report been prepared in Hindi ?

Shri L. N. Mishra : No, Sir.

Shri Hukam Chand Kachwai : Why not ?

Shri A. B. Vajpayee : Sir, it is not obligatory on their part to bring out the report in Hindi when some hon' Members do not know English ?

Shri L. N. Mishra : I concede that it is.

Shri Hukam Chand Kachwai : My information is that Bhabha Committee had mentioned in their Report that India can manufacture Atom bomb at a cost of Rs. 16 lakhs. Are Government contemplating to manufacture this bomb?

Shri L. N. Mishra : It is not possible to give a reply to this question.

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैज्ञानिक प्रतिरक्षा कार्य के लिये संगणगक मशीनें आवश्यक हैं। और डा० भाभा ने भी कुछ समय पहले यह सिफारिश की थी कि भारत को संगणक मशीनों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहिये और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जो संगणक मशीनों हम अमरीका से मंगाते हैं वे हमें 20 लाख रु० प्रति मशीन पड़ती है और वह मशीन एक या दो वर्षों के पश्चात् पुरानी किस्म की हो जाती हैं, क्या सरकार देश में संगणकों के निर्माण के लिये कोई कारखाना स्थापित करने पर विचार करेगी?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारे कार्यक्रम में संगणकों का निर्माण एक महत्वपूर्ण मद है। संगणकों के निर्माण के लिये हमारे पास अपेक्षित विदेशी मुद्रा मौजूद है। माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी पर मैं विचार करूंगा। स्वदेशी निर्माण को हम सदैव प्रोत्साहन देते हैं, इसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी : भाभा समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार प्रत्येक वस्तु का निर्माण स्वयं करने में असमर्थ हैं, क्या सरकार इन महत्वपूर्ण उपकरणों को गैर सरकारी क्षेत्र में बनाने देगी ?

श्री ल० ना०मिश्र: हमारे देश में इलैक्ट्रानिक उपकरणों का निर्माण करने वाले कई एक गैर-सरकारी कारखाने हैं और हम विशेष रूप से नागरिक उपभोग के लिये अपेक्षित उपकरणों के निर्माण के लिये उन्हें प्रोत्साहन भी देना चाहते हैं। जहां तक प्रतिरक्षा आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, हम इनके निर्माण को यथासंभव सरकारी क्षेत्र में रखने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी हमने एक निजी कारखाने को भी यह काम दिया हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, एक महत्वपूर्ण इलैक्ट्रॉनिक कम्पनी प्रतिरक्षा उपकरणों का भी निर्माण कर रही है। जहां तक प्रगति का सम्बन्ध है, हमने श्री विकरम साराभाई की अध्यक्षता में एक बाद की कार्यवाही सम्बन्धी समिति नियुक्त की है। वह समिति इसकी जांच कर रही हैं और अब तक हुई गति संतोषजनक है।

श्री रणजीत सिंह : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन दे सकते हैं कि जब ये कारखाने चालू हो जायेंगे तो हम कम से कम इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा मैंने पहले बताया हमारा उद्देश्य 1975 तक यथासंभव अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। परन्तु यह कहना कठिन है कि कोई देश प्रतिरक्षा उपकरणों में सौ प्रतिशत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है।

गुट-निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन

*453. †श्री चेंगलराय नायडू : श्री रविराय :
श्री वीवीकन : श्री अंबयेजियान :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति टीटो ने पश्चिम एशिया और वियतनाम की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा करने के लिये गुट-निरपेक्ष देशों का तुरन्त शिखर सम्मेलन बुलाने की हाल में बात कही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) सम्मेलन के कब तक होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत):

(क), (ख) और (ग) : माननीय सदस्यों के ध्यान में शायद उस प्रेस सम्मेलन की रिपोर्ट है जो राष्टपति टीटो ने हाल में अपनी काहिरा की यात्रा के दौरान आयोजित किया था। भारत सरकार को ऐसे किन्ही प्रस्तावों की जानकारी नहीं है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए गुट-निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन तत्काल बुलाया जाए। भारत और यूगोस्लाविया की सरकारों की यह धारणा हैं कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में शान्ति की सुरक्षा करने और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नए सिरे से कोशिश करने की अवश्यकता है। हम ऐसा समझते हैं कि राष्ट्रपति टीटो का ऐसे मित्र देशों के साथ सलाह मशविरा करने का इरादा हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सुधारने केसमान प्रयास में हाथ के बटाने के इच्छुक हों।

श्री वेंगलराया नायडू : श्रीमन्, मन्त्री महोदय उनके कार्यालय द्वारा तैयार किया गया पुराना उत्तर पढ़ रहे हैं। आज के समाचारपत्र में भी हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति टीटो एक सम्मेलन बुलना चाहते थे और मैं समझता था कि उन्होंने सम्मेलन बुलाया है। क्या हमारी सरकार ऐसी बैठकों में अन्य सदस्यों की बात सुनने के पश्चात कोई निर्णय करती है? हाल ही में हमने राष्ट्रपति नासर द्वारा दी गई जानकारी पर अमल किया है कि अमरीकियों ने इजराइलियों को हवाई सुरक्षा दी है। अब मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने गलती से ऐसा कह दिया। यदि हम गलत जानकारी के आधार पर निर्णय करेंगे तो हमें ऐसे सम्मेलनों में भी लज्जित होना पड़ेगा। अच्छा होगा यदि हम सही जानकारी प्राप्त करके उन सम्मेलनों में निर्णय लें।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूँ कि जो उत्तर पढ़ा जाता है वह पुराना नहीं है। यूगोस्लाविया के राजदूत के साथ मेरी भेंट के पश्चात् मैंने यह उत्तर लिखा था और उत्तर के अन्तिम भाग में यह वाक्य भी शामिल है :

"हम ऐसा समझते हैं कि राष्ट्रपति टीटो मित्र देशों के साथ विचार-विमर्श करना चाहते हैं ..."

दूसरे, इस सम्मेलन द्वारा कोई निर्णय करने का कोई प्रश्न नहीं है। अमरीकी सेनाओं के बारे मे राष्ट्रपति नासर ने जो कुछ कहा है उसके अधार पर हमने कोई निर्णय नहीं किया है। ऐसी बैठकों का उद्देश्य विचार-विमर्श करना और सामूहिक-हित और विश्व शांति के मामलों में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना है।

Shri Rabi Ray : May I know whether Government will initiate any action for convening a summit conference of non-aligned countries. If so, the time, by which such a conference will be convened ?

Shrimati Indira Ghandhi : At the moment neither we are in favour nor against of convening such a conference. We favour such conferences if they are likely to yield some good results. But I doubt very much that at this time such a purpose will be served.

श्री हेम बरुआ : काहिरा में हुए तटस्थ सम्मेलन के अनुभव के आधार पर क्या सरकार यह सोचती है कि इस प्रकार के दूसरे तटस्थ सम्मेलन से कोई ठोस लाभ होगा ? दूसरे, तटस्थता के भी कई रूप हैं। कुछ राष्ट्र सकारात्मक रूप से तटस्थ हैं, कुछ नकारात्मक रूप से तटस्थ हैं, तो कुछ तटस्थ होने का स्वांग रचते हैं और कुछ अर्ध-तटस्थ राष्ट्र भी हैं। इस तटस्थ शिखर सम्मेलन में सरकार किस श्रेणी के राष्ट्रों से विचार-विमर्श करना चाहती है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: चूंकि मैं इस प्रकार के सम्मेलन का प्रस्ताव नहीं कर रही हूँ, इसलिये इस बात का प्रश्न नहीं उठता कि मैं किन देशों से बातचीत करना चाहती हूँ इसके साथ ही इस दिशा में सधारणतः विभिन्न देशों के बीच सहमति का क्षेत्र खोजने का प्रयास किया जाता है और उस क्षेत्र को विस्तृत करने का भी प्रयास किया जाता है।

श्री पें० वेंकटसुब्बया: एक समाचार के अनुसार यूगोस्लाविया के प्रेसीडेंट ने अपने राजदूत के

माध्यम से वियतनाम और पश्चिमी एशिया की समस्याओं के बारे में कुछ विचार भेजे हैं। क्या प्रधान मंत्री जी इसी बैठक का कार्य क्षेत्र बढ़वाकर तथा अन्य समान विचारधारा वाले देशों तथा राष्ट्र संघ के सहयोग से वियतनाम तथा पश्चिमी एशिया की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास करेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : इन दोनों समस्याओं के शान्तिपूर्ण हल खोजने के लिये हम प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद् में प्रस्तुत किये गये पश्चिमी एशिया सम्बन्धी प्रस्ताव पर हमने हस्ताक्षर किये थे जिस पर अन्य देशों का समर्थन भी हमे मिलता जा रहा हैं।

वियतनाम के मामले में शान्तिपूर्ण हल ढूंढने के लिये हम अन्य देशों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के साथ सहयोग कर रहे हैं।

श्री बलराज मधोक : मेरे विचार से प्रत्येक तटस्थ राष्ट्र किसी न किसी गुट से सम्बद्ध है, जैसे संयुक्त अरब गणराज्य का सीरिया और ईराक से सैनिक समझौता है। क्या कुछ ऐसे राष्ट्र भी हैं जो शुद्ध रूप से तटस्थ हैं यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : तटस्थता की परिभाषा कई बार बताई जा चुकी है प्रश्न तो यह है कि क्या आप किसी विशेष बात पर किसी से सम्बद्ध होते हैं या किसी देश या देशों के समूह के साथ, प्रत्येक विषय पर उसके गुण—अवगुणों के आधार पर निर्णय लेने के बाद, मिलते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बात पर किसी देश या राष्ट्र-समूह का साथ दिया जाये।

श्री चन्द्रजीत यादव : समाचारों से ऐसा मालूम हुआ हैं कि प्रेसीडेंट टीटो ने केवल तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन का ही सुझाव नहीं दिया है बल्कि उसने यह भी सुझाया हैं कि इस सम्मेलन में सभी साम्राज्यवाद विरोधी देशों को बुलाया जाये। जिससे इसमें विश्व की राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति पर विचार किया जा सके। भारत सरकार सिद्धान्त रूप से इस प्रकार के सम्मेलन से कहाँ तक सहमत है ?

श्रीमती इंन्दिरा गाँधी : इस समय कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। यह तो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचार जानने की बात है। सरकार इन बातों पर विचार करने के पश्चात् निर्णय करेगी।

श्री क० लकप्पा : मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहता हुँ कि क्या सरकार एशियाई-अफरीकी तटस्थ राष्ट्रों का ऐसा शिखर सम्मेलन बुलानें के लिये पहल करेगी, जिससे वे राष्ट्र जो हमारे शत्रु हैं, शामिल न किये जायें तथा पश्चिमी एशिया और वियतनाम में स्थिति सुधारने का प्रयास करेगी ?

श्रीमती इंन्दिरा गांधी : हम परिस्थिति को सुगम बनाना चाहते हैं। जो देश इस परिस्थिति को आसान बनाने में रुचि लेते हैं हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं। यदि कोई अच्छा परिणाम निकलता दिखाई दिया तो हम अवश्य ही माननीय सदस्य के ऐसे सम्मेलन सम्बन्धी सुझाव पर विचार करेंगे। परन्तु फिलहाल ऐसी सम्भावना प्रतीत नहीं होती।

श्री बेदब्रत बरूआ : विचार विनियम के लिये तटस्थ राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन बहुत ही लाभदायक होता है, परन्तु उससे हमारे राष्ट्र का भी कुछ हित होना चाहिये। इसी

संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि अणु-अस्त्र-प्रसार निरोध सन्धि के प्रारूप का भारत द्वारा विरोध किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया ने क्या रुख अपनाया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस बारे में उन्होंने कोई विशेष रुख नहीं अपनाया है ।

श्री सु० कु० तापड़िया : वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का भारत अध्यक्ष है । फिर भी वह वियतनाम के मामले पर पक्षपातपूर्ण विचार रखता है । चूँकि अध्यक्ष होने के नाते भारत को यह शोभा नहीं देता कि वह पक्षपातपूर्ण रुख अपनाये, इसलिये क्या भारत इस मामले में निष्पक्ष रुख अपनायेगा या आयोग के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देगा ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : प्रत्येक मामले को देखना होता है और फिर देखना होता है कि कौन सा पक्ष ठीक है । एक न्यायाधीश किसी न किसी के पक्ष में निर्णय देता हैं, परन्तु उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने पक्षपातपूर्ण रुख अपनाया है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : भारत सरकार सदा दूसरे की हाँ में हाँ मिलाती है। पहली बार राष्ट्रपति नासर ने ऐसा सम्मेलन बुलाया था । इस बार राष्ट्रपति टीटो इस प्रकार का सम्मेलन बुलाने पर जोर दे रहे हैं । क्या भारत सरकार, जो बड़े लोकतंत्रों में से एक हैं, इस बार ऐसा सम्मेलन बुलाने में पहल करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जब मित्र परस्पर मिलते हैं और भविष्य में किसी बैठक को बुलाने के सम्बन्ध में निर्णय करते हैं, तो इसे हाँ मिलना नहीं कहा जा सकता ।

Shri A. B. Vajpayee : Suppose India, Nepal and Burma enter into a defence agreement, May I know whether it will be in accordance with the definition of non-alignment given just now by hon . Prime Minister ?

Shrimati Indira Gandhi : It is in no way related with the non-alignment but we will have to see whether it will be benifitial to us from security point of view.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : हमें मालूम हैं कि राष्ट्रपति टीटो ने पश्चिमी एशिया की समस्या के समाधान के लिये एक सूत्र बनाया हुआ है । परन्तु वह सूत्र अरब देशों को स्वीकार्य नहीं है । क्या राष्ट्रपति टीटो ने भारत सरकार को यह बताया है कि वह सूत्र सम्भवतः अरब देशों द्वारा मान लिया जायेगा, क्या उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि उक्त सम्मेलन में इस मामले पर विचार किया जायेगा और कौन-कौन देश इसमें भाग लेने के लिये सहमत हो गये हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पश्चिमी एशिया पर ऐसे सम्मेलन बुलाने के लिये कोई निश्चित प्रस्ताव नही हैं । राष्ट्रपति टीटो के सूत्र के बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है । वह कोई रास्ता अवश्य खोज रहे हैं । इस सम्बन्ध में उन्होंने कई राज्यों की यात्रा की है और उनके विचार जाने हैं ।

श्री स्वैल : क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रपति नासर के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मैंने अमरीका पर यह गलत अरोप लगाया था कि गत वर्ष के अरब इसराइली

युद्ध में अमरीका ने इसराइल की सहायता की थी । क्या सरकार यह सोचती है कि इस वक्तव्य से पश्चिमी एशिया की स्थिति में सुधार होगा और इसके परिणामस्वरूप तटस्थ राष्ट्र सम्मेलन सार्थक होगा ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरे, इस वक्तव्य से स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा ।

अफ्रीका में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन

*454. **डा० रानेन सेन :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंगोला तथा अफ्रीका के अन्य भागों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन को ठोस सहायता देने पर विचार किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार अफ्रीका के विभिन्न मुक्ति आंदोलनों में आर्थिक में सहायता देती रही है और देती रहेगी । इस प्रकार की सहायता में छात्रवृतियाँ देना भी शामिल है जिससे कि विद्यार्थी भारत में उच्च अध्ययन कर सकें, और दवाइयां, किताबें, कपड़ा आदि देना भी शामिल है । भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के शरणार्थियों की सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में और रंगभेद के पीड़ितों के लिए रक्षा सहायता कोष में भी अंशदान दिया है ।

डा० रानेन सेन : अंगोला, दक्षिणी अफरीका, दक्षिण-पश्चिमी अफरीका आदि अफरीकी देश स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए हैं । भारत सरकार की सहानुभूति पूर्णत: उनके साथ है । बताई गई सहायता के अतिरिक्त क्या भारत सरकार इन देशों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वित्तीय सहायता देना आवश्यक समझती है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: भारत सरकार तथा भारत के लोगों की सहानुभूति अफ्रीका के विभिन्न मुक्ति संगठनों के साथ है । हर सम्भव सहायता, जो हम कर सकते हैं उन्हें दी जा रही है । परन्तु भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि उन्हें सैनिक सामान या हथियार दे । हम संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके पक्ष का समर्थन करते हैं।

डा० रानेन सेन : हाल हीं में आइन स्मिथ की सरकार ने रोडेशिया के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को फांसी के तख्ते पर लटकाया । इस पर सम्पूर्ण विश्व में रोष की एक लहर फैल गई थी । परन्तु भारत सरकार ने इसका विरोध नहीं किया हालांकि उसने रोडेशिया सरकार के कई कारनामों को खुले रूप से भर्त्सना की थी । इस मामले पर सरकार के चुप रहने का क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री श्रीमती (इन्दिरा गांधी) : साम्राज्यवाद के बारे में सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है । भारत इस पक्ष में है की सब राष्ट्रों के स्वतंत्रता-प्राप्ति के अधिकार की रक्षा की जाये और सब देशों में अपनी-अपनी सरकारें हों । परन्तु इस प्रकार के अत्याचारपूर्ण कृत्यों की हम भर्त्सना नहीं करते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : People will appreciate the policies of Government in respect of Rhodesia and South Africa. But China, is bent upon annihilating the Tibetan race. I would like to ask the Prime Minister whether Government will raise this issue in U. N. O. or give military assistance to Dalai Lama recognizing him as the Government of Tibet.

Shrimati Indira Gandhi : We have raised this issue in Human Rights Commission, but at the movement we can do nothing more than this.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कुछ अफ्रीका के लोग तिब्बत में बसने के लिये आये हैं ?

श्री हुमायूँ कबीर : छात्र-वृत्तियां देने या इसी प्रकार की अन्य सहायता देने से अफ्रीकी लोगों को राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों में क्या सहायता मिलेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी: इससे उन्हें नैतिक समर्थन प्राप्त होता हैं। वे इस सहायता की प्रशंसा भी करते हैं।

Shri Madhu Limaye : The policy of our Government is not rigid as far as the question of giving support to libration movement of different countries is concerned. May I know whether Government intend to convene an international commission on the queotionof liberation of Rhodesia, Angola, Mozambique and other countries of South Africa on the patterns of the international Commission called in case of Indonesia and will set up any Centre here for giving armed and economic help for their liberation movement ?

Shrimati Indira Gandhi: We are following the correct and rigid policy. But the problems facing the world have greatly changed. First we try to see whether some fruitful purpose will be served by convening such a conference and then we take necessary steps in that matter,

श्री स० कुन्डू : भारत के लोगों ने अफ्रीकी को उनके स्वतंत्रता संग्राम में नैतिक समर्थन दिया है परन्तु भारत सरकार ने उनके प्रति सदा दिखावटी सहानुभूति प्रदर्शित की है। कुछ देशों के स्वतंत्र होने के पश्चात् अफ्रीका में चल रहे स्वतंत्रता आन्दोलन के स्वरूप में एक विशेष परिवर्तन आ गया है जिसे हमारी सरकार पहचानने में असफल रही है। इसके विपरीत चीन ने अवसर को पहचान कर वहाँ दो वर्षों की अवधि में ही देशों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित कर लिये हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अफ्रीका के स्वतंत्रता आन्दोलन का अध्ययन करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त करेगी तथा जो स्वतंत्र हुए अफ्रीकी देशों की आवश्यकताओं का भी अध्ययन करेगी, जिसके आधार पर अफ्रीका के उभरते हुए राष्ट्रों की सहायता की जा सके ?

श्री इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि भारत सरकार की उनके साथ दिखावटी सहानुभूति रही है। अफ्रीकी देश इस बात से परिचित हैं और इसे आभार सहित मानते हैं कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा उनके बाहर उनके पक्ष में क्या कार्यवाही कर रहा है ? दूसरे चीन ने शुरु-शुरु में वहाँ अच्छा प्रभाव जमाया था जो अब घट गया है।

Shri Shashibhushan Bajpai : These days the forces of mperialism are getting bolder and bolder day by day in Africa. In this connection China has given a policy of direct action to the African counties. What kind of help do the Indian Government want to give to them ?

Shrimati Indira Gandhi : There is no question of giving some thing to them. It is a point for consideration what will help them in achieving their goal.

Shri Gunanand Thakur : May I know whether Government intend to help the people of Nepal Congress fighting for freedom in Nepal ?

The Minister of State in the Ministry of Foreign Affairs (Shri B. R. Bhagat) : Nepal is an independent and sovereign country and Nepal is our friend also, So this type of question should not be put in view of the friendship between India and Nepal. It will adversely affect our friendly relations with Nepal.

Shri Ramavtar Shastri: The African National Congress has set up its office in New Delhi to give help to the African countries fighting for freedom. May I know whether it has asked for help from our Government for opening an office here and whether the necessary action has been taken in respect thereto ?

Shri Surendrapal Singh : It is a fact that the African National Congress has set up an office in New Delhi. This office is first of its kind in Asia. Whatever help is demanded by African National Congress in this respect has been rendered.

Shri Sheo Narain : May I know whether it is the policy of Indian Government to aid and advice to all those African countries which are fighting for freedom on the basis of Satya and Ahimsa ?

Shri Surendrpal Singh : We are helping all those nations of Africa, which are fighting for freedom. What method they adopt for achiving their independence is beyond our control.

Shri Jagannath Rao Joshi : We are happy that our Government is giving all possible help to Angola, which is under the imperialism of Portugal. But Government is doing nothing to get Shri Mohan Ranade and Shri Telo Mescarnes released form the jails in Lisbon, who are true freedom fighters and who fought to liberate Goa from the clutches of Portugese imperiallsm. May I know the steps being taken by our Government to get them released ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सम्पूर्ण राष्ट्र उनके कष्टों का अनुभव करता है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें जेल से रिहा कराने के लिये क्या कार्यवाही की जाये ?

Shri S. M. Banerjee : Freedom movements are fought with the arms and only scholsrhips will not do in this matter. May I know whether the arms or conventional weapons are not supplied to them under any pressure or due to any particular reasons ?

Shrimati Indira Gandhi : There is no question of any pressure on the Government. Twenty years back only four African countries were independent. While now there are forty independent nations in Africa. It shows that their liberation movement have been successful. We are giving help to them whatever we can.

श्री हेम बरुआ : चुप रहकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री हेरल्ड विल्सन ने भी रोडेशिया की श्वेत सरकार का समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार रोडेशिया को श्वेत सरकार से मुक्त कराने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है या प्रधान मंत्री जी को इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये गये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : माननीय सदस्य ने स्थिति का जो मूल्यांकन किया है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। हम अन्य देशों से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, और यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कार्यवाही की जाये ? परन्तु इस समय स्थिति स्पष्ट नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गोआ के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की रिहाई

*451. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ के स्वतंत्रता संग्राम के कितने और कौन-कौन से सेनानी इस समय लिसबन में या पुर्तगाल के अन्य स्थानों पर पुर्तगाली जेलों में बंद हैं और उन्हें कितनी-कितनी अवधि का कारावास दंड मिला है ।

(ख) उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति इस समय कैसी है और क्या उन्हें भारत में अपने मित्रों और संबंधियों के साथ पत्र-व्यवहार करने की अनुमति प्राप्त है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या परिणाम हुआ है और उनकी शीघ्र रिहाई के लिये यदि और कोई कार्यवाही की जा रही है, तो क्या ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क) दो गोआनी स्वतंत्रता सेनानी श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे और डा० टेलो मस्करन्हासा पुर्तगाली जेलों में सजा भुगत रहे हैं। उनकी सजा की मियाद क्रमशः 26 वर्ष और 24 वर्ष है ।

(ख) हमारी सूचना के अनुसार श्री रानाडे और डा० मस्करन्हास, दोनों ही पुर्तगाली जेलों में बड़े धैर्य के साथ सजा काट रहे हैं । दुर्भाग्य से डा० मस्करन्हास का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है ; उनकी आयु 68 वर्ष की है । उन्हें भारत में अपने मित्रों और संबंधियों के साथ पत्राचार करने की इजाजत है ।

(ग) सरकार ने समय-समय पर इस सदन को इस बारे में सूचित कर रखा है कि इन स्वतंत्रता सेनानियों को छुड़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं । सरकार उन्हें रिहा कराने के लिए प्रत्येक मित्र देश के माध्यम से प्रयत्न कर रहा है ताकि भारत में अपने परिवारों से आकर मिल सकें ।

भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न संगठनों को देय धन

*455. **श्री प० गोपालन : श्री चक्रपाणि :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संयुक्त राष्ट्रसंघ के विभिन्न संगठनों को प्रति वर्ष औसतन कितना धन देता है, और

(ख) ऐसे संगठनों में कितने भारतीय नियुक्त हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा भगत): (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् का पुनर्गठन

*456. **श्री रवि राय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका विचार निकट भविष्य में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् का पुनर्गठन करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका उद्देश्य क्या है तथा इस परिषद् के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) परिषद् को पुनर्गठन करने के हेतु कार्यवाही शुरू की गई है।

(ख) परिषद् इस पर विचार करेगी कि राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, और समय-समय पर जो खतरे पेश आते हैं उनका सामना करने के लिए कौन से कारगर कदम उठाए जा सकते हैं।

परिषद् के सदस्यों की सूची तय की जा रही है।

मास्को रेडियो से प्रसारण

*457. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के विरोध-पत्र के उत्तर में रूस ने कहा है कि गैर सरकारी रेडियो स्टेशनों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके बाद मास्को रेडियो से और भी प्रसारण हुए हैं जो भारत की आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :

(क), (ख) और (ग) : माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे लोकसभा में 21-2-68 को तारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर को देखें। सोवियत विदेश कार्यालय ने यही कहा है कि संबद्ध प्रसारण केंन्द्र स्वायततताप्राप्त था और सोवियत सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं। बहरहाल, पिछली बार जब इस मामले पर सोवियत विदेश कार्यालय के समक्ष विरोध प्रकट किया गया था, तब से हमारे सुनने में कोई प्रतिकूल प्रसारण नहीं आया है।

विमान दुर्घटनायें

*458. **श्री कं० हाल्दर : श्री यशपाल सिंह :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो महीनों में लगातार कई विमान दुर्घटनायें हुई हैं जिनमें भारत वायु सेना और स्थल सेना के अनेक व्यक्ति मर गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक दुर्घटना की जांच की है ;

(ग) यदि हाँ, तो इनसे क्या पता चला है ; और

(घ) भविष्य में इन दुर्घटनाओं को न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) उस दुर्घटना के अतिरिक्त जो 7 फरवरी, 1968 को हुई और जिसमें एक आई० ए० एफ० परिवहन विमान 98 सेविवर्ग समेत लापता है, 1 जनवरी, 1968 से 5 और आई० ए० एफ० विमान एक दुर्घटनाएँ हुई, जिनमें जनहानि अन्तर्ग्रस्त थी।

(क) तथा (ग) इन सभी दुर्घटनाओं के संबंध में कोर्ट्स आँफ इन्क्वायरी बिठाई गई हैं, और न्यायालयों की कार्यवाहिएँ निरीक्षण अधीन हैं। जहाँ आवश्यक होगा कोर्ट्स आफ इन्क्वायरी की कार्यवाहिएँ सम्पूर्ण होने के पश्चात् ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकथाम के लिए प्रतिकार उपाय किए जाएंगे।

जल-प्रांगण की सीमा

*459. **श्री राम चन्द्र उलाका** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** जल-प्रांगण की सीमा के बारे में 4 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 436 से उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस मामले पर इस बीच विचार कर लिया है। और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Conversion of Saline Sea Water Into Potable Water

*460. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government had any consultations with the American experts this year for converting saline sea water into potable water by the use of atomic energy ; and

(b) if so the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) In November, 1967 a team of US scientists visited India to discuss various aspects connected with the production of low cost atomic power and its use. The dicussions covered the desalination of sea water. These discussions were exploratory and a Working Group constituted by the Indian Atomic Energy Commission is studying the matter in detail.

भारतीय दूतावासों/वाणिज्य दूतावासों का व्यय

*461. **श्री स० कुन्डू** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय मिशनों / वाणिज्य दूतावासों के व्यय को कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भागत) :

(क) जी हाँ।

(ख) भारतीय रुपए के अवमूल्यन के बाद, विदेश-स्थित अपने मिशनों / कोंसलावासों के 1966–67 के आवर्ती खर्च को कम करने के लिए उठाए गए क़दमों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(क) विदेश-स्थित मिशनों में अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर स्वीकृति, इनके प्रस्तावों पर, कार्य-अध्ययन विश्लेषण के आधार पर बहुत अच्छी तरह विचार कर लेने के बाद और उसके बाद विदेश मंत्रालय के किफ़ायत बोर्ड द्वारा विचार कर लेने के बाद, दी जाती है । बहुत-से पदों को खाली रखा जा रहा है, और नए पदों के बहुत-से प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया है ।

(ख) विदेशी मुद्रा की तंगी की हालत को देखते हुए बजट प्रस्तावों पर किफायत का ज्यादा-से-ज्यादा ध्यान रखकर विचार किया गया था, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि विदेश-स्थित हमारे मिशनों की कार्यक्षमता कम न होने पावे ।

(ग) 1966-67 के दौरान कोई नया मिशन नहीं खोला गया, और विदेशों में भारतीय प्रतिनिधित्व पर खर्च को कम करने के लिए देश में प्रत्यायित प्रतिनिधि को दूसरे देश में प्रत्यायित करने का तरीक़ा ही अख्तियार किया जाता रहा ।

(घ) 1966-67 में किफ़ायत की दृष्टि से उठाए गए इन क़दमों की वजह से 41·93 लाख रुपए की बचत हुई ।

छावनी अधिनियम के उपनियम

*462. श्री मधु लिमये : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अहमदनगर छावनी अधिनियम के उपनियम संख्या 204 की ओर दिलाया गया है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि यूरोप और भारत के वस्त्रों को अलग-अलग धोया जायेगा और धोने के बाद अलग-अलग रखा जायेगा ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 1924 के छावनी अधिनियम संख्या 2 के अन्य पुराने सम्बन्धों की ओर भी दिलाया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि इसे लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों और संविधान के अनुकूल बनाया जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) यह उपनियम धोबियों को छावनी बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले लाईसेंसों के संबंध में 1927 में अहमदनगर छावनी बोर्ड द्वारा बनाया गया था, और अब नोटिस में आया है तथा निरसित किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) केन्टोनमेंट्स एक्ट की संविधान के उपबन्धों के साथ संगतता का निरीक्षण किया गया है, और ऐसा विचार किया गया है कि, एक्ट का कोई अंश संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं करता तदपि, सैनिक स्थानों के तौर पर छावनियों के गुणस्वरूप से संगत छावनी प्रशासन में अन्य बातों समेत गणतन्त्रीकरण के और अधिक तत्व की पुरस्थापना के उद्देश्य से, एक्ट का संशोधन पहले से विचाराधीन है । एक संसदीय समिति

द्वारा सबार्डिनेट लेजिस्लेशन के पुनरीक्षण के दौरान सरकार का ध्यान कानपुर छावनियों के कुछ उपनियमों की ओर आकर्षित किया गया है कि जिनमें संशोधन आवश्यक है, और समिति की सिफारिश पर आवश्यक कार्यवाही की गई है । विशिष्ट विषयों पर प्रत्येक छावनी बोर्डों के उपनियमों की प्रतियां, उक्त समिति को उनकी इच्छानुसार सप्लाई की गई हैं । अप्रचलित तथा अवांछनीय उपबन्धों को अगर उनमें कोई हों, निकाल देने के उद्देश्य से, उपनियमों का निरीक्षण करने के लिए संबंधित अधिकरणों को और निदेश जारी किए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पेकिंग में भारतीय दूतावास

*463. **श्री हेम बरुआ :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास हाल ही में नये भवन में ले जाया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह स्थानान्तरण पेकिंग की सरकार के अनुरोध पर किया गया है ? और

(ग) यदि नहीं, तो किन विशिष्ट कारणों से स्थानन्तरण का निश्चय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क), (ख) और, (ग) चीन सरकार की जिद की वजह से भारतीय राजदूतावास विरोधस्वरूप नई इमारत में चला गया है । इस सिलसिले में चीन सरकार के साथ जो पत्राचार हुआ है वह सदन की मेज़ पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 363/68]

Industrial Collaboration with Iran

*464. **Shri G. C. Dixit** : Will the Ministerof **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any negotiations have been held between the Government of Iran and the Government of India for conducting a survey of the industries for mutually beneficial collaboration; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat):

(a) Yes, Sir.

(b) A delegation of Indian experts is to visit Iran shortly to study the possibilities of Indian collaboration in the setting up of small and medium scale industries in Iran. Further, possibilities of joint ventures and other types of economic co-operaton arrangements are being investigated by the two countries.

सेना में नये पद

*465. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थल सेना तथा नौसेना में कुछ नये अतिरिक्त पद बनाने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या-क्या अतिरिक्त पद बनाने प्रस्ताव है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) नये पद बनाने पर कितना खर्च होने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया है ।

विवरण

(क) से (ग) सैनिक सेवाओं में बढ़ी हुई जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए और कर्मचारियों के भविष्य में सुधार करने की दृष्टि से सरकार ने तीनों सेवाओं में 1मार्च से कुछ नियुक्तियों को क्रमोन्नत करने का निर्णय किया है ।

की गई क्रमोन्नतियाँ इस प्रकार हैं

थल सेना

मेजर जनरल से लैफ्टिनेंट जनरल...	5
ब्रिगेडियर से मेजर जनरल ...	10
करनल से ब्रिगेडियर ...	15
लैफ्टिनेंट करनल से करनल ...	55

नौ-सेना

वाइस एडमिरल से एडमिरल ...	1
रीयर एडमिरल से वाइस एडमिरल ...	1
कोमोडोर से रियर एडमिरल ...	2
कमाण्डर से कैप्टेन ...	4

(घ) आशा है थल सेना तथा नौ-सेना में इन क्रमोन्नतियों पर 3·30 लाख रु० प्रति व्यय वर्ष होगा ।

मद्रास में राष्ट्रीय ध्वज के निरादर की घटना

*466 **श्री हेमराज** : **श्री म० ला० सोंधी** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में नेशनल कैडेट कोर के विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीयध्वज तथा राष्ट्र-गीत, दोनों ही के प्रति असम्मान किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री एम० आर० कृष्णा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परमाणु हथियारों के रोकने की सन्धि के बारे में रूस द्वारा चेतावनी

*467. **श्री देवेन सेन** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी 1968 को दैनिक समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रूस ने यह चेतावनी दी है कि जो देश परमाणु हथियारों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने की सन्धि में सम्मिलित

नहीं हुए हैं, उन्हें आणविक सहयोग के वे लाभ प्राप्त नहीं होंगे जो सन्धि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को प्राप्त होंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ का प्रतिनिधि, जो कि परमाणु अस्त्रों के विस्तार-प्रसार को रोकने से संबद्ध मसौदे की संधि रखने वाले देशों में से एक है, स्पष्टतः इस संधि पर अपनी सरकार का मत समझा जा रहा था। भारत सरकार की स्थिति संसद् मे पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

कच्छ के तट के साथ भारतीय जल-प्रांगण में पाकिस्तानी नावों का अवैध प्रवेश

*468 **श्री वामनी :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० सोंधी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा पुलिस ने कच्छ के तट के साथ चालकों सहित पाकिस्तानी नावें पकड़ी थीं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी नावें पकड़ी गईं ; और

(ग) भारतीय जल प्रांगण में इस प्रकार के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

प्रति-रक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह (क) तथा (ख) : कच्छ के तट के निकट भारतीय जलक्षेत्र में अमले समेत 33 पाकिस्तानी जलपोत पकड़ लिए गए हैं। इनमें 30 भारतीय नौसेना द्वारा पकड़े गए थे दो पोलीस द्वारा और एक कस्टम अधिकारियों द्वारा।

(ग) ऐसे गैर-कानूनी प्रवेशों की रोकथाम के लिए राजनैतिक और अन्य उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

कच्छ न्यायाधिकरण के समक्ष भारतीय पक्ष का पेश किया जाना

*469 **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय कच्छ न्यायाधिकरण के समक्ष भारतीय पक्ष को पेश करने तथा उसकी तैयारी से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम तथा उनकी शैक्षिक अर्हताएँ क्या हैं ;

(ख) सभी कानूनी विशेषज्ञों के काम का समन्वय करने की किस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, उसको नियुक्त करने के क्या कारण थे और उसे दी गई उपलब्धियों की राशि क्या थी ;

(ग) भारत द्वारा कच्छ के मामले को पेश करने तथा उनकी तैयारी के दौरान भारतीय नागरिकों तथा उनके परिवारों ने कुल कितनी बार यात्रायें की ; और

(घ) मामले की कुल कितनी बार सुनवाई हुई और इसमें कितनी बार सुनवाई भारत की प्रार्थना पर की गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) एक ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया है । [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 364/68**]

(ग) भारत के अटार्नी जनरल, श्री सी० के० दफ्तरी को प्रमुख वकील के रूप में नियुक्त किया गया था और उस हैसियत से वह सभी कानूनी विशेषज्ञों के कार्य का समन्वय करते थे । ट्रिब्यूनल के समक्ष भारत की ओर से पेश होने के लिए फीस के रूप में उन्हें अबतक 94,080 रुपए दिए जा चुके हैं ।

(ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(घ) कुल 170 बार सुनवाई हुई । ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत कार्यविधि संबंधी नियमों के अनुसार सुनवाई हुई थी ।

इंग्लैंड में कीनिया के भारतीयों के प्रवेश के बारे में इंग्लैंड की सरकार से परामर्श

*470. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया के भारतीयों के इंग्लैंड में प्रवेश के बारे में भारत की सरकार ने इंग्लैंड की सरकार से परामर्श किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टोरी सरकार द्वारा दिये गये वचनों के विरुद्ध भारतीयों के प्रवेश पर और प्रतिबन्ध लगाये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) कीनिया के कितने भारतीय अब तक इंग्लैंड में बस चुके हैं और कितने भारतीयों को अभी कीनिया से निकाला जाना है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) युनाइटेड किंगडम और उपनिवेशी पासपोर्ट-धारियों के यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश से संबद्ध नया कानून 1 मार्च, 1968 को लागू हो गया ।

(ग) कीनिया में एशियाई मूल के जिन लोगों के पास यूनाइटेड किंगडम और उपनिवेशी पासपोर्ट थे, उनकी संख्या अनुमानत: 1,00,000 और 1,30,000 के बीच थी । विभिन्न प्रेस रिपोर्टों के अनुसार उनमें से लगभग 15,000 लोग नए कानून के बनने से पहले यूनाइटेड किंगडम पहुँच गये थे । बाकी लोग अभी कीनिया में हैं ।

Protest notes sent to Pakistan and China

*471. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of protest notes sent by the Government of India to China and Pakistan during the last five years ;

(b) the language in which the said notes were written ;

(c) whether it is a fact that the said protest notes are ridiclued by the Radios of both the countries ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat):

(a) Hundreds of portest notes have been sent to China and Pakistan in the last 5 years.

(b) English.

(c) In keeping with their anti-India tone, the radio broadcasts by Pakistan and China have occasionally criticised some of these notes in intemperate language.

(d) The Government of India have taken note of these comments and have to takes to counter-act the propaganda.

दक्षिण वियतनाम में आहत असैनिक लोगों की सहायता

***472. श्री चेंगलराया नायडू : श्री काशी नाथ पाण्डेय : श्री दीवीकन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण वियतनाम के लिये महा वाणिज्य दूत ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि दक्षिण वियतनाम के अनेक शहरों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर वियतकांगों के आक्रमणों के परिणामस्वरूप बेघरबार हुए तथा आहत असैनिक लोगों की सहायता की जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) :

(क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार ने भारतीय रेड क्रास सोसायटी के जरिये 10,000 रुपए मूल्य की दवाइयां और पाउडर का दूध भेजने का प्रबंध किया है।

राष्ट्र-गीत तथा राष्ट्रीय-ध्वज के चलचित्र

***473. श्री जुगल मंडल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि राष्ट्रीय झंडे तथा राष्ट्रीय गीत की फटी-पुरानी फिल्में न दिखाई जायें : और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) ; (क) जी हाँ।

(ख) कुछ राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि उन्होंने सिनेमा गृहों के प्रबन्धकों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए हैं।

पाकिस्तान में बुधबेर में अमरीकी सैनिक अड्डा

***474. श्रीशिवचन्द्र झा : श्री जि० मो० बिस्वास :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने पाकिस्तान में बुधबेर स्थान पर एक सैनिक दूर संचार केन्द्र और सूचना परेषण (मॉनिटरिंग) अड्डा स्थापित किया है।

(ख) यदि हाँ, तो क्या अमरीकी सैनिक अड्डा भारत के सभी वैमानिक गतिविधियों के स्पष्ट चित्र उतार सकेगा जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके प्रतिकार के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) :

(क) हमारी सूचना के अनुसार 1958-59 में पेशावर के पास बाडबेर में अमरीकी वायुसेना का एक संचार केंद्र स्थापित किया था जो अब भी वहाँ बना हुआ है।

(ख) हमारे पास इस बारे मे कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ताशकंद घोषणा

***475. श्री हेम बरुआ : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान हमारी वायु सीमा का उल्लंघन कर, सीमा पार से गोलीबारी कर और विदेशों से भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये हथियार तथा गोलाबारूद एकत्र कर ताशकन्द घोषणा का जानबूझ कर उल्लंघन कर रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि पाकिस्तान ताशकन्द घोषणा का उल्लंघन न कर सके सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने जब भी ताशकंद घोषणा का उल्लंघन किया है, तभी भारत सरकार ने विरोध प्रकट किया है। सदन को समय-समय पर उठाए गए प्रश्नों के उत्तरों में इन उल्लंघनों के बारे में सूचित किया जा चुका है। उल्लंघनों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में भारत और पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों की बैठक और दोनों के वायु सेनाध्यकों की बैठक भी शामिल हैं। इन बैठकों में उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रक्रिया और दिशादर्शन तय किया गया है। जहाँ तक पाकिस्तान द्वारा विदेशी सूत्रों से हथियार और गोला-बारूद लेने का सवाल है, माननीय सदस्य का ध्यान 11-12-1967 को लोकसभा में तारांकित प्रश्न सं० 579 के उत्तर की ओर दिलाया जाता है जिसमें इसी विषय पर पहले पूछे गए प्रश्नों का उल्लेख था।

राजस्थान और गुजरात की सीमाओं पर पाकिस्तान की युद्ध के समान तैयारियां

***476. श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 के संघर्ष के बाद पाकिस्तान गुजरात तथा राजस्थान सीमा के साथ मुगरबिन तथा चौड में नए हवाई अड्डे बनाने के साथ काफी सीमा-चौकियां भी बनाता रहा है और इस सीमा के साथ-साथ अपनी ऐसी सेना भी जमा कर रहा है जिसे रेगिस्तानी युद्ध में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान ने अमरकोट के निकट विलिआरी में एक डिवीजन सेना तैनात कर दी है और विलिआरी सैनिक केन्द्र को हाल ही में अमरीकी तथा चीनी टैंकों से भरी एक रेलगाड़ी भेजी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सीमा को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सैनिक महत्व की मदों के निर्माण, सैनिकों की गतिविधि इत्यादि समेत, अपनी सीमाओं के उस पार पाकिस्तान सैनिक कर्यकलाप पर सरकार सतर्कता से नजर रखे हैं। जबकि विस्तार प्रकट करना संभव नहीं है, यह बताया जा सकता है कि गुजारात और राजस्थान सीमाओं के उस पार कोई ऐसी हलचल नहीं हुई है, जो आतंक का कारण बन सके। अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यकक उपाय, अपनी संक्रियात्मक योजनाओं के अंश के तौर पर समुचित रूप से किए जाते हैं।

किर्की में बारूद बनाने के कारखाने में विस्फोट

***477. श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 फरवरी, 1968 को किर्की में बारूद बनाने के कारखाने में हुए विस्फोट में तीन व्यक्ति मारे गये थे ;

(ख) क्या इस विस्फोट के बारे में कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(घ) इस मामले में तथा हताहतों के परिवारों को सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) ।

(क) 21-2-1968 के विस्फोट में एक औद्योगिक कर्मचारी मारा गया, एक अन्य सैनिक हस्पताल में भर्ती किए जाने के पश्चात् उसी दिन निधनप्राप्त हो गया।

(ख) विस्फोट के कारणों की जांच तथा प्रतिकारी उपायों का सुझाव देने के लिए 3 अफसरों पर सम्मिलित एक बोर्ड आफ इन्क्वायरी नियुक्त कर दिया गया हैं।

(ग) तथा (घ) बोर्ड आफ इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्रतीक्षित है, निधनप्राप्त कर्मचारियों के कुटुम्बों की सहायता करने के उपायों के संबंध में एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

21-2-1968 को किरकी की एम्यूनीशन फैक्ट्री की दुर्घटना में मरने वाले दो औद्योगिक कर्मचारियों के कुटुम्बों की सहायता के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :—

(1) प्रत्येक विधवा को साहनी स्मारक ट्रस्ट निधि से 1000 रूपये नकद प्रदान किए गए हैं।

(2) एम्यूनीशन फैक्टरी क्रेडेट समिति से विधवा को 75 रूपये नकद दिए गए हैं।

75 रुपये की एक और राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही समिति के मृत्यु तथा कल्याण निधि से 500 रुपये प्रदान किए जा रहे है।

(3) वर्कमेन्ज़ कम्पेन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत मुआवजे के दावे किए गए हैं। कुटुम्बों को नियमों के अन्तर्गत देय कुटुम्ब पेन्शन तथा मृत्यु उपदान भी मिलेगा।

(4) दोनों मृत कर्मचारियों की विधवाओं को 70-85 वेतमान पर 'बी' ग्रेड में श्रमिकों के तौर पर रोजगार देने की पेशकश की गई है। आशा है वह शीघ्र काम पर आ जाएंगी।

आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को देय राशि का भुगतान

*478. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों को उनके जब्त वेतन तथा भत्तों का कुछ भाग नकद तथा अंशत: राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों के रूप मे देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि आज़ाद हिन्द फौज एसोसियेशन ने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि पूरी देय राशि का नकद भुगतान किया जाये;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं।

(घ) चूंकि अधिकतर राशि दी जा चुकी होगी, अदायगी को लम्बे अर्से के लिए फैलाना आवश्यक नहीं समझा गया। कुछ भी हो, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट उनके जारी होने से दो वर्ष बाद किसी भी समय नकद अदायगी के लिए प्रस्तुत किए सकेंगे।

"एन ईवनिंग इन पेरिस" नामक चलचित्र

3010. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एन ईवनिंग इन पेरिस' नामक हिन्दी चलचित्र साम्प्रदायिकता की दृष्टि से आपत्तिजनक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब में इस चलचित्र को दिखाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो समस्त देश में इसके प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड की राय में फिल्म उसके सेंसर होने के बाद के रूप में आपत्तिजनक नहीं थी।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार इस मामले में सचेत है और अखिल भारतीय आधार पर शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग

3011. **श्री दीवीकन : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने 29 जनवरी, 1968 को हुई संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग की बैठक में उससे विद्यमान, नियमों, विधियों तथा अभिसमयों की जांच करने तथा यह देखने के लिये कि वे कहाँ तक संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन द्वारा सुझाये गये विकास संबंधी सिद्धान्तों के अनुरूप हैं, आग्रह किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत अपनी बात मनवाने में कहाँ तक सफल हुआ है ; और

(ग) भारतीय प्रतिनिधियों ने इस बैठक में अन्य क्या प्रस्ताव रखे ?

प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हाँ। न्यूयार्क में 29 जनवरी, से 23 फरवरी 1968 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के प्रथम अधिवेशन में भारतीय प्रतिनिधि ने इस बात पर जोर दिया था कि इस आयोग का काम पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। भारत की ओर से यह भी कहा गया कि वास्तव में इस आयोग को अंकटाड के कानूनी अंग के रूप में कार्य करना चाहिए और अपने प्रादेश पूरा करना चाहिए।

(ख) अधिकांश दूसरे प्रतिनिधि मंडलों ने भारतीय प्रतिनिधि द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोण का समर्थन किया और किसी भी प्रतिनिधि मंडल ने विरोध नहीं किया।

(ग) भावी कार्यक्रम के बारे में आयोग में तीन सप्ताह के गतिरोध के बाद, भारतीय प्रतिनिधि ने दूसरे आगे एशियाई देशों के प्रतिनिधियों के समर्थन से इस विषय पर एक प्रस्ताव रखा था जो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार आयोग के सफल संचालन को सुविधाजनक बनाया। इस प्रस्ताव के आधार या आयोग (क) माल की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को, (ख) वाणिज्यिक पंचनिर्णय को और (ग) अंतर्राष्ट्रीय अदायगी को वरीयता देगा।

आण्विक कृषि-औद्योगिक उद्योग समूह

3012. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खाद्य उत्पादन संबंधी कार्यक्रम की गति को तेज करने के लिए भारत की सहायता करने हेतु अमरीका सरकार ने एक "आण्विक कृषि-औद्योगिक उद्योग समूह योजना" है का प्रस्ताव पेश किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अमरीका सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेपाल, भूटान और सिक्किम में भारत की सहायता से बनाई गई सड़कें

3013. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल, भूटान और सिक्किम में भारत की सहायता से अब तक कितने मील लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में और कितने मील लंबी सड़कें बनाई जायेंगी ?

प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी):

(क) 31-12-1967 तक अनुमानतः 819 मील।

(ख) 1-4-1966 से 31-3-1971 की अवधि के बीच अनुमानत: 445 मील।

भूटान के लिये धन का नियतन

3014. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भूटान राज्य के विकास के लिये धन नियत करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या ?

प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) सम्माननीय सदस्य का ध्यान लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1076 दिनांक 20-11-1967 की ओर आकर्षित किया जाता है।

पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के सम्बन्ध में आकाशवाणी पर चर्चा

*3015. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : **श्री लि० कु० मोदक** :
श्री गणेश घोष : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या पश्चिम बंगाल विधान सभा के अध्यक्ष के हाल के निर्णयों के बारे में आकाशवाणी पर चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के निर्णयों के बारे में भी इसी प्रकार की कोई चर्चा हुई थी ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की स्थिति की चर्चा हुई थी जिसमें अध्यक्ष और राज्यपाल का संवैधानिक रोल और उनकी कार्यवाहियों में अन्तर्निहित बातों पर चर्चा हुई थी।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

अटामिक मिनरल्स डिवीजन के कर्मचारी

3016. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री सा० स्व० शर्मा :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अटामिक मिनरल्स डिवीजन के अनुसचिवीय/प्रकासकीयतक/नीकी राजपत्रित कर्मचारियों को अर्ह सेवा पूरी करने के बाद स्थायी घोषित कर दिया गया है : और

(ख) यदि हां, तो इनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) अटामिक मिनरल्स डिवीजन के कर्मचारियों को स्थायी घोषित करने का काम जारी है और इसके निकट भविष्य में पूरा हो जाने की आशा है। 85 वैज्ञानिक, 9 तकनीकी और 5 प्रशासनिक राजपत्रित अधिकारी अब तक स्थायी पदों पर स्थायी घोषित किए जा चुके हैं।

अटामिक मिनरल्स डिवीजन के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

3017 **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री ना० स्व० शर्मा :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अटामिक मिनरल्स डिवीजन में पदोन्नति के बारे में सेवा की शर्तें अणु-शक्ति विभाग के अन्य डिवीजनों में सेवा की शर्तों से भिन्न है :

(ख) क्या यह भी सच है कि भाभा अणु अनुसंधान केन्द्र तथा अन्य डिवीजनों में कर्मचारियों को किसी एक ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर पदोन्नति के लिये पात्र समझा जाता है : और

(ग) यदि हां, तो अटामिक मिनरल्स डिवीजन में इस प्रकार की प्रक्रिया को न अपनाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी हां, कुछ ग्रेडों में।

(ख) जी हां, कुछ ग्रेडों में पदोन्नति के लिए।

(ग) भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र का काम अटामिक मिनरल्स डिवीजन के काम से कुछ अलग किस्म का है। यह डिवीजन ज्योलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया की तरह मुख्यतः सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण का काम करता है।

Letters written in Hindi by Indian Missions Abroad

3018. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of letters written in Hindi or replied to in Hindi by the Indian Embassies abroad during the past one year ;

(b) the number of Indian Ambassadors who can sign in Hindi and the number of those who can read and write Hindi ; and

(c) the number of Ambassadors who presented their credentials in Hindi duing the past three years ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) The Letters of Credence and Commission which are presented by our Envoys to the Heads of receiving States are in Hindi.

मंत्रियों द्वारा भारतीय वायु सेना के हेलिकाप्टरों का प्रयोग

3019. **श्री नम्बियार :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री नायनार : **श्री उमानाथ :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत नौ महीनों में प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा कितनी बार भारतीय वायु सेना के हेलीकोप्टरों का प्रयोग किया गया है ;

(ख) ऐसी उड़ानों में कितना धन व्यय होता है ; और

(ग) भारतीय वायु सेना के हेलिकाप्टर किन परिस्थितियों में असैनिक कार्यों के प्रयोग के लिए दिए जाते हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1-7-1967 से 31-1-1968 की अवधि के दौरान 25 बार।

(ख) 494945 रूपये।

(ग) साधारणत : आई० ए० एफ० हेलिकाप्टर लोहित में असैनिक प्रयोग के लिए दिए जाते हैं।

भारत छोड़कर चले जाने के लिए विदेशी राजनयिकों से कहना

3020. **श्री एस्थोस :** **श्री रमानी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 से अब तक कितने मामलों में पश्चिमी देशों के विदेशी राजनयिकों को भारत छोड़कर चले जाने को कहा गया है। और

(ख) किन-किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, विदेश मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

(क) और (ख) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भारतीय आर्थिक सम्मेलन

3021. **श्री वेदव्रत बरुआ : श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में मद्रास में हुए भारतीय आर्थिक सम्मेलन द्वारा सुझाव दिया गया है कि योजना की पूर्ववर्तिता निर्धारित करने के बारे में योजना आयोग को सलाह देने के लिये प्रमुख उद्योगपतियों और व्यापारियों की सलाहकार-तालिका बनाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) भारतीय आर्थिक सम्मेलन से योजना आयोग को इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग

3022. **डा० रानेन सेन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया जाता है,

(ख) क्या सरकार ने लंदन स्थित भारतीय राजनयिक मिशन को कम खर्च पर चलाने की संभावना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) 1967-68 के लिए 1,27,64,900 रुपए (अंतिम अनुमान) ।

(ख) और (ग) जी हां । विदेश सेवा निरीक्षकों ने जगहों में कमी करने और भारतीय हाई कमीशन के काम में कुछ सुधार करने की सिफारिश की है । उन्होंने मार्च/अप्रैल 1967 में उस मिशन का निरीक्षण किया था । कुछ जगहें पहले ही कम की जा चुकी हैं और रिपोर्ट पर अमल करने के विषय में अन्य संबद्ध मंत्रालयों से सलाह-मशविरा करके विचार किया जा रहा है ।

स्वायत्तशासी उत्पादन बोर्ड

3023. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संबंधी उद्योगों के लिये रेलवे बोर्ड जैसा एक स्वायत्तशासी उत्पादन बोर्ड स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसके कृत्य क्या होंगे ;

(ग) प्रस्तावित बोर्ड प्रतिरक्षा संबंधी उद्योगों की कार्यकुशलता कहां तक बढ़ायेगा ; और

(घ) इस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

Atomic Energy for Inaccessible regions of Himalayas

3025. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to draw up a scheme of using atomic energy for the development of inaccessible regions of Himalayas ;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the names of regions to be developed under this scheme and the estimated expenditures involved ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

डा० तेजा के विरुद्ध निष्कासन-कार्यवाही पर किया गया व्यय

3026. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० धर्म तेजा के विरुद्ध निष्कासन कार्यवाही के मामले पर सरकार द्वारा अब तक कितना धन व्यय किया गया है ।

प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

कटक आकाशवाणी केन्द्र के लिये भवन

3027. **श्री रवि राय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक आकाशवाणी केन्द्र के लिए एक अलग भवन बनाने और उसमें और सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क), (ख) और (ग) जी हां । आकाशवाणी की चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में कटक में स्थायी स्टूडियो और कार्यालय के लिए एक भवन बनाने की व्यवस्था है । इस प्रायोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित साधन और विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने पर शुरू किया जाएगा।

सैनिक इंजीनियरी सेवा में अर्ध-स्थायी कर्मचारी

3028. **श्री य० अ० प्रसाद : श्री अनिरुद्धन :**
श्री अ० क० गोपालन : श्री एस्थोस :

क्या रक्षा मंत्री 18 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4673 के भाग (ग) के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) क्या 3 वर्ष से अधिक अवधि के सभी अर्ध-स्थायी कर्मचारियों को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले स्थायी बनाने के लिये इस बीच कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एम० आर० कृष्णा) : (क) तब से सूचना इकट्ठी की जा चुकी है और 10-12-1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4673 के उत्तर में दिए गए आश्वासन की पूर्ति संबंधी एक विवरण संसदीय कार्यों के मंत्री द्वारा लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) यथासंभव अधिकाधिक अस्थायी स्थानों को वर्तमान आदेशों के अनुसार स्थायी स्थानों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से पुनरीक्षण किए जा रहे हैं। पुनरीक्षणों की सम्पूर्ति पर, और स्थायी स्थानों के लिए स्वीकृति दिए जाने पश्चात् स्थायी किए जाने के अधिकारी, अर्धस्थायी अफसरों को यथासंभव स्वीकृति दिए गए स्थायी रिक्त स्थानों में स्थायी बना दिए जाएंगे ।

विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यकलाप

3029. **श्री कामेश्वर सिंह : श्री श्रीधरण :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यकलाप के बारे में समय-समय पर अनुमान लगाया है :

(ख) यदि हां, तो लन्दन स्थित उच्चायुक्त के काम का पिछली बार कब निर्धारण किया गया ; और

(ग) निर्धारण के क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) विदेश सेवा निरीक्षण समय-समय पर हमारे विदेश स्थित मिशनों का निरीक्षण करते रहते हैं ।

(ख) मार्च-अप्रैल 1967 में ।

(ग) निरीक्षकों ने जगहों में कमी करने और हाई कमीशन के कार्य-संचालन में कुछ दृष्टियों से सुधार करने के बारे में सिफारिशें की हैं। कुछ जगहें पहले ही कम की जा चुकी हैं और निरीक्षकों की अन्य सिफारिशों के अमल पर अन्य मंत्रालयों से सलाह-मशविरा करके विचार किया जा रहा है ।

गुड़गांव के निकट प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए भूमि का अर्जन

3031. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़गाँव जिले में प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिए बड़े-बड़े भूखण्डों का अर्जन कर लिया है गया;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए अब तक कितने एकड़ भूमि का अर्जन कर लिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूमि के स्वामियों के लिए अब तक कोई प्रतिकर तथा किराया नहीं दिया गया है ;

(घ) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने प्रतिकर के शीघ्र भुगतान के बारे में आश्वासन दिया है; और

(ङ) प्रधान मंत्री के आश्वासन को पूरा न करने के क्या कारण हैं ?

प्रति-रक्षा मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) से (ङ) : गुड़गांव जिले में रक्षा उद्देश्यों के लिए लगभग 4757 एकड़ भूमि अर्जित की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ भूमि अधिग्रहण अधीन और किराये पर ली गई है। अर्जित की गई भूमि के लिए मुआवजे के तौर पर, अर्जन मूल्य के रूप में स्वीकृत की गई लगभग समस्त राशि की अदायगी कर दी गई है। अधिगृहीत भूमि के लिए किराया मार्च 1966 के अन्त तक अदा कर दिया गया है और किराये पर ली गई भूमि के लिए दिसम्बर 1964 तक। संबंधित व्यक्तियों को देय राशियों की शीघ्र अदायगी के लिए प्रधान मंत्री को अभिवेदन दिए गए हैं, और बकाया अदायगी के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

आयुध उपकरण कारखाने

3032. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाने के यूनिट का मुख्यालय अब भी कलकत्ता में है ;

(ख) इसे कानपुर नहीं ले जाने क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) आर्डनेंस इक्विपमेंट फैक्टरीज ग्रुप के मुख्यालय को अभी कलकत्ता से स्थानान्तरित नहीं किया जा सका, उसका मुख्य कारण है कानपुर में कार्यालय और कर्मचारीगण के लिए भवनों की अप्राप्यता। कुछ प्रशासनिक समस्याएँ भी हैं, जो विचाराधीन हैं।

(ग) इस ग्रुप के मुख्यालय को कानपुर में स्थित करने संबंधी निर्णय पहले से लिया गया है। वास्तविक प्रस्थान भवनों की प्राप्यता और प्रशासनिक समस्याओं के हल हो जाने के शीघ्र ही पश्चात् कार्यान्वित किया जाएगा।

औद्योगिक परिषद् की बैठकें

3033. **श्री० स० मो० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22, 23 और 24 जनवरी, 1968 को त्रिवेन्द्रम में औद्योगिक परिषद् की बैठकें हुई थीं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या उनकी क्रियान्विति के लिये कोई स्थायी समिति बनाई गई है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 365/68]**

विदेशों के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम

3034. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि 20 वर्ष की स्वतंत्रता के पश्चात् विदेशों में भारत के सिद्धान्तों और दृष्टिकोणों के बारे में बहुत कम जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में भारत का सही चित्रण करने के लिये अपनी प्रचार-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोई योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह सही नहीं है और यह अपने-अपने विचार की बात है ।

(ख) विदेश-मंत्रालय की सूचना-सेवा जागरूक है। यह मंत्रालय बड़े पैमाने पर पत्रिकायें, समाचार-पत्र, पुस्तकें, फिल्में, पुस्तिकायें, तस्वीरें आदि और आकाशवाणी के कार्य-क्रम तैयार कर सप्लाई करता है। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के विदेशों के लिये प्रसारणों में भारत से सम्बन्धित सामयिक महत्वपूर्ण मामलों, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, को स्थान दिया जाता है। तथापि, अति ऊँची शक्ति के मोडियम वेव और ऊँची शक्ति के शार्टवेव ट्रांसमीटरों के उपलब्ध होने पर प्रचार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकेगा तथा अधिक सन्तोषजनक सेवा दी जा सकेगी ।

Training of Foreign Army Personnel

3035. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Miniser of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it a fact that some Officers of the Indian Army and Air Force are imparting training to foreign soldiers in foreign countries ;

(b) if so, their number and the names of countries to which they have been sent to impart training during the last 5 years ;

(c) the country wise number of such Officers who are still abroad ;

(d) whether the expenditure on their salary and allowances is borne by the Government of India or by the country in which such officers impart training ; and

(e) the pay scales given to the Indian Instructors in foreign countries ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) , (b) and (c) Yes, Sir. During the last five years, the services of 79 Indian Army and Air Force Officers were lent to various friendly foreign countries at their request for imparting training to their armed forces personnel. Out of them, 45 officers are still serving abroad. It is not customary to divulge the names of the countries assisted without their consent.

(d) Normally, all expenditure in respect of pay and allowances of these officers is borne by the foreign Governments concerned.

(e) These officers draw a consolidated salary on the basis of their pay in India plus the foreign allowances as admissible in the countries to which their services are lent.

Invitation to Press Correspondents at Functions in Honour of Soviet Prime Minister at Hardwar

3036. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi and Urdu newspaper correspondents and Journalists were not allowed to attend the functions held during the visit of the Soviet Prime Minister to Hardwar;

(b) whether any direction to this effect was issued by the Central Government ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) (b) and (c) No, Sir. On the contrary, the Press Information Bureau extended all facilities to Correspondents/Cameramen accredited with the Government of India including represenatives of Hindi and Urdu newspapers, who expressed their interest to cover His Excellency Mr. Kosygin's visit to Hardwar by way of free accommodation in the train, local transport and hospitality etc.

Indian Jawans with U.N.O.

3037. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Indian Army Officers and Jawans who have been killed since 1958 to date while serving in foreign countries at the request of U.N.O. ;

(b) the amount of compensation paid by the Government of India and U.N.O. to the next of the kin of each Officer and solder killed ;

(c) whether pension is being paid by Governmant to the next of the kin of those officers and soldiers who have been killed ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The information is as under :

(i) **Killed in action including presumed killed**

Officers	5
Personnel other than officers ..	34

(ii) **Killed in accidents**

Officers	2
Personal other than officers	12

(b) In addition to the pensionary benefits admissible a sum of Rs.70,000 has been paid from the Prime Minister's National Relief Fund, to the next of-kin of the 14 Indian Army personnel (comprising 1 officer and 13 personnel other than officers) killed in action in Gaza.

Under Regulation 40 of the Regulations for U. N. Emergency Force, the Indian Army personnel who are sent for U. N. assignments in foreign countries are entitled to benefits of compensation awards on the same terms as are applicable in India to Indian Army personnel killed in operational duty. The expenditure incurred by Government of India in this connection is, however, recoverable from the U. N. O.

(c) Yes, Sir. Pension is being paid to all those who are eligible under the rules.

(d) Does not aise.

Indian Soldiers with U.N.O.

3038. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence be pleased** to state :

(a) the number of Indian Army personnel who were sent to foreign countries during the period from 1957 to December, 1967 at the request of U. N. O. ;

(b) the number of Commissioned Officers among them ;

(c) the number of those military personnel out of them who have come back to India so far; and

(d) the number of those Military personnel who are still serving in the foreign countries and the number of commissioned Officers among them ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) 25,423 (all ranks)

(b) 937.

(c) All except 55 who were killed in action or in accidents abroad and one officer who continues to serve the U. N. even though he has since retired from the Indian Army.

(d) One Commissioned Officer as indicated in answer to (c).

Reimbursement of Medical Expenses of Children and Parents of Jawans

3039. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government do not reimburse the expenditure incurred on the medical treatment of the parents and children of Jawans by private doctors ; and

(b) if so, the reason there for and the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna):

(a) and (b) The term "family" for the purpose of medical attendance of Jawans means their wives and un-married children under 18 years, including step-children or adopted children, dependent on them. It does not include their parents. Under the existing orders, the liability of the Government for affording medical treatment to families of Jawans, is restricted to the facilities available from service sources. However, in emergent cases and as a life-saving measure, sick families of Jawans, who are borne on the authorised married roll and reside at stations where military medical facilities are not available and where no Armed Forces Hospital is located in the adjoining town or Cantonment are allowed to avail of facilities in the local civil hospitals both as in patient and out-patients. Expenditure incurred on the purchase of medicines from the market on the advise of authorised medical attendant which are not available in the civil hospital/dispensary, are re-imburseable subject to certain conditions.

No proposal is under consideration to liberalise the existing entitlements further.

I. A. F. Accident near Kanpur

3040. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an aircraft met with an accident in Kishanpur village near Kanpur during December, 1967 ;

(b) if so, the causes of the accident ; and

(c) the loss of life and property sustained as a result thereof ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A Court of Inquiry has been held. The cause of the accident and the extent of loss to Service property will be known when its report is finalised. There was no loss of life or damage to any civilian property.

भारत में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना

3041. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान** मंत्री 20 नवम्बर 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1070 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में परमाणु बिजलीघर बनाने में सहयोग के बारे में एक पक्ष द्वारा दिये गये मुख्य सुझावों पर अग्रेतर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, वैदेशिक-कार्य तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) सुझाव विचाराधीन है ।

जवानों के वेतन तथा भत्ते

3042. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के जवानों के वेतन और भत्तों में उसी अनुपात में वृद्धि की है, जिस अनुपात से जीवन-यापन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में 1947 की तुलना में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) तथा (ग) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 366/68]

भारतीय सांख्यिकी संस्था

3043. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **प्रधान** मंत्री 18 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकी संस्था की पुनर्विलोकन-समिति की सिफारिशों पर अब निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा की योजनायें

3044. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये अपनी योजनायें भेज दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक - कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करना

3045. **श्री काशी नाथ पाण्डे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 27 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2053 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह: (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें उन फिल्मों का ब्यौरा दिया हुआ है जो राज्य सरकारों/संघ प्रशासित क्षेत्रों द्वारा मनोरंजन कर से मुक्त की गईं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 367/68]

Kavi Sammelan at Red Fort on 26th January , 1968

3046. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the "Kavi Sammelan" usually organised at Red Fort on the occasion of the 26th January, 1968 was broadcast this year after being recorded while the "Urdu Mushaira" was directly broadcast from there ;

(b) if so, the reasons for indifference shown towards the national language "Hindi" by A. I.R. in this manner ; and

(c) the action Government propose to take in the matter ?

Minister of Information and Boradcasting (Shri K. K. Shah) : (a) No, Sir. There was no direct relay of either the Kavi Sammelan or the Mushaira.

(b) and (c) Does not arise.

Civilian Factories for Manufacturing Military Equipment

3047. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Defence be** be pleased to state :

(a) whether Government have prepared any list of factories in the private sector which can manufacture war equipment and their components when required ; and

(b) if so, whether the quality of their products has been tested with a view to see that they are not substandard for the purpose in view ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra): (a) and (b) To become self-reliant in respect of the imported items and to supplement the production in the Defence undertakings, manufacture of equipment and components is being progressively entrusted to the factories in the private sector. Sample rooms have also been opened at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras where private sector enterprenurs who are interested in taking up the manufacture of the items displayed are given necessary guidance and assistance to select items, for the manufacture of which they have the requisite capability and capacity. A record of the

factories which show interest and are considered capable of taking up manufacture of such items is maintained.

The quality of the supplies against contracts placed on such firms is ensured by inspection according to specified standards.

Manufacture of 12-Bore Cartridges

3048. **Shri Maharaj Singh Bharati:** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of 12-bore rifles cartridges in the country,

(b) whether the civil needs of these cartridges have been met by the quantity produced in the Ordinance factories ; and

(c) the time by which the said shortage is likely to be removed ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir

(b) and (c) The capacity to manufacture 12-bore ammunition in Ordnance Factories has been augmented from December, 1966 onwards and present production is considered adequate to meet the present civilian demands.

आयुध कारखानों द्वारा बन्दूकों का निर्माण

3049. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयुध कारखानों द्वारा प्रतिवर्ष कितने रिवाल्वर तथा कितनी बन्दूकें बनाई जाती हैं; और

(ख) पूरी मांग की पूर्ति करने के लिये रिवाल्वरों और बन्दूकों के निर्माण का लक्ष्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) आयुध कारखानों में असैनिक आवश्यकताओं के लिए अभी तक कोई रिवाल्वर उत्पादित नहीं किए गए।

12-बोर डी० वी० वी० एल० बन्दूकों का निर्माण जो 1962 के अन्त से स्थगित कर दिया था, मार्च, 1966 से फिर से शुरू कर दिया गया था।

(ख) हस्तात कार्यक्रम के अनुसार, आशा है कि 1968-69 के दौरान असैनिक मांग की पूरी तरह पूर्ति शुरू हो जाएगी।

हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजनायें

3050. **श्री हेमराज** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 के लिए हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजना इसमें 1 नवम्बर, 1967 को पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के विलय से पूर्व बनाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसका आकार क्या था और उसमें कितनी धनराशि व्यय की जानी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1967-68 की वार्षिक योजना बनाने के लिए पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी वार्षिक योजना में कितने धन की वृद्धि की गई थी ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, योजना मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी हाँ ।

(ख) और (घ) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 के लिए स्वीकृत योजना परिव्यय की राशि क्रमशः 9 करोड़ रुपये तथा 15. 72 करोड़ रुपये है ।

आकाशवाणी का कृषि-दर्शन कार्यक्रम

3051. **श्री राम चरण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1968 से आकाशवाणी ने दिल्ली के 80 ग्रामों के लिए कृषि-दर्शन कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो 80 ग्रामों के लिये कुल कितने टेलीविजन सेटों की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या ये टेलीविजन सेट ग्रामों को मुफ्त दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हाँ । कृषि-दर्शन कार्यक्रम 26 जनवरी, 1967 से प्रारम्भ किया गया था।

(ख) 80 ग्रामों को एक-एक सेट दिया गया है ।

(ग) जी, हाँ।

आवड़ी में टैंकों का निर्माण

3052. **श्री राम चरण :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवड़ी आयुध कारखाने में हमारी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिए टैंक बनाये जाते हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो टैंकों के निर्माण में कितने प्रतिशत आयातित पुर्जे प्रयोग में लाये जाते हैं ?

रक्षा-उत्पादन मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) आवड़ी की हैवी विह्रीकल फैक्ट्री रक्षा उद्देश्यों के लिए विजयंत टैंकों का निर्माण कर रही है ।

(ख) इस समय हम आयात संघटकों को भी प्रयोग में लाते हैं, तदपि ऐसी योजना बनाई गई है कि देशीय अंश को प्रगतिशीलता से बढ़ाया जाए।

श्री जय प्रकाश नारायण की विदेश यात्रा

3053. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री जय प्रकाश नारायण विदेश यात्रा पर गए है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वह किन-किन देशों को यात्रा करेंगे तथा उन देशों में हमारे दूतावासों ने उनके लिए किन-किन सुविधाओं को व्यवस्था की है ?

प्रधान मन्त्री, विदेश मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हाँ ।

(ख) हमें बताया गया है कि श्री जय प्रकाश नारायण थाइलैंड, कम्बोडिया, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, बरतानिया, जर्मन संघीय गणराज्य, सोवियत संघ और अफगानिस्तान की यात्रा कर रहे हैं ; हमने अपने मिशनों से अनुरोध किया है कि श्री और श्रीमती जय प्रकाश नारायण को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करें और उनके साथ यथोचित शिष्टाचार बरतें ताकि उनके उद्देश्य में सहायता मिले ।

योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र

3054. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में योजनाओं से गैर सरकारी क्षेत्र का विकास हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी क्षेत्र की तुलना में कितना ; और

(ग) यदि नहीं, तो तीनों योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के लक्ष्य तथा वास्तविक विनियोजन के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क), (ख) और

(ग) इस प्रश्न से सम्बद्ध सूचना माननीय सदस्य को उनके 11 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3764 के उत्तर में दी जा चुकी है ।

स्पष्ट है कि प्रश्न के भाग (क) में जो सुझाव दिया गया है वह तथ्यों के अनुसार न्यायसंगत नहीं ।

भारत पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग सैनिक कर्मचारियों का पुनर्वास

3055. **श्री जी० मो० विश्वास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1955 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हो गये सैनिक कर्मचारियों को इस बीच फिर से बसा दिया गया है ;

(ख) क्या उनके पुनर्वास के लिए कोई विशेष योजना तैयार की गई थी ;

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० आर० कृष्णा) : (क) से (घ) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 368/68]

Manufacture of Vehicles at Heavy Vehicles Factory, Avadi

3056. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the parts of armoured fighting vehicles are being manufactured or would be manufactured in the Heavy Vehicles Factory Avadi ;

(b) whether the types of trial tracks available in Ahmednagar are also available in Avadi or nearabout that place ; and

(c) if no, at what distance ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) : (a) While the Heavy Vehiles Factory, Avadi, Produces a major portion of the parts required for the tank, the factory also receives components from other production units.

(b) Yes, Sir.

(c) Wheras most of the test tracks are available in and around the factory, facilities far gradient climbing tests are at about ten miles from the factory.

एशिया फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित परियोजनायें

3057. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है कि उन परियोजनाओं को बन्द कर देना चाहिए जिनके लिए एशिया फाउँडेशन से वित्त प्राप्त होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ? और

(ग) क्या यह आदेश इस समय चल रही योजनाओं पर भी लागू होता है ?

प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) सरकार ने भारत में एशिया फाउँडेशन की गतिविधियाँ स्थगित कर देने का फैसला किया है। इसलिए, कोई भी प्रयोजना इससे सहायता नहीं ले सकेगी। इसका यह अर्थ नहीं कि इस फाउन्डेशन की वित्तीय सहायता से जो प्रायोजनाएँ चल रही हैं, उन्हें बन्द कर देना चाहिए।

(ख) चूँकि एशिया फाउन्डेशन को सी० आई० ए० से धन मिला है, और इस बात की कोई गारेन्टी नहीं कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकायें

3058. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : **श्री श्रीगोपाल साबू** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा भारत के बारे में ठीक ढंग से उन देशों के लोगों को जानकारी देने तथा यह बताने के लिए, कि भारत का सही दृष्टिकोण तथा उद्देश्य क्या है, स्थानीय भाषाओं में किस प्रकार की पत्रिकाएँ प्रकाशित की हैं, तथा उन पत्रिकाओं के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या प्रत्येक पत्रिका की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ?

प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) सदन की मेज पर एक वक्तव्य रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 369/68**]

(ख) प्रतियाँ एकत्रित की जा रही हैं और सदन की मेज पर रख दी जाएँगी।

बेतार संचार व्यवस्था

3059. **श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी सेना की बेतार संचार व्यवस्था आधुनिकतम है और अन्य उन्नत देशों की बेतार संचार व्यवस्था से उनकी तुलना की जा सकती है ; और

(ख) इस समय हमारी सेना में प्रयोग किए जा रहे ये बेतार यंत्र विदेशों से कब खरीदे गए थे और क्या ये इस समय ठीक प्रकार काम दे रहे हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) अपनी सशस्त्र सेनाओं द्वारा धारण किया गया वायरलेस संचार साजसामान समग्रतः सन्तोषजनक सेवा दे रहा है। तदपि, उनके कृत्य में और सुधार करने के लिए सदा ही प्रयत्न किए जाते हैं ।

Military Station in Hoshangabad

3060. **Shri G. C Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a military station in District Hoshangabad, Madhya Pradesh ; and

(b) if so, when ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Transmitters in Madhya Pradesh

3061. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to instal transmitters in Madhya Pradesh ;

(b) if so, when these are expected to be installed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of Information and Broadcasting. (Shri K. K. Shah) : (a) No firm decision has yet been taken.

(b) and (c) The A. I. R. Draft Fourth Five-Year Plan provides for the installation of two transmitters in Madhya Pradesh-one in the area near Jagdalpur and the other in Satna/Rewa region. The actual date of their installation depends on the availability of resources and necessary foreign exchange.

फिलीपीन के राष्ट्रपति का सुझाव

3062. **श्री गार्डिलिगन गौड :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को साम्यवादी चीन द्वारा पैदा किए गए बढ़ते हुए आण्विक खतरे का मुकाबला करने के लिए एक नवीन दक्षिण-पूर्वी एशियाई सुरक्षा व्यवस्था करने के बारे में फिलीपीन के राष्ट्रपति के सुझाव की जानकारी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) बताया जाता है कि राष्ट्रपति मार्कोस ने पीकिंग द्वारा प्रदर्शित खतरे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और इस सिलसिले में उन्होंने सीटो आदि जैसी रक्षा संधियों के महत्व पर उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों द्वारा और उनमें परस्पर सुरक्षा के अन्य सम्भव प्रयत्नों पर भी ।

(ख) हमारी सामान्य नीति सर्वविदित है ; किसी सैनिक संघ में शामिल होने की हमारी मंशा नहीं है ।

सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति

3063. **श्री गार्डलिंगन गौड़ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 14 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् सदस्यों सहित सूचना और प्रसारण समिति के सदस्यों का चयन किस आधार पर किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : गैर-सरकारी सदस्यों को भारत के विभिन्न भागों से हिन्दी के विकास में उनकी रुचि और ज्ञान के कारण चुना गया है।

गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर बैठने की व्यवस्था

3064. **श्री मोलहू प्रसाद :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जनवरी, 1968 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार इस वर्ष गणतन्त्र दिवस की परेड देखने के लिए राजपथ पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संसद सदस्यों की तुलना में अधिक अच्छा और आगे का स्थान दिया गया था, जिससे संसद सदस्यों में रोष उत्पन्न हुआ ;

(ख) यदि हाँ, तो संसद सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पीछे स्थान देने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रेस सम्वाददाताओं वाले कक्ष (ब्लाक) में जो अधिक से अधिक 10 प्रतिशत समाचारपत्र के व्यक्ति के और शेष 90 प्रतिशत स्थान अन्य लोगों को दिए गए थे जिससे गड़बड़ हुई ; और

(घ) यदि हाँ, तो भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) जी नहीं । संसद सदस्यों और केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानों का अलग-अलग अहातों में प्रबंध किया गया था । संसद सदस्यों को बिठाने का प्रबन्ध अग्रता सारणी में उनके स्थानों के अनुसार वी-1 अहाते में किया गया था, और वरिष्ठ अधिकारियों का वी-2 अहाते में । तदपि प्रशासनिक कारणोंवश कुछ संगठकों को वी-1 अहाते के रक्षा ब्लाक में बिठाया गया था ।

(ग) तथा (घ) : 'पी' अहाते के लिए निमन्त्रण-पत्र मुख्यतः समाचार-पत्रों के संवाददाताओं

(भारतीय तथा विदेशी) समाचार-पत्रों के फोटोग्राफरों और पत्रकारों के लिए जारी किए गए थे। तदपि भीड़ अधिक हो गई क्योंकि आमंत्रित अपने साथ बहुत से बच्चों को ले आए, और कई बलात् इस ब्लाक में घुस आए। बैठने के अहातों में अनधिकृत व्यक्तियों की रोकथाम के लिए उपयुक्त पग उठाए जाएँगे।

Per Capita Income

3065. **Shri Deorao Patil** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is fact that per capita income had declined during the Third Five Year Plan period ;

(b) if so, the percentage of decline and the causes thereof ;

(c) whether per capita income is likely to increase during the Fourth Five Year Plan period; and

(d) if so, by what prcentage ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning (**Shrimati Indira Gandhi**) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) Yes Sir.

(d) The Planning Commission is currently engaged in the formulation of the Fourth Five Year Plan and is not possible to state at this stage the likely order of increase in the per capita income.

Allotment of Land to Military Officers in Maharashtra

3066. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a conditition has been laid down for the allotment of land to Military Officers and Jawans in Maharashtra that those having more than three children shall not be allotted land ;

(b) if so, whether the State Government have obtained prior approval of the Ministry of Defence in the matter ; and

(c) the impact of the said condition on the allotment of land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (**Shri M. R. Krishna**): (a) to (c) The information has been called from the Government of Maharashtra and will be laid on the Table of the House when received.

Per Capita Investment on Industries in U.P.

3067. **Shri Molahu Prasad**: Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 7066 on the 27th July, 1967 and state the criterion adopted to determine the national importance on the basis of which per capita investment of Rs. 22 and Rs.40 respectively was made in the States of Madras and West Bengal while in the case of U.P. only Rs. 10 per capita investment was made during the Third Five Year Plan in the Central Projects in those States ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning (**Shrimati Indira Gandhi**): The basic criteria adopted in the location of Central industrial projects was the need to achieve the industrial targets with minimum investments and least cost to the economy. The location of industrial projects was therefore primarily governed by techno-economic factors.

Central Projects in U.P.

3068. **Shri Molahu Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 7071 on the 27th July, 1967 and state :

(a) the nature of technical and economic phenomenon in Madras and West Bengal, the presence of which was considered as the basis for the establishment of Central Industrial projects worth Rs.180 crores and Rs.9 crores respectively in these two States, while none was established in Uttar Pradesh ; and

(b) whether these condiitions did not exist in Uttar Pradesh ?

Prime Minister, Minister of Aomic Energy, and Minister of Planning (Shrimati Indra Ghandhi): (a) and (b) Part of the expenditure on Central industrial projects in West Bengal and Madras during the first two Plans was on the completion of projects which had already been initiated before the First Plan. The single large project undetaken during the period accounting for the bulk of the investment in West Bengal was the Steel Project at Durgapur. The proximity of the iron ore and coal deposits, among other things, was an important factor in determing the location of this project in Durgapur. These favourable condititions do not obtain in Uttar Pradesh.

Annual Income of Farmers

3069. **Shri Molahu Prasad**: Will the **Prime Minister** be pleased to state the category-wise number of farmers in different States whose annual income, according to the Planning Commission, is less than, equal to or more than Rs.3,600 ?

Prime Minister, Minister of Atomic Engery and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : Data on number of farmers by income ranges are not available.

उड़ीसा की विकास योजनायें

3070. **श्री अ० दीपा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दुसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की गई उड़ीसा की विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उड़ीसा की उन योजनाओं की संख्या और नाम क्या है, जिन्हें पूरा कर लिया गया है ;

(ग) क्या इन सब विकास योजनाओं को समय पर पूरा किया गया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (घ). तक : एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(लाख रुपये)

	पहली योजना		दूसरी योजना		तीसरी योजना	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
कृषि कार्य-क्रम	599	516	777	793	2242	2195

सहकार और सामुदायिक विकास	213	224	786	1092	2048	2038
सिंचाई और बिजली	5522	5460	5147	3971	8251	8087
उद्योग और खनन	127	84	714	394	2073	2025
परिवहन	277	271	651	604	3865	3767
समाज सेवायें	472	491	1628	1487	3863	2870
विविध	4	3	295	318	416	409
जोड़	7214	7049	9998	8659	22758	22391

U. K.'S Trade Relations with Rhodesia

3071. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) Whether attention of Government has been drawn towards the reports published in the British press to the effect that Britain intended to resume trade relations with Rhodesia ;

(b) if so, its effects on Rhodesia in case it materialises :

(c) Whether Government have exchanged correspondence with the U.N. Secretary-General or the U. K. in this regard and

(d) if not, the steps being taken by Government to help the majority community of Rhodesia?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) India has severed relations with the illegal Rhodesian regime and closed its mission in Salisbury. We have imposed a total ban on trade with Rhodesia. India was closely associated with the Sanctions Committee which formulated proposals for a total ban on trade with Rhodesia through the U. N. At the United Nations and in Common wealth Conferences. India has fully supported the rights of the African majority in Rohdesia. Lastly, we have made it clear in various forums that, if necessary, Britian should use force to bring down the rebel regime should economic sanctions fail to achieve the desired result.

A. I. R. Station, Aurangabad

3072. **Shri Kamble** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to resume the working of Aurangabad Station in Maharashtra which was closed down temporarily, and

(b) if so, when ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) and (b) No, Sir. The Radio Station at Aurangabad, which was taken over by A. I. R. from the erst-while Hyderabad State in April 1950, was closed down in November, 1953 as the expenditure on running it was not commensurate with the coverage achieved by the very weak transmitter operating at this Station. However the draft Fourth Five Year Plan includes a provision for setting up a radio station in Jalgaon Aurangabad area. The project will be taken up for implementation subject to availability of necessary resources and foreign exchange.

S. C. and S. T. Officers in Indian Missions Abroad

3073. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Externl Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Officers sent abroad on appointment in our Mission during the past five years and the number of those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of them ; and

(b) the number of those Officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose names are on the waiting list ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (**Shrimati Indira Gandhi**) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सरकारी दल की चेकोस्लोवाकिया तथा अन्य देशों की यात्रा

3074. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में चेकोस्लोवाकिया की यात्रा की थी ;

(ख) इस दल ने किन-किन अन्य देशों की यात्रा की और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) ऐसे सरकारी दल भेजने के बारे में सरकार की सामान्य नीति क्या है ; और

(घ) क्या ऐसी यात्राओं की उपयोगिता पर कोई निगरानी रखी जाती है ?

प्रधान मंत्री, विदेश मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) :

(क) जी हाँ ।

(ख) दल के नेता ने 25 और 26 जनवरी, 1968 को यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की और प्रतिनिधिमन्डल के दो अन्य सदस्यों ने 1 से 8 फरवरी तक बलगेरिया की यात्रा की । यूनाइटेड किंगडम में प्रतिनिधिमन्डल के नेता ने हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड से संबद्ध कुछ खास-खास समस्याओं पर विचार-विमर्श किया और ए० ई० आई० तथा जी० ई० सी० के हाल ही में विलयन के बाद और इंगलिश इलैक्ट्रिक एंड वी० आई० सी० सी० के साथ भी भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत की । उन्होंने समुद्र पार विकास मंत्रालय के अधिकारियों से एच० ई० एल० के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए और कोलंबो योजना सहायता के प्रश्न पर विचार-विमर्श किया । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के उत्पादनों का यूनाइटेड किंगडम को निर्यात बढ़ाने के प्रश्न पर भी मैसर्स विकान एंड कम्पनी, कवेंट्री के, साथ बातचीत की । प्रतिनिधिमन्डल के दो सदस्यों ने वलगेरिया के प्रधिकारियों के साथ बात, चीत की ताकि दोनों देशों के बीच रासायनिक पदार्थ, खाद्य प्रक्रिया, कृषि मशीनरी आदि जैसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सहयोग की संभावनाओं का पता चल सके । यह उस निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया जो कि पिछले वर्ष वलगारिया के उप-प्रधान मंत्री को भारत-यात्रा के अवसर पर लिया गया था ।

(ग) और (घ) सरकारी प्रतिनिधि-मन्डल विदेशों में केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तब ही भेजे जाते हैं जब कि उनकी उपयोगिता और उनके उद्देश्य का औचित्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है ।

गणतन्त्र-दिवस-समारोह में अन्दमान से राष्ट्रीय छात्र-सेना दल

3075. **श्री गणेश** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय छात्र-सेना-दल की टोली ने 1968 के गणतन्त्र-दिवस-समारोह में भाग लिया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एम० आर० कृष्णा) : (क) तथा (ख) अन्दमान तथा निकोबार और पश्चिमी बंगाल क्षेत्र के एन० सी० सी० छात्रों को प्रशिक्षण और चुनाव के लिए कुछ समय के लिए कलकत्ता में शिविर लगाना होता है, इससे पहले कि उन्हें गणतन्त्र-दिवस परेड में भाग लेने के लिए दिल्ली लाया जाए। इन द्वीपों के छात्र, जहाँ इस समय केवल एन० सी० सी० जूनियर डिवीजन विद्यमान है, इस वर्ष की गणतन्त्र-दिवस परेड की टुकड़ी में शामिल करने के लिए, उस समय की कलकत्ता की स्थिति के कारण कलकत्ता नहीं लाए गए थे ।

Indian Deported from Foreign Countries

3076. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 4329 on the 3rd July, 1967 and state the action taken by the Central Government so far to rehabilitate the persons of the Indian Origin deported from foreign countries ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): In the case of repatriates, the policy of the Government is to provide assistance and facilities under various schemes e.g. certain customs concessions, loans for small trade and business, loan assistance for purchasing plots and construction of houses, reservation of vacancies for employment in Government-owned undertakings, educational facilities for children etc. The Government of India also take up certain issues with the foreign govermments concerned such as transfer of assets etc.

Aerodrome near Central Mechanised Agricultural Farm, Suratgarh

3077. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the basis on which the land of the aerodrome of Central Mechanised Agriculture Farm, Suratgarh (Rajasthan) was brought under cultivation ; and

(b) the total acreage of land brought under cultivation ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) :

(a) and (b) The airstrip at Suratgarh belongs to Government of Rajasthan. The airstrip has not been cultivated by the Suratgarh Farm.

सैनिकों का समाचारपत्र पढ़ना

3078. **श्री मुरासोली मारन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्यालय, पूना, सब एरिया ने एक विज्ञप्ति द्वारा सलाह दी है कि सैनिकों द्वारा समाचार-पत्र न पढ़े जायें तथा उन्हें समाचार-पत्र पढ़ने से निरुत्साहित किया जाये ;

(ख) क्या किसी अन्य मुख्यालय अथवा सैनिक कार्यालय ने इसका अनुसरण किया है ; और

(ग) इस निदेश के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ग) जी हाँ। प्रादेशिकता और देश-विरोधी भावों का प्रचार करने वाले समाचार-पत्रों के अध्ययन के लिए सैनिकों को प्रोत्साहन न देना अभीष्ट था।

(ख) जी नहीं।

विदेशी चलचित्र समारोह

3079. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री 4 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2914 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी फिल्म-समारोह के सम्बन्ध में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है ?

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इसके एकत्र हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जी अभी नहीं।

(ग) बाबूराव पटेल के अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के भाग (ग), (घ) और (ङ) के बारे में जानकारी रिजर्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई द्वारा संकलित की जा रही है और उससे प्राप्त होने पर, सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

परियोजना सामग्री का आदान-प्रदान

3080. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत है कि उन परियोजनाओं की सामग्री और टिप्पणियों के आदान-प्रदान के लिए, जिनके सम्बन्ध में कुछ सामग्री का पहले आदान-प्रदान किया जा चुका है, दोनों देशों के तकनीकी-विशेषज्ञों की एक और बैठक बुलाई जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन परियोजनाओं के बारे मे सामग्री का आदान-प्रदान किया जा रहा है ; और

(ग) इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मन्त्री, विदेश मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री, (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) पूर्व पाकिस्तान में गंगा-कोबाडक और तीस्ता प्रायोजनाओं और भारत में फरक्का बाँध और तीस्ता प्रायोजनाओं जैसी आपसी हित की प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में पहले जिन आंकड़ों का आदान-प्रदान किया गया था, उनके बारे में अतिरिक्त तकनीकी आकड़े और स्पष्टीकरणों का आगामी बैठक में आदान-प्रदान करने का विचार है ।

इस बैठक के बाद प्रगति का पता चलेगा ।

केरल के कलाकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर वृत्त चित्र

3081. **श्री वासुदेवन नायर : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के महान कलाकार राजा रवि वर्मा के जीवन पर वृत्त चित्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रवि वर्मा स्कूल आफ पेंटिंग के छात्र-संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन पेश किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक इसके पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) 1969-70 के लिए फिल्म विभाग के निर्माण कार्यक्रम में राजा रवि वर्मा पर एक वृत्त चित्र शामिल करने के लिए विचार करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) यह सवाल तभी उठेगा जब फिल्म निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर ली जाएगी ।

News Bulletins from Gulbarga Radio Station

3082. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the languages in which news bulletins are relayed from the Gulbarga Radio Station in the Mysore State ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shah) : Kannada and English.

वियतनाम में हताहत हुए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के लोग

3083. **श्री विश्वनाथ पान्डे : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में हवे की लड़ाई में वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के दो भारतीय सैनिक गम्भीर रूप से घायल हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, एवं विदेश मंत्री, (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) हवे में जिस होटल में हमारे दल ठहरे हुए थे. उस पर 6 फरवरी, 1968 को 19.00 बजे राकेटों से आक्रमण हुआ

था और 'अन्य रैंकों' के दो भारतीयों की टाँगों में कुछ चोट आ गई थी। हमें बताया गया है कि वे अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं।

(ख) भारत सरकार की यह दृढ़ धारणा है कि वियतनाम की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता है और कोई शान्तिपूर्ण समाधान निकालना ही होगा।

Television Licences

3084. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to replies given to Starred Question no. 50 and Unstarred question no. 263 on the 14th February, 1968, and state :

(a) the total number of television licences on the 31st December, 1966 and the 31st December, 1967 and the total revenue accrued as a result thereof ;

(b) the estimated expenditure on the establishment of a Television Station like the one established at Delhi and the amount of foreign exchange and the amount of expenditure in Indian rupees likely to be spent thereon ; and

(c) whether prior to granting permssion for the manufacture of 20,000 television sets, the market position therefor was studied and if so the number of television sets likely to be sold within 40 kilometre range of television station ?

The Minister of Information and Boardcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The total number of television licences in force as on 31st December, 1966 and 31st December, 1967 and the licene fee realised therefrom is as under :

Years	Number of television licences in force as on 31st December	Licence fee realised	Surcharge realised	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
1966	4,162	91,531.50	2,620.50	94,152.00
1967	6,161	1,28,907.50	8,286.00	1,37,193.50

(b) The total expenditure on the establishment of a television station, with restricted facilities is estimated at Rs.75 lakhs, with a foreign exhchage content of Rs.30 lakhs. The recurring expenditure for the running and maintenance of this service, on the basis of about two hours of programme daily, would be approximately Rs.20 lakhs per year, with a recurring foreign exchange component of approximately Rs.5 lakhs.

(c) Yes, Sir. Before granting the licences for manufacture of TV sets (i) the overall demand of TV sets and (ii) the minimum capacity for to economic level of production were studied. It is estimated that 30,000 T. V. receivers are likely to be sold within the existing range of the Delhi T. V. Centre. The manufacturing capacity has also to take into consideration the future demands when other T. V. stations come up.

Manufacture of T. V. Sets

3085. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the **Minister of Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 263 on the 14th February, 1968 and state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned for the manufacture of 21,000 television sets; and

(b) the names of foreign countries from which spare parts whould be imported and value thereof countrywise ?

The Minister of Defence Production (Shri L. N. Mishra) : (a) and (b) Of the 21,000 TV sets, 1000 sets are being manufactured by Central Electronics Engineering Research Instiute, Pilani on a pilot plant basis. The two liensed manufacturers will make 10,000 TV receivers each per year. For importing capital equipment, foreign exhcange of Rs. 23.4 lakhs has been released to these two firms.

For the 1000 sets, Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani, has imported components of the value of Rs.1.95 lakhs from Holland. For import of components for 20,000 TV sets, foreign exchange of approximately Rs.50 lakhs is likely to be requied.Application from one the firms has been received and the amount of foreign exchange to be released and the countries from which importers will be permitted are under cosideration.

'ईवनिंग इन पैरिस' नामक चलचित्र का प्रदर्शन

3086. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैबरे डांस, जिसका प्रदर्शन विदेशों में नाबालिगों के लिये वर्जित है, के प्रदर्शन पर इस देश में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या "इविनिंग इन पैरिस" नामक चलचित्र उपरोक्त श्रेणी में आता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस चलचित्र के निर्बाध प्रदर्शन की अनुमति दी जाने का क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) कैबरे डांस में प्रविष्टि के नियम देश-देश के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं । कुछ देशों में, 18 वर्ष की आयु से कम के युवकों को कैबरे डांस घरों में जहाँ शराब आदि दी जाती है, जाने की मनाही है। जहाँ शराब आदि नहीं दी जाती वहाँ ऐसी मनाही नहीं है ।

(ख) फ्रांस में फ़िल्माई गई "ईवनिंग इन पैरिस" नामक फिल्म में कैबरे डांस के कुछ दृश्य हैं ।

(ग) फ़िल्म "ईवनिंग इन पैरिस" केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रिलीज़ की गई। जिन अंशों को सेंसर नियमों की दृष्टि से आपत्तिजनक समझा गया, उन्हें प्रमाणित करने से पहले निकाल दिया गया ।

'इंडिया 1967' नामक वृत्तचित्र

3087. **श्री राजदेव सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इंडिया 1967" नामक वृत्तचित्र मांट्रियल, कनाडा, में होने वाली प्रदर्शनी में भेजा गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस फ़िल्म के निर्माता का नाम तथा इस फ़िल्म का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) क्या इस फ़िल्म के बारे में संसद् सदस्यों के विचार जानने के लिये उनके समक्ष इस फ़िल्म का प्रदर्शन करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) (क) : 'इण्डिया 1967' वृत्तचित्र मांट्रियल में होने वाली प्रदर्शनी के लिये था परन्तु यह प्रदर्शनी के लिये समय पर तैयार न हो सका। अब यह वृत्तचित्र हमारे हाई कमिश्नर द्वारा ओटावा में निमन्त्रित दर्शकों को दिखाया गया है।

(ख) यह फ़िल्म-फ़िल्म विभाग, भारत सरकार की ओर से बम्बई के एक गैर-सरकारी निर्माता एस० सुखदेव द्वारा बनाई गई थी। फ़िल्म में 1967 की भारत की स्थिति दिखाई गई है और भारत के संघर्षों, खोजों और सफ़लताओं के बारे में निर्माता की व्याख्या है।

(ग) इस फ़िल्म को 6 दिसम्बर, 1967 को संसद् सदस्यों (राज्य-सभा और लोक-सभा दोनों) के लिये दिखाया गया था। इसको पुनः 2 मार्च, 1968 को लोक-सभा के सदस्यों को दिखाया गया था। राज्य-सभा के सदस्यों के लिये भी 8 मार्च, 1968 को इसको दिखाने का प्रबन्ध किया गया है।

विदेशी चलचित्रों का आयात

3088. **श्री राजदेव सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च करके जेम्स बांड की विदेशी फ़िल्मों का आयात किया जाता है ;

(ख) क्या इन फ़िल्मों का उद्देश्य ऐसा है कि उन पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का खर्च किया जाना उचित प्रतीत हो ;

(ग) क्या सरकार ने इसके सामाजिक प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) मोशन पिक्चर एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन आफ़ अमेरिका, जो कि भारत में फ़िल्मों का आयात करती है, के साथ किये गये करार के अनुसार यानफ्लैमिंग के उपन्यासों पर आधारित जेम्स बांड की पांच फ़िल्मों का आयात किया गया था। इनमें से तीन फ़िल्म प्रदर्शित की गई थीं। मोशन पिक्चर एक्सपोर्टर्स एसोसियेशन आफ़ अमेरीका के साथ किये गये करार के अन्तर्गत सब आयातित फ़िल्मों पर 25 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा देय है। बाकी राशि प्रस्तावित करार के अनुसार, वापस नहीं भेजी जा सकेगी।

(ख) ये फिल्में हल्के मनोरंजन की श्रेणी में आती हैं और इन्हें सिनेमाटोग्राफ अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं सरकार ने ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया । इन सब बातों का ध्यान रखना केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड का काम है ।

"शागिर्द"

3089. **श्री राजदेव सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विवाह से पूर्व गर्भ धारण दिखाने वाले सार्वजनिक चलचित्रों का समाज पर क्या प्रभाव होता है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में शागिर्द नामक चलचित्र किस वर्ग में आता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) किसी फ़िल्म 'यु' या 'ए' प्रमाणपत्र देने का निर्णय करते समय केन्द्रीय फ़िल्म सेंसर बोर्ड इस बात का विचार करता है कि दर्शकों के लिये उसे फ़िल्म का कुल मिला कर नैतिक या सामाजिक संदेश क्या है, न कि विवाह से पूर्व गर्भ धारण करने जैसी एक घटना का ।

(ख) 'शागिर्द' फ़िल्म में विवाह से पूर्व गर्भ धारण करने की जिस घटना को दिखाया गया है वह इतनी नैतिक, गम्भीर और निष्कलंक थी कि उसको 'यू' प्रमाण-पत्र दिया जा सकता था और केन्द्रीय फ़िल्म सेन्सर बोर्ड ने तदनुसार इस फ़िल्म को 'यू' प्रमाण-पत्र दिया ।

भारत की राज्यक्षेत्रीय अखण्डता के लिये कानूनी बचाव

3090. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की राज्यक्षेत्रीय अखण्डता का पर्याप्त कानूनी बचाव करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक आयोग बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित आयोग कब तक बनाया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, एवं विदेश मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार इस प्रकार के कमीशन की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं समझती ।

भारत द्वारा नियुक्त किए गए अन्तर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ

3091. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कच्छ के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय विधि विशेषज्ञों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है ;

(घ) क्या कुछ विशेष कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय विधि परामर्श न देने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) (i) अंतर्राष्ट्रीय-न्यायालय (1960) के समक्ष भारतीय प्रदेश मार्गाधिकार केस के संबंध में निम्नलिखित विधि विशेषज्ञों ने काम किया :

1. मेट्रो हेनरी रोलिन, फ्री विश्वविद्यालय ब्रसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रोफेसर, एडवोकेट, बेल्जियन सेनेट के सदस्य ।

2. सम्माननीय सर फ्रैंक सोसकिस, क्वीन्स काउंसिल, संसद् सदस्य, इंगलैंड के पूर्व महान्यायाधिवेता ।

3. एम० पाल गूगेनहिम, जेनेवा विश्वविद्यालय के विधि संकाय और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्नातकोत्तर संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर ।

4. प्रोफेसर सी० एच० एम० बालडोक, कम्पैनिय आफ दि आर्डर आफ सेंट माइकेलन एंड सेंटजार्ज, आर्डर आफ दि ब्रिटिश एम्पायर, क्वीन्स काउंसिल चिचेली, आक्सफोर्ड विश्वविलय में जन अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर ।

5. श्री जे० जो० ले क्वेस्ने, इंगलिश न्यायालय के सदस्य ।

(ii) म्यूनिच विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर डाक्टर एफ० जे० वर्बर से भारत-पाकिस्तान की नदियों के बारे में कुछ कानूनी सवालों पर मशविरा लिया गया है।

(iii) ब्रसेल्स के फ्री विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर एडवोकेट, बेल्जियन सेनेट के सदस्य, प्रोफेसर हेनरी रोलिन के साथ भारत-पाकिस्तान पश्चिमी सीमा केस के बारे में राय ली गई है ।

(ग) ब्रसेल्स के फ्री विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रोफेसर एडवोकेट, बेल्जियन सेनेट के सदस्य, प्रोफेसर हेनरी रोलिन के साथ भारत-पाकिस्तान पश्चिमी सीमा केस के बारे में राय ली गई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ०) प्रश्न नहीं उठता ।

Broadcasting to Proceedings of Annual Sessions of Political Parties

3092. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Information and Boradcasting** be pleased to state :

(a) whether the proceedings of the annual Sessions of the Indian National Congress, Bhartiya Jana Sangh, All India Sanyukta Socialist Party and the Indian Communist Party recently held in Hyderabad, Calicut, Gaya and Patna respectively were broadcast by the All India Radio ;

(b) if so, the time allotted therefor to each party ; and

(c) the reasons for disparity, if any, in the allotment of time ?

Minister of Information and Broadcasting (Shri K.K. Shakh): (a) No, Sir. The proceedings of annual or other sessions of politcal parties are not broadcast as such by All India Radio. The proceedings were however, duly noticed on the basis of their news value in the new bulletins of All India Radio.

(b) and (c) Do not arise.

'विजयन्त टैंक'

3093. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'विजयन्त टैंक' के निर्माण-कार्य की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या बाधाएं हैं और उनको दूर करने के लिये क्या कार्यवाही का जा रही है ?

प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) हैवी विहीकल फैक्ट्री में टैंकों का उत्पादन शड्यूल के अनुसार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तुलिहाल हवाई अड्डा

3094. **श्री मेघचन्द्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में तुलिहाल हवाई अड्डा के विस्तार के लिए जिन परिवारों की भूमि अर्जित की गई थी क्या उनको मुआवजा दे दिया गया है और उपरोक्त परिवारों को कुल कितनी राशि देय है : और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख) लैंड एक्वीजीशन कलेक्टर द्वारा 5 जुलाई, 1967 और 1 जनवरी, 1968 को क्रमश: 193408. 12 रुपये तथा 334221.12 रुपये के दो अवार्ड घोषित किए गए हैं। यह निर्धारित करना कलेक्टर का काम है कि कौन मुआवजे के अधिकारी हैं, और स्थानीय राजकोष से अवार्ड का रुपया निकलवा कर उसकी अदायगी करना भी । अभी स्थानीय राजस्व अधिकरणों द्वारा लगता है, कोई अदायगी नहीं की गई, जो आवश्यक निधिएं नकदी में मांगते रहे हैं। तदपि कलेक्टर पर राजकोष से निधियों की वसूली की समुचित प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है, और उसे कहा गया है कि उसका शीघ्र पालन करते, वह राशि की अदायगी कर दे।

इम्फाल आकाशवाणी केन्द्र के लिये बजट

3095. **श्री मेघचन्द्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में आकाशवाणी इम्फाल के लिये बजट में रखी गई राशि में और कटौती कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1966-67 और 1967-68 के बजटों में कितनी-कितनी राशि रखी गई थी तथा प्रतिवर्ष वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी नहीं ।

(ख) आकाशवाणी इम्फाल के बारे में 1966-67 और 1967-68 की बजट व्यवस्था और वास्तविक व्यय इस प्रकार हैं :-

वर्ष	स्वीकृत बजट राशि	संशोधित आंकड़े	वास्तव में हुआ व्यय
	रुपए	रुपए	रुपए
1966-67	4, 16,000/-	4,66,800/-	4,88,166/-
1967-68	4,69,000/-	5,67,800/-	3,88,781/-जनवरी, 1968 तक।

उक्त आंकड़ों में राजपत्रित अधिकारियों का वेतन और भत्ता शामिल नहीं है जो आकाशवाणी की विभिन्न एककों को आई० आर० एल० ए० अदायगी पद्धति में एक मुश्त राशि व्यवस्था के अन्तर्गत दिया जाते हैं ।

पुंछ से सेना में भर्ती

3096. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में पुंछ के जिले को प्रतिरक्षा सेवाओं में कर्मचारियों की भर्ती के लिए उपयुक्त स्थान समझा जाता है ;

(ख) स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले पांच वर्षों में उस क्षेत्र से कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया था ; और

(ग) 1962-67 की अवधि में कितने व्यक्तियों को भर्ती किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जी हां ।

(ख) इस अवधि में ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे गए थे।

(ग) सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है। परन्तु जहां तक सेना और नौसेना का संबंध है इस क्षेत्र से भर्ती सन्तोषजनक रही है। वायुसेना के लिए जिलेवार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

Released Emergency Commissioned Officers

3097. **Shri S. M. Joshi :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of released Emergency Commissioned Officers who have been absorbed again in their parent offices ;

(b) the posts in which these Officers have been absorbed ; and

(c) whether Government propose to promote them to the next higher jobs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b) According to the information avilable with the Government, 235 E.C.O.s having lien

on civil jobs held by them before joining the Army, were released during 1967. Out of them, only 38 have so far intimated to the Director General of Resettlement that they have rejoined their parent civil department. A Statement giving their particulars is attached. **[Placed in Library. See No. LT 370/68]**

(c) They will be eligible for promotion to the next higher posts in their own turn after counting the Army service for seniority.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) AND (b) OF UNSTARRED QUESTION NO. 3097 IN THE LOK SABHA ON THE 6TH MARCH, 1968.

List of Emergency Commissioned Officers who were employed in Civil Jobs Prior to Grant of Emergency Commission in the Army and have been released under the Phased Release Programme.

Serial no.	E.C. no., Rank and name	Civil post held prior to joining Army	Civil post in which absorbed after release from the Army
1	2	3	4
1	EC-50583, Capt. Vijay Kumar Mehta	S. A. Grade I in MES. ..	S. A. Grade I in MES.
2	EC-50695 Lieut. Jagdish Singh	Field Supervisor, Delhi State Co-operative Bank Ltd.,	Field Supervisor, Delhi State Co-operative Bank Ltd.
3	EC-50906 Capt. Rameshwar Singh.	Demonstrator, CRM Jat Col-llege, Hisar.	Demonstrator, CRM Jat Col-lege, Hissar.
4	EC-50948 Capt. Prem Mohan Verma.	Scientific Asstt., C.I.G.S. (M of D), Kanpur.	Scientific Asstt., G. I. G. S. (M of D), Kanpur.
5	EC-50955 Capt. Hari Krishan.	Signal Inspector, Northern Railway.	Signal Inspector, Northern Railway.
6	EC-51063 Capt. N. Mohan Dass	Asstt. in LIC, Kalicut ..	Asstt. in LIC, Kalicut.
7	EC-51111 Capt. A.T. Fernandez.	Supervisor in Heavy Electri-cals, Bhopal.	Asstt. Foreman in Heavy Electricals, Bhopal.
8	EC-51153 Capt. N.V.K. Rao.	Technical Officer in Min of Food and Agriculture.	Technical Officer in Min of Food and Agriculture.
9	EC-51156 Capt. R. S. Bhandari.	Teleprinter Operator U.P., State Government.	L.D.C. in State Govern-ment.
10	EC-51187 Capt. M. T. Antony.	Civilian Store Keeper Gd. III, Eequipment Depot, Air Force Station, Avadi.	CSK Equipment Depot, AF Station, Avadi.
11	EC-51225 Capt. R.C. Azad.	School Inspector (P), Delhi Admn.	School Inspector (P), Delhi Admn.

1	2		3	4
12	EC-51682 G.S. Sidhu.	Capt.	S.E. and PO Development Depot, Punjab State.	S.E. and P. O. Development Depot, Punjab State.
13	EC-51709 G.D. Mehta.	Capt.	Motor Man in Central Railway.	Motor man in Central Railway.
14	EC-50808 H.C. Pande.	Capt.	E and T Sub-Inspector, Himachal Government.	E and T Sub Inspector, Himachal Government.
15	EC-51905 D. R. Singh.	Capt.	Sub Inspector, Bihar Police	Sub Inspector, Bihar Police.
16	EC-62074 S. C. Mani.	Capt.	Senior Scientific Asstt. in Ministry of Defence.	Senior Scientific Asstt. Min. of Defence.
17	EC-52275 V. S. Srinivasan.	Capt.	Agricultural Demonstrator, Madras State Government.	Agricultural Demonstrator, Madras State Government.
18	EC-52230 Shibdas Banerjee.	Capt.	UDC in Accountant General, Ranchi, Bihar.	UDC in Accountant General, Ranchi, Bihar.
19	EC-52393 Amrik Singh.	Capt.	Permanent Employee of Reserve Bank of India.	Clerk in Reserve Bank of India.
20	EC-52445 C.L. Uppal.	Capt.	Clerk in AGCR, New Delhi	UDC in AGCR New Delhi.
21	EC-52609 S.K. Mutreja.	Capt.	Head Draftman, Punjab Government.	Head Draftsman, PWD, Punjab Government.
22	EC-52732 K.M. Ramachandaran.	Capt.	Teacher in High School in Badagara.	Teacher in High School Badagara (Kerala).
23	EC-52806 P.K. Rohila.	Capt.	Teacher in Delhi under Delhi Admn.	Teacher in Delhi under Delhi Admn.
24	EC-52850 V.K. Jain.	Capt.	UDC, in AG's Office, Ranchi (Bihar).	UDC in AG's Office, Commerce, Works and Miscs. New Delhi.
25	EC-53402 J.S. Ujla.	Capt.	Inspector, Co-operative Socities in Punjab State.	Inspector, Co-ops. Societies Punjab.
26	EC-53630 S.S. Sodhia.	Capt.	Lecturer in Physics Government College, Ludhiana.	Lecturer in Physics Government College, Ludhiana.
27	EC-54139 N.C. D' Cruze.	Capt.	Tele-tvpist in CTO Madras-1	Teleprinter/Telegraphist in P and T, Madras.
28	EC-54365 B.S. Dahiya.	Capt.	Inspector, Weights and Measures.	Inspector, Weights and Measures.
29	EC-54689 D.G. Gangan.	Capt.	Clerk in Bombay Elec. Supply and Transport Undertaking Bombay.	Assistant in Bombay Elec. Supply and Transport Undertaking.
30	EC 54956 M.L. Arya.	Capt.	Instructor in Physical Edn., Bikaner.	Instructor in Physical Edn., Bikaner.
31	EC-55109 Bhute Prabhakr.	Lieut.	Asstt. Lecturer in Government Polytechnic, Poona.	Asstt. Lecturer in Govt. Polytechnic, Poona.

1	2		3	4
32	EC-56008 Shamsher Singh.	2/Lt.	Extension Officer Industries, J and K Government.	Extension Officer Industries, J and K Government.
33	EC-56229 A. Pappuraja.	Lt.	Agriculture Extension Officer, Madras State Government.	Extension Officer, Agriculture Deptt.' Madras State.
34	EC-56947 Kulkarni B.B.	2/Lt.	Range Forest Officer, Maharashtra State.	Range Forest Officer, Maharashtra State.
35	EC-57573 P. Velayudhan.	Lt.	Tutor in English, Sree Narayan College Cannanore-Kerala.	Lecturer in History in Sree Kerala Varma College Trichur.
36	EC-51370 Amber Rai.	Capt.	Stenographer Class II Income tax Deptt.	UDC in Income tax Deptt.
37	EC-52307 Kanwar Satpal Singh.	Capt.	Block Development Officer, Punjab Government (Class II)	Block Development Officer, Himachal Pradesh Government (Class II).
38	EC-54166 I.D. Sood	Lt.	Block Development Officer and Panchayat Officer, Government of Punjab (Class II).	Block Development Officers Himachal Pradesh (Class II)

Relased Emergency Commissioned Officers Absorbed in N.C.C.

3098. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of released Emergency Commissioned Officers who have been absorbed in N.C.C. ;

(b) whether all of such absorbed officers have resumed their duties in N.C.C. ;

(c) the number out of them, separately who have been absorbed against the post equal to, lower than and higher than the posts held by them before; and

(d) the difference in their pay after their absorption in the new posts ?

The Deputy Minister of Defence (Shri M. R. Krishan) : (a) and (b) 293 ex-ECO's were offered NCC Commissions. 209 of them have accepted the offer and assumed duty.

(c) and (d) The rules provide for absoportion of officers in their substantive rank which was Lieutenant in all cases. They have been, therefore, given NCC Commissions with the rank of Lieutenant. Their pay has been fixed in the Lieutant's scale giving them credit for the numbers of years of service put in by them. It is not unlikely that a number of the officers had earlier held higher acting ranks even though their substantive rank was that of Lieutenant. Full details are not readily available.

Released Emergency Commissioned Officers

3099. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of Emergency Commissioned Officers released so far ;

(b) the officers proposed to be released in batch nos. 3, 4, 5 and 6 ;

(c) when Officers of these batches are likely to be rleased ;

(d) the number of released Emergency Commissioned Officers who have been provided with employment so far ; and

(e) the steps which are being taken to provide employment to the remaining released officers?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M.R. Krishna) : (a) 1573. This number comprises 1307 officers of courses no. 1 and 2 and 266 officers of subsequent courses whose services were terminated on account of medical unfitness, disciplinary grounds or their unwillingness for permanent retention in the Army.

(b) 1390. In addition 9 leftover officers of Courses 1 and 2 will also be released.

(c) During April to September, 1968.

(d) 721 apart from 38 who have intimated that they have rejoined their parent civil departments.

(e) Government are taking all possible measures with regard to rehabilitation of released Emergency Commissioned Officers. State Governments Public and Private Sector Undertakings have already been aproached in this connection. Four Army officers are being appointed under the Director General, Resettlement, one each at Bombay, Calcutta, Madras and Delhi to keep a close liaison with the likely employers all over the country and assist in the absorption of released Emergency Commissioned Officers in suitable civil appointments.

गोरखपुर में रेडियो स्टेशन तथा ट्रांसमीटर का लगाया जाना

3100. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर मे रेडियो स्टेशन और ट्रांसमीटर लगाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी धनराशि व्यय होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह): (क) जी हां ।

(ख): लगभग 70 लाख रुपए ।

(ग): योजना कार्यन्वित की जा रही है। आशा है कि ट्रांसमीटर 1970–71 में लग कर तैयार हो जाएगा और स्थायी स्टूडियो उसके एक साल बाद में ।

अमरीका द्वारा वियतनाम में नैपाम बमों का प्रयोग

3101. **श्री क० प्र० सिंह देव**: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतकांग के राजधानी 'हुए' नगर पुनः हथियाने के लिए अमरीका ने नागरिको पर 'नैपाम' बम गिराए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीका की इस बमबारी के फलस्वरूप कुछ भारतीय भी मारे गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) भारत सरकार ने इस बारे में अखबारों में खबरें देखी हैं ।

(ख) जहां तक हमें मालूम है, दक्षिण वियतनाम की हाल की लड़ाई में कोई भारतीय राष्ट्रिक नहीं मारा गया है ;

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आदिम जाति विकास कार्यक्रम

3102. **श्री गणेश घोष : श्री उमानाथ :**
श्री चक्रपाणि :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में सरकार द्वारा आदिम जाति विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नही उठते ।

शरीर क्रिया विज्ञान (फिजिआलोजी) और तत्सम्बंधी विज्ञान प्रतिरक्षा संस्था

3103. **श्री विश्वनाथ श्री नंज गौडर:**

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने शरीर क्रिया विज्ञान (फिजिआलोजी) और तत्संबंधी विज्ञान संबंधी प्रतिरक्षा संस्था को मद्रास से चंडीगढ़ स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उत्पादन मंत्री (श्री ल० न० मिश्र): (क) तथा (ख) चीनी आक्रमण के पश्चात् यह आवश्यक हो गया है कि डिफेंस इन्स्टीटयूट आफ फिजियालौजी तथा अलाईड साईसिज का, सेना की ऊंचे स्थानों संबंधी समस्याओं के लिए पुनर्विन्यास किया जाए। इस क्षेत्र में शीघ्र जांचो में इन्स्टीटयूट का मद्रास में होना एक भारी रुकावट सिद्ध हुआ था। इस मामले के निरीक्षण के लिए एक समिति स्थापित की गई थी। इस समिति द्वारा भेजी गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों का उत्तराधिकार

3104. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जनवरी, 1968 में एक गोष्ठी हुई थी जिसमें सारे देश के विधिवेत्ताओं ने भाग लिया था।

(ख) क्या यह भी सच है कि गोष्ठी में यह विचार व्यक्त किये गये हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि में राज्यों के उत्तराधिकार विनियमित करने वाले नियम युक्तिहीन तथा असंगत हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां । अखबार की खबरों से पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि परिषद् (इन्टरनेशनल लॉ एसोसियेशन) की क्षेत्रीय शाखा के तत्वाधान में जनवरी, 1968 में नई दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी जिसमें संधियों के प्रति नए राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी विचार किया गया था ।

(ख) सरकार के पास इस गोष्ठी की कार्यवाही नहीं आयी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नागाओं का चीन जाना

3105. **श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा** : **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : **श्री राम गोपाल शालवाले** : **श्री रामावतार** : **श्री शिव कुमार शास्त्री** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1000 विद्रोही नागा लोग गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे दलों में चीन जाने का इरादा कर रहे हैं ;

(ख) उनका चीन जाना रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि नागा नेशनल काउंसिल के महामंत्री मुलवा, जिसके नेतृत्व में गत वर्ष विद्रोही नागाओं का एक दल चीन गया था, इस समय उत्तर वियतनाम की राजधानी हनोई में है और एक अन्य नेता थिनु सेली लगभग 8 महीने चीन में रह कर नागालैंड वापस आ गया है ?

प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क), (ख) और (ग) छिपे नागाओं से और उनकी गतिविधियों से सम्बद्ध सूचना वर्गीकृत है । भारत सरकार छिपे नागाओं को इन गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है ।

पश्चिम जर्मनी से ऐनकों का उपहार

3106. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है की पश्चिम जर्मनी के नागरिकों ने दो वर्ष पूर्व ऐनकों का उपहार दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहायता का माल अब भी पश्चिम जर्मनी में उपेक्षित पड़ा हुआ है; और

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी स्थित हमारे दूतावास ने इस दान को स्वीकार करने के पश्चात् दान सम्बन्धी पत्र गुम कर दिया है ?

प्रधान मंत्री एवं विदेश मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं । 15 मार्च, 1967 को ये ऐनकें दी गईं थीं ।

(ख) जी, नहीं । हमारे दूतावास ने यह सामग्री भारतीय नौसेना जहाज 'दीपक' पर निःशुल्क भेजने का प्रबंध किया था और यह 29 जनवरी, 1968 को भारत पहुंच गई थी ।

(ग) जी, नहीं । हमारी पूछताछ से पता चला है कि इन चीजों के दान से संबंधित पत्र बौन्न-स्थित राजदूतावास के रिकार्ड पर है ।

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम 111 के उपबन्धों के अनुसार मुझे राज्य-सभा द्वारा 4 मार्च, 1968 की बैठक में पारित किये गये सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) निरन्तरता विधेयक, 1968 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है" :

सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) निरंतरता विधेयक

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) CONTINUANCE BILL

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में

सचिव : मैं राज्य-सभा द्वारा पारित किये गये रूप में सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) निरन्तरता विधेयक, 1968 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

बाईसवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंकटासुब्बया : (नन्द्याल) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (कृषि विभाग)– केन्द्रीय समुद्री मत्स्य की अनुसंधान संस्था, मण्डपम कैंप के बारे में प्राक्कलन समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

औद्योगिक आयोजन तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति पर प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : REPORTS OF INDUSTRIAL PLANNING AND LICENCING POLICY

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : मैं प्रस्ताव करता हूँ—

"कि औद्योगिक आयोजना तथा लाइसेंस देने संबंधी नीति के बारे में डा० आर० के० हजारी के अन्तरिम तथा अन्तिम प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 7 अप्रैल तथा 16 नवम्बर, 1967 को सभा-पटल पर रखे गये थे विचार किया जाये।"

जुलाई, 1966 में प्रो० हजारी को औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति के कार्यों की समीक्षा करने और वर्तमान आर्थिक विकास की दशा के परिवर्तन करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये प्रधान मंत्री का अवैतनिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। उन्होंने दिसम्बर, 1966 में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ;

अन्तरिम प्रतिवेदन में दी गई मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

सरकार को कुछ मूल उद्योगों को विकास के लिये प्राथमिकता देने के लिये चुनना चाहिये और उन उद्योगों को विदेशी मुद्रा आदि के पूर्वक्रय का अधिकार दिया जाना चाहिये।

एक करोड़ रुपये की स्थिर आस्तियों वाली या 25 लाख रुपये या इससे अधिक की लागत के पूंजीगत माल वाली कोई परियोजना पर स्वीकृति के लिये सरकार को तभी विचार करना चाहिये जबकि संभाव्यता प्रतिवेदन में उसका समर्थन किया गया हो।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लाइसेंस टेन्डर मंगाने के बाद लाइसेंस चुने जाने चाहिये। गैर-प्राथमिकता क्षेत्रों को अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करना चाहिये।

एकाधिकार के प्रसार को रोकने के लिये सामान्यतः बड़े उद्योगों को एक से अधिक लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिये और कुछ विशिष्ट कार्य कुछ बड़े औद्योगिक संस्थानों और उनके संघों के लिये निषिद्ध कर दिये जाने चाहिये।

प्रादेशिक आवंटन के अन्तर्गत उद्योगों को पहले ही उल्लिखित किया जाना चाहिये और जहाँ सम्भव हो इस सम्बन्ध में प्रत्येक योजनावधि के आरम्भ में स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

नये औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंस देने के लिये छूट की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की जानी चाहिये और पर्याप्त विस्तार के लिये वह वर्तमान स्वीकृत क्षमता का 25 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, जो भी अधिक हो, होनी चाहिये और नई वस्तुओं के लिये 25 लाख रुपये निश्चित की जानी चाहिये ।

पूंजीगत माल की निकासी के लिये आवेदन पत्र यदि दो वर्ष के अन्दर स्वीकार न हो जायें तो उन्हें समाप्त समझा जाना चाहिये ।

अन्तिम प्रतिवेदन में लाइसेंस देने की पद्धति के सम्बन्ध में निम्नलिखित अतिरिक्त सिफारिशें की गई हैं :—

प्रशासनिक विलम्ब को रोकने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा का कोटा 7.5 लाख रुपये से नीचे के एककों को बाँटने के लिये राज्यों के उद्योग निदेशकों को एजन्सी के आधार पर दिये जाने चाहिये, यदि यह प्रयोग सफल होता है तो 25 लाख रुपयों के यूनिटों के लिये इसे लागू किया जा सकता है ।

"नई वस्तुओं" की कल्पना समाप्त कर दी जानी चाहिये क्योंकि पर्याप्त विस्तार और नई वस्तुओं के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं दिखाई पड़ता ।

पर्याप्त विस्तार के सम्बन्ध में अन्तरिम प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया गया है कि छूट की सीमा वर्तमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रुपया जो भी अधिक हो, होनी चाहिये अब यह सुझाव दिया गया है कि वह पूंजी उपकरण में वर्तमान निवेश का 25 प्रतिशत या 25 लाख रुपये तक होनी चाहिये । यह भी सुझाव दिया गया है कि देश ही में तैयार किये उपकारणों को लगाने पर प्रतिबन्ध नहीं लागाना चाहिये ।

लाइसेंस का प्रयोजन निवेश को विनियमित करना होना चाहिये, न कि उत्पादन-वार क्षमता या उत्पादन ।

औद्योगिक लाइसेंस अधिक से अधिक दो वर्ष तक मान्य होने चाहिये और यदि उस अवधि में उसका उपयोग न किया गया हो तो उसके बाद वे अपने आप समाप्त हो जाने चाहिये ।

जहाँ तक कर तथा ऋण सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है डा० हजारी ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि ऋण आयोजन स्थिर परिसम्पद और उपकरणों में निदेश के विनियमन के लिये एक महत्वपूर्ण नियंत्रण के रूप में होना चाहिये । प्रभावपूर्ण ऋण आयोजन के लिये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया गया है ।

मुद्रा सम्बन्धी नीति में डा० हजारी की मुख्यतः विकास छूट, कर छूट जैसी बड़ी कर रियायतों का योजना के अन्तर्गत प्राथमिकताओं को सब जोड़ने का सुझाव दिया है ।

आयात सम्बन्धी नीति में प्रो० हजारी ने कुछ समय बाद आयात नीति को उन वस्तुओं के मामले में, जहाँ देशी उत्पादन और आयात के बीच लागत का अन्तर इतना प्रतिकूल हो कि देशी उत्पादन लाभदायक सिद्ध न हो, ढीला किये जाने का सुझाव किया है।

अन्तरिम प्रतिवेदन की प्रारम्भिक जांच के पश्चात् सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस पद्धति के कार्यान्वित की जांच करने के लिये प्रो० एम० एस० कर की अध्यक्षता में एम० समिति नियुक्त की थी। सरकार की सम्पूर्ण आर्थिक और औद्योगिक नीतियों की समीक्षा करने के लिये मन्त्रिमंडल की एक समिति बनाई गई है जो इस बात की जांच करेगी कि जिन उद्देश्यों को लेकर वह समिति बनाई गई थी वे किस सीमा तक पूरे हुए हैं और क्या उन नीतियों में कोई परिवर्तन आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त डा० हजारी ने यह भी सुझाव दिया है कि अलग ऋण आयोजन तब तक आरम्भ करना कठिन होगा जब तक कि उद्योगों और बैंकों के नियंत्रण को बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा बिल्कुल अलग न कर दिया जाये। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार अपना निर्णय सभा में 14 दिसम्बर, 1967 के पहले ही घोषित कर चुकी है।

बैंकर समिति और दूसरी विशेष समिति, जिसका मैंने उल्लेख किया, अपना कार्य कर रही है। अतः डा० हजारी द्वारा दी गई सिफारिशों के सम्बन्ध में उनके निर्णय को बताना सम्भव नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एस० एम० कृष्ण (मँड्या) : श्रीमान् मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रा० को० अमीन : (ढंढ़रा) इस प्रतिवेदन के पीछे मुझे कोई षडयंत्र दिखाई देता है। जिस ढंग से आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया और उनका प्रयोग किया गया और निष्कर्ष निकाले गये हैं, और जिस ढंग से एक व्यक्ति की समिति नियुक्त की गई और सरकार द्वारा प्रतिवेदन की सिफारिशों पर विचार किये जाने से पहले उन्हें जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है इससे ज्ञात होता है कि इसके पीछे कोई नियोजित षडयंत्र है।

योजना आयोग में एक व्यक्ति की समिति नियुक्त किये जाने की कोई माँग नहीं की गई थी। दो समितियों-महालनोबिस समिति और एकाधिकार आयोग ने आर्थिक शक्ति जमाव के प्रश्न पर विचार किया और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये तो हजारी समिति को नियुक्त किये जाने की क्या आवश्यकता थी ? सरकार ने एक तरफ विचार प्रस्तुत करने के लिये जान-बूझ कर इस समिति की नियुक्ति की, अपनी नियुक्ति के तीन महीने पश्चात ही उन्होंने एक टिप्पणी प्रस्तुत कर दी और छः महीने पश्चात रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में समाचार-पत्रों और आर्थिक साप्ताहिक पत्रिकाओं में काफी टिप्पणियाँ की गईं

किन्तु डा० हजारी ने उस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अतः प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।

डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि हमे लक्ष्य को निर्धारित कर योजना बनानी चाहिये और हमारी अर्थ-व्यवस्था रूस के समान होनी चाहिये। पिछली तीन योजनाओं में हमारी योजना इसी प्रकार की रही परन्तु वह सफल नहीं रही। अतः आगे योजना बनाने के समय हमें सोचना होगा और हमें वही गलतियाँ नहीं करनी चाहिये जो हम पिछले 15 वर्षों में करते रहे हैं।

उन्होंने स्वयं ही कहा है कि "मेरे आंकड़े पक्षपातपूर्ण, अधूरे और किन्हीं मामलों में विश्वसनीय भी नहीं हैं।" उन्होंने आगे यह भी कहा है कि ये "आंकड़े उन्होंने योजना आयोग के उद्योग तथा खनिज प्रभागों की फाइलों से लिये हैं।"

अन्तिम प्रतिवेदन में उन्होंने बहुत-सी तालिकायें प्रस्तुत की हैं जिनमें बताया गया है कि कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने स्वीकृत हुए?

यह आंकड़े भी उसी समय के हैं जब आवेदन-पत्र दिये गये थे। उससे आगे के आंकड़ों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका अभिप्राय यह है कि उनके पास कोई उचित जानकारी नहीं थी जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाले जा सकें और देश की जनता पर लागू किये जा सकें।

वर्तमान लाइसेंस प्रणाली उचित तरीके से कार्य करने में समर्थ नहीं है। एक आवेदन-पत्र पर 7 या 8 समितियाँ विचार करती हैं। जब तक आपको विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होती तब तक आपको लाइसेंस प्राप्त नहीं हो सकता। छोटी-छोटी चीजों के लिये भी लाइसेंस की आवश्यकता है। आपकी लाइसेंस देने की प्रणाली दोषपूर्ण है। इसके कारण कुछ लोगों को लाभ होता है और उन्हें कुछ लाइसेंस प्राप्त हो जाते हैं। बिरला समूह को लाइसेंस इस दोषपूर्ण प्रणाली ही के कारण प्राप्त हुए हैं।

हमारी आर्थिक नीति के मुख्य उद्देश्य प्रादेशिक संतुलन कायम करना, छोटे उपक्रम/संघटनों को बढ़ावा देना, आर्थिक शक्ति के जमाव को एक स्थान पर जमा होने से रोकना और तकनीकी जानकारी को प्रोत्साहन देना। लेकिन लाइसेंस प्रणाली पर कोई भी नियंत्रण लगा कर इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती।

देश में कुल उपलब्ध साधनों में से 60 प्रतिशत साधन सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। बाकी 40 प्रतिशत में से 20 से 25 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में हैं जो गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं। इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिये केवल 15 से 17 प्रतिशत तक निदेश योग्य साधन रह जाते हैं। बड़े उद्योगों के लिये 10 प्रतिशत साधन रह जाते हैं। 10 प्रतिशत पर नियंत्रण करके शत-प्रतिशत पर नियंत्रण करना असम्भव है।

इसका उद्देश्य ही परस्पर विरोधी है। यदि हम छोटे उद्योगों के उद्देश्य को पूरा कर लें तो तकनीकी विकास लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम प्रादेशिक सन्तुलन कायम करने में सफल हो जाते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति ठीक नहीं

रहेगी । इन परस्पर विरोधी उद्देश्यों के कारण प्रशासकों के हाथों में काफी शक्ति आ गई है और जिसके कारण भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी फैलती है ।

प्रतिवेदन में यह मुख्य आरोप लगाया गया है कि लाइसेंस प्रणाली से आर्थिक शक्ति और एकाधिकार के एक स्थान पर जमाव को बढ़ावा मिला है आर्थिक शक्ति का जमाव देशवार भी हो सकता है और उत्पादनवार भी हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आर्थिक शक्ति का जमाव था और उस समय सभी उद्योग शक्ति का मुकाबला करने के लिये तैयार थे । इससे काफी लाभ हुआ और जो लाभ हुआ था उसे फिर से विकास करने के लिये लगाया गया । इस प्रकार आर्थिक शक्ति का जमाव देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है ।

डा० हजारी ने कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह ज्ञात होता है कि जिन फर्मों का उन्होंने अध्ययन किया है उनमें से किसी फर्म ने एकाधिकार का रवैया अपनाया है ।

दूसरा एकाधिकार सम्बन्धी प्रश्न बड़े आकार के बारे में हैं । इससे बड़े पैमाने पर होने वाले लाभ तथा हानि का पता लगता है । डा० हजारी ने अपने प्रतिवेदन में यह नहीं बताया है कि कौन-सा यूनिट अधिकतम उत्पादन करने वाला यूनिट है इससे भी उद्योग आगे बढ़ने में फर्म का उद्देश्य आर्थिक शक्ति का जमाव करना है।

आज स्वचालित मशीनों का युग है । स्वचलित मशीनों के परिणाम स्वरूप बड़े-बड़े उद्योग अस्तित्व में आ रहे हैं । विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे उत्पादन की कीमत कम हो ताकि हम विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला कर सकें । बड़े आकार के बारे में जो हमारे विचार दस या पन्द्रह वर्ष पहले थे अब उनमें परिवर्तन करना होगा ।

हमारी सबसे बड़ी फर्मों को अमरीका की पहली 200 फर्मों की तुलना में भी कोई स्थान प्राप्त नहीं है । अतः हमें बड़े आकार को एकाधिकार समझने का भ्रम नहीं करना चाहिये । इसके साथ-साथ हमें अर्थ व्यवस्था के विकास को भी ध्यान में रखना होगा । प्रोत्साहन देने के लिये एकाधिकार आवश्यक है । वे अनुसंधान का कार्यान्वियन उसी अवस्था में करेंगे जब किसी खास किस्म को मार्किट मिलने का विश्वास हो जायेगा । यह किसी भी अर्द्ध-विकसित देश के लिये आवश्यक है।

अतः एक या दो बड़ी फर्मों के आकार को आर्थिक शक्ति या एकाधिकार का जमाव नहीं समझना चाहिये ।

बिड़ला समूह पर कई आरोप लगाये गये हैं । सर्वप्रथम आरोप यह है कि उन्होंने उपभोक्ता वस्तु उद्योग में जमाव पैदा किया है और मुख्य उद्योगों की परवाह नहीं की । यह भी कहा गया है कि अन्य व्यापारिक फर्मों की तुलना में बिड़ला समूह को सबसे अधिक लाइसेंस दिये गये हैं । केवल किसी व्यक्ति का नाम बिड़ला होने मात्र से ही उसे बिड़ला समूह में शामिल कर दिया गया है । 1960 में डा० हजारी ने "इकानामिक वीकली"

में उल्लेख किया था कि बिड़ला समूह में 346 कम्पनियां हैं। लेकिन 1961 में उन्होंने इस संख्या को 270 बताया। 1964 में एकाधिकार जांच आयोग ने बिरला समूह में 151 कम्पनियां बताईं। इस बात की जानकारी होते हुए भी डा० हजारी ने उनकी संख्या 300 बताई है। मैंने सूची की जाँच की है और मैं इस सम्बन्ध में अशुद्धियों को आसानी से बता सकता हूँ।

डा० हजारी के अनुसार बिड़ला समूह को 1957-58 में 175 लाइसेंस दिये गये थे। लेकिन यदि हम बिभिन्न प्रकार के लाइसेंसों जैसे नाम बदलने, स्थान बदलने इत्यादि तो इन लाइसेंसो की संख्या 50 ही रह जाती है। सारे मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ाया गया है।

देश में टाटा की 13 कम्पनियाँ है और उनमे इनकी 277 करोड़ रुपये की स्थिर पूंजी लगी है। बिड़ला की 19 कम्पनियाँ देश में चल रही हैं और उनमें 163 करोड़ रुपये की स्थिर पूंजी लगी है।

उनको किसी भी एक उत्पाद में एकाधिकार प्राप्त नहीं है। बिड़ला ही ने सबसे प्रथम हिन्द साइकिल तथा एल्यूमिनियम इत्यादि का उत्पादन आरम्भ किया। इस बात के लिये हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिये जब कि हम उनकी आलोचना कर रहे हैं।

जहां तक विदेशी सहायता का सम्बन्ध है वे अगुआ रहे हैं और यहां तक कि विदेशों से भी उन्हे उद्योगों को देख-भाल के लियें आमंत्रित किया गया है। बिरला के हाथ में रेयन का उत्पादन आने से पूर्व वह बहुत बुरी स्थिति में था। यहां तक कि केरल सरकार उसका व्यापार करना चाहती थी।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने का प्रस्ताव डा० हजारी की रिपोर्ट में नहीं था। फिर भी उन्होंने उसका उल्लेख करने का साहस किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उन पर सामाजिक नियंत्रण लगाने से पूर्व सरकार को यह ध्यान देना चाहिये कि वर्तमान स्थित में क्या बैंक रुपये जुटाने का काम और अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसा वे सोच रहे हैं उससे बैंको को रुपया जुटाने के काम में कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। डा० हजारी प्रतिवेदन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी और बैंक अपने कार्य नहीं कर पायेंगे।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The Government should adopt measures to ensure that the wealth does not remain in the hands of few and it may be used for public benefit.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

We have not followed Article 39B. According to Article 39 of the Cnostitution Mahalonvis Committee was constituted in 1964. After that report or the Monopoly Commission was received. Both the Commissions have clearly stated that this Article has not been implemented in case of Industrial Policy Resolution and Industrial Development and Regulation. In such a case it is but natural for the capitalist to take benefit of this weekness.

As a result of it 28 big Capitalists have become the master of 50 crore people of India.

Today it is not the question of Birla, but it is the question whether we are following the constitution in practice too. They have control of the economy of the Country. They have full control on Banks. Insurance Companies, News paper Industries etc. They have got assets worth rupees 2606 crores. In my opinion Birlas have committed the greatest Scandles. During 1959-64, 375 Industrial licences worth rupees 384 crores were given to Birlas. It includes foreign exchange worth rupees 284 crores. Besides this there is no account of the import and export licences of raw material and consumer's goods given to these industries. From the record it is clear that foreign exchange more than Rs. 1000 crores have been sanctioned for them.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha Then Adjourned for lunch till fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

In case of paper alone they have cheated the Government for an amount more than 80 lakhs of rupees.

Their linoleum paper mill which is the only paper mill in the country has earned a profit of 252 percent on their products. Its products worth in lakhs of rupees are purchased by the Government. Neither any Tarrif Commission has been appointed nor any investigation has been made in this regard. Some unlawful methods have been adopted is order to reduce profits.

Nobody in India pays so high salaries as this Birla Groups. It is a picture of Socialistic India. Their big companies are indulging in great fraud.

They have also got their companies in foreign countries and they are under invoicing and over invoicing. Dr. Hazare has mentioned in his report that this type of work cannot be stopped unless. the Government have full control on Banks and Trading companies. Favouritism has been shown in issuing import licnces. It is a great scandle. Import licences are given on the capacity of the industry.

The Hon. Minister told the other day in the House that no licences will be issued to Birla Groups before the submission of the Thacker Committee report. Inspite of this declaration Government has issued a licence to them to establish a fertilizer factory in Goa.

So far as the Thacker Committee in concerned, it was censtiuted on 22nd July and it was asked to submit its report within six months. More than six months have passed but it has not submitted its report.

A Judicial Committee under the Chairmanship of a Supreme Court judge should be appointed for making investigations in this regard.

श्री एस० एम० कृष्ण : डा० हजारी के प्रतिवेदन से यह सिद्ध होता है कि वर्तमान लाइसेंस प्रणाली हमारे संवैधानिक दायित्व के प्रति एक धोखा है।

भारत के प्रधान मंत्री ने तीसरी पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत करते हुए कहा था कि समाजवाद की दिशा में बढ़ते चले जाने से आर्थिक विकास की गति तेजी आयेगी और रोजगार बढ़ेगा, आय तथा धन की असमानता में कमी होगी, आर्थिक शक्ति का जमाव नहीं होगा तथा समाजवादी और स्वतंत्र समाज का दृष्टिकोण कायम होगा।

मेरा यह विश्वास नहीं है कि बड़े उद्योगों ने वर्तमान लाइसेंस नीति का लाभ उठाया है। इस सम्बन्ध में कांग्रेस दल जिसका केन्द्र में शासन है, दोषी है। औद्योगिक लाइसेंस के सम्बन्ध में चर्चा करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि प्रादेशिक असंतुलन पर भी रोक लगाई जाये। योजनाओं का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिये। योजना आयोग 1955 से 1966 तक क्या करता रहा ? क्या इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं था। आप लोग योजना आयोग की असफलताओं को छिपाना चाहते हैं।

आर्थिक शक्ति कुछ लोगों या उद्योगों के हाथों में आ गई है। इस बात का एक उदाहरण यह है कि मैसूर राज्य में जब एक नये सीमेन्ट कारखाने को खोलने का प्रस्ताव था, तब एक बहुत बड़े उद्योग ने उसके लाइसेंस के लिये आवेदन किया तो मैसूर की सरकार जो पूंजीपतियों के हाथ में हैं, ने उस आवेदन को स्वीकार करने की सिफारिश थी। इसके फौरन बाद ही एक युवक ने, जो उद्योग के क्षेत्र में नया था सीमेन्ट का व्यापार आरम्भ करने के लिये मैसूर सरकार से प्रार्थना की। मैसूर सरकार ने उसे सूचित किया कि इस आवेदन को पहले ही केन्द्रीय सरकार के पास सिफारिश के साथ भेज दिया गया है अतः उसके आवेदन को सिफारिश नहीं की जा सकती। क्या कोई विदेशी कम्पनी नये उद्योग आरम्भ करने वाले युवक को सहायता देगी ? मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि लाइसेंस देने सम्बन्धी समस्त नीति पर फिर से विचार किया जाना चाहिये। वर्तमान नीति में संशोधन आवश्यक हैं। नई नीति ऐसी होनी चाहिये जो राष्ट्र की आवश्यकताओं और हमारे आर्थिक और औद्योगिक उद्देश्यों की पूर्ति करे।

वर्तमान बैंक व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है। इससे देश का धन कुछ ही लोगों के पास जमा होता जा रहा है। धन के इस प्रकार जमाव को रोकने के लिये इस सभा में और इससे बाहर मांग की गई है कि बैंक-व्यवस्था तथा ऋणप्रणाली का राष्ट्रीयकरण किया जाये। किन्तु वित्त मंत्री का विचार है कि बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करने के पश्चात हमारी अर्थ-व्यवस्था में जो खराबियां हैं वे सब की सब दूर हो जायेंगी।

महालनोविस प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि इस देश में दस मुख्य बैंकों के निदेशक किसी न किसी रूप मे बड़े-बड़े उद्योग गृहों से संम्बन्धित हैं और इसके फलस्वरूप सारा का सारा धन कुछ ही उद्योग–गृहों के पास जमा होता जा रहा है। धन के इस प्रकार जमा होने को रोकने के लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। यही समय की मांग है।

इस देश के लोगों को आश्वासन दिया जाता रहा है कि देश में समाजवादी राज्य की स्थापना करना ही हमारा अन्ततोगत्वा लक्ष्य है। यही बात सत्ताधारी लोगों से सुनने में

आती है। यदि हम इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें इसके लिये कुछ ठोस कार्य करना चाहिये। समाजवाद के नाम पर लोगों का शोषण नहीं किया जाना चाहिये।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनागिरि) : विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा बनाये गये नियमों तथा विनियमों के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि हमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि मिलने की आशा थी। लाइसेंस प्रणाली में कोई त्रुटि हैं जिसका हमें पता लगाना है और उसे दूर करना है जिससे जो अनियमित बातें हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो सके। यह खेद की बात है कि जीवन के हर पहलू में अविश्वास का वातावरण छाया हुआ है। यदि हम लोकतंत्रात्मक ढंग से कार्य करना चाहते हैं और यदि हमारा मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था में विश्वास है तो हमें एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय इस समस्या का कोई ऐसा हल ढूंढ़ निकालना चाहिये जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

समाजवाद के कई रूप है। विश्व के कुछ भागों में समाजवाद है वह उस समाजवाद से भिन्न है जिसे हम यहां स्थापित करना चाहते हैं। हम ऐसा समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं जिसमें धन का समान वितरण हो और लोगों को अधिकाधिक अवसर प्राप्त हों। हम ऐसा समाजवाद नहीं चाहते जिसमें सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर राज्य अथवा सरकार का नियंत्रण हो। हम मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में हैं जिसमें देश के औद्योगिक विकास में योगदान करने के लिये लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सकें और तकनीकी ज्ञान का उपयोग किया जा सके। इस बारे में हमारे जो उद्देश्य हैं वे 1956 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में विशेष रूप से निर्धारित कर दिये गये हैं और इस बारे में कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये।

यह सही है कि कुछ गम्भीर अनियमिततायें की गई हैं। किन्तु इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में धन और तकनीकी जानकारी की कमी होती ही है। आर्थिक विकास की गति को बनाये रखने तथा लोगों को समान अवसर प्रदान करना कोई सुगम कार्य नहीं है। एक सत्तावादी सरकार के अधीन तो ऐसा करना कहीं अधिक कठिन होगा। यदि कोई प्रशिक्षित वैज्ञानिक अथवा औद्योगिक कर्मचारी है तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उन्हें पूरा अवसर मिले। यह भी हम नहीं चाहते कि धन कुछ ही व्यक्तियों के पास जमा हो जाये क्योंकि इस से बाकी लोगों को अवसर ही नहीं मिल पाता। धन के आर्थिक केन्द्रीयकरण का बड़ा व्यापक अर्थ है।

लाइसेंस प्रणाली पर विचार करते समय हमें पता लगाना चाहिये था कि किसी कम्पनी को जो लाइसेंस दिये गये थे उनका आधार क्या था और वे किन परिस्थितियों में दिये गये थे। केवल मात्र आंकड़ों को देखकर यह कह देना कि चूंकि फलाँ फर्म को अधिक लाइसेंस दिये गये हैं इसलिये सरकार ने उसको विशेष रियायत दी है, इस बात को किसी आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। डा० हजारी के प्रतिवेदन से यह मालूम करना बड़ा कठिन है कि किसी कम्पनी को अमुक संख्या में लाइसेंस क्यों दिये गये थे।

भारतीय औद्योगिक तथा निवेश निगम, औद्योगिक वित्त निगम आदि के विवरणों के पता चलता है कि 1966-67 में धन 1965-66 में उपलब्ध की गई धनराशि से कहीं कम था। किसी कम्पनी को स्थापित करने के लिये धन या तो देश में से ही अथवा विदेशों से जुटाना होता है। इस बात का निश्चय तो सरकार ही कर सकती है कि उपलब्ध संसाधनों में से कौन से संसाधन से धन जुटाया जाये क्योंकि इन संसाधनों पर सरकार का ही नियंत्रण है। विदेशी सहयोग के लिये लाइसेंस देने के मामले में सरकार को अत्यधिक सावधानी बर्तनी चाहिये। खेद है कि विदेशी सहयोग की प्रतिशतता बढ़ती जा रही है। इस सम्बन्ध में चीन में जो कुछ हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है।

धन के कुछ ही लोगों के पास जमाव को रोकने का एक ही तरीका है और वह है कि औद्योगिक आधार को विस्तृत बनाया जाये। छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योग को विशेष संरक्षण और ऋण की सुविधायें दी जानी चाहिये जिससे बड़े-बड़े उद्योगों के साथ-साथ उनका भी विकास होता चला जाये। हमारे देश में सैकड़ों तरुण इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। उन्हें अलग-अलग उद्योगों का विकास करने का अवसर और पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जिससे छोटे उद्योगों का विकास हो सके। किन्तु होता क्या है ? जब छोटे-छोटे उद्योगपति ऋण को अथवा किसी और सुविधा की मांग करते हैं तो वे नियमों, विनियमों, लाइसेंसों और परमिटों के चक्कर में फंस जाते हैं। यदि सरकार ऐसे किसी विभाग को स्थापना कर सके जिससे साधारण आदमी को छोटे अथवा मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिये ऋण और अन्य सुविधायें मिल सके तो धन के आर्थिक केन्द्रीयकरण को कम किया जा सकता है।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए]
[Shri G. S. Dhillon in the Chair]

श्री सेझियान (कुम्बकोनम) : अच्छा होता यदि हम ठेकर समिति के प्रतिवेदन की भी प्रतीक्षा कर लेते क्योंकि उससे हमें औद्योगिक लाइसेंस नीति की क्रियान्विति के बारे में पूरी-पूरी जानकरी मिल जाती।

कांग्रेस दल का समाजवाद के बारे में चाहे कुछ ही दृष्टिकोण हो, संविधान में और पंचवर्षीय योजनाओं में समाजवाद की कुछ निश्चत परिभाषायें दी गई हैं। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 39 में यह विशिष्ट उपबन्ध किया गया है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार क्रियान्वित करेगा कि समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाये कि अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण हो और आर्थिक प्रणाली को अपनाने से सार्वजनिक हित के प्रतिकूल सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीयकरण न हो। दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में भी यही बात कही गई है। आर्थिक विकास से समाज के अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को अधिक से अधिक लाभ हो और आय, धन तथा आर्थिक समृद्धि का केन्द्रीयकरण उत्तरोतर कम होता जाये। इसके अलावा औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है वे ये हैं; एकाधिकार और सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को रोकना, बड़े पैमाने के उद्योगों की अनुचित होड़ से

छोटे उद्योगों का संरक्षण और विभिन प्रदेशों में अधिक विस्तृत आधार पर औद्योगिक विकास करना। वहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकना चाहिये और एकाधिकार की प्रवृत्ति को दबाना चाहिये। हमारी योजनाओं तथा औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी नीति का यही उद्देश्य होना चाहिये। अमरीका जैसे उन्नत देशों में भी एकाधिकारी विकास को नियंत्रण में रखने के प्रयत्न किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें तो इस बारे में और भी अधिक सतर्क रहना चाहिये। समाजवाद के उक्त पहलू का संविधान, विभिन्न संकल्पों और चुनाव सम्बन्धी घोषणा-पत्रों में उल्लेख करने के पश्चात् भी हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सके हैं। उसका कारण यह है कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये निर्धारित की गयी नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित करने में सरकार असफल रही है और यही बात डा० हजारी के प्रतिवेदन में भी बताई गई है कि औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली कुछ सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। हमारे नियमों में जो त्रुटियां थीं उनका उद्योग-गृह अनुचित लाभ उठाते रहे हैं और यही कारण है कि हम अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में असफल रहे हैं।

डा० हजारी के प्रतिवेदन के बारे में कुछ सदस्यों ने उन आंकड़ों को गलत बताया है जिस पर यह प्रतिवेदन आधारित है। यदि आंकड़े गलत होते तो बिड़ला उद्योग-गृह इसका तुरन्त निराकरण करता। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसके विपरीत बिड़ला के मुख्य कार्यपाल ने अपने 16 अगस्त, 1967 के समाचारपत्र सम्मेलन में बताया कि बिड़ला कम्पनियां बिड़ला परिवार की सम्पत्ति न होकर राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं। ऐसी स्थिति में न केवल बिड़ला-गृहों का परन्तु अन्य सभी राष्ट्रीय कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये क्योंकि उद्योगों में अनुचित होड़ से समूचे राष्ट्र को हानि होती है और इसके गम्भीर परिणाम निकलते हैं। प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख किया गया हैं कि कुछ समृद्ध उद्योग-गृह एक ही वस्तु के लिये अनेक लाइसेंस लेकर उनका उपयोग नहीं करते रहे हैं जिससे उसका उत्पादन न बढ़ सके। यह भी बाताया गया है कि बिड़ला ने अपने आधे लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया है। इस प्रकार डा० हजारी ने इस कागज पर झूठी क्षमता का भंडा फोड़ा है। इस प्रक्रिया से देश को बहुत हानि उठानी पड़ती है। लाइसेंस मंजूर करते समय सरकार उद्योगों की क्षमता का सही पता लगाने के बारे में असावधान रही है। समाचारपत्रों में खुले तौर पर बताया गया है कि कैसे महत्वपूर्ण आर्थिक मंत्रालयों के उच्च अधिकारी सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् बड़े-बड़े उद्योग-गृहों में उच्च पदों पर नियुक्त कर दिये जाते हैं। सरकार को इस बारे में जांच-पड़ताल करनी चाहिये और सतर्क रहना चाहिये। इस समय बिड़ला की एक फर्म में सेवा से निवृत्त आयात तथा निर्यात का उप-मुख्य नियंत्रक, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, आयकर आयुक्त, प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन और रेलवे वित्तीय आयुक्त कार्य कर रहे हैं। सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये।

न केवल आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण ही हुआ है परन्तु विकास के मामले में प्रादेशिक असन्तुलन भी उत्पन्न हो गया है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो औद्योगिक तथा

आर्थिक विकास के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं । उनके विकास की ओर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये और उनका स्तर अन्य प्रदेशों के स्तर के बराबर लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। दक्षिण के लोगों को इस देश में उपलब्ध पूंजी की केवल 7.8 प्रतिशत राशि दी गई है जबकि उनकी जनसंख्या लगभग 23 से 25 प्रतिशत है । इस देश में आर्थिक शक्ति और दौलत के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति का मूल कारण हमारी वित्तीय-प्रणाली के ढांचे में दोष है । जब तक गैर सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थायें बड़े-बड़े उद्योग-गृहों के नियंत्रण में रहेंगी तब तक सरकार इन बुरी प्रवृत्तियों को रोकने में कुछ नहीं कर सकेगी ।

हम राष्ट्रीयकरण के मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार करते हैं परन्तु इसकी कार्यान्विति किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सौंपी जानी चाहिये जिसका इसमें विश्वास ही न हो जैसा कि जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अनुभव हुआ है।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The Minister has told that a committee headed by Shri Thaicker has been appointed to look into all these things. But I request the hon. Minister that the affairs of each big business house should be enquired into and no particular big business house should be made a target of the enquiry. In my opinion the report submitted by Dr. Hazari is baised one. It apears that he has have not been on good terms with Birlas. No body can deny it that the role of Birlaji has been great in the political life of this country and that he has given financial contributions for supporting freedom struggle.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : इस बात की जाँच की जा सकती है कि बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थाओं में कांग्रसी लोगों के कितने बेटे और साले नौकारी पर लगे हैं।**

श्री पें० बेंकटसुब्बया (नन्द्याल) :** यह बहुत गलत बात है। यह सभा की कार्यवाही से निकाली जानी चाहिये ।

श्री क० लकप्पा : यह एक तथ्य है और मैं इसे दोहराता हूँ :**

सभापति महोदय : इसे सभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

डा० हजारी का प्रतिवेदन बाद-विवाद के लिए पर्याप्त सामग्री है । इस वाद-विवाद के दौरान व्यक्तिगत नामों का उल्लेख न किया जाये ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : भाषण देते हुए कोई भी सदस्य तथ्य का उल्लेख कर सकता है । यदि यह कह दिया गया है कि**कहीं पर नौकरी कर रहा है तो यह संसदीय विशेषाधिकार का विषय नहीं बन जाता और वह कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाला जाना चाहिए।

सभापति महोदय : सामान्य रूप से किसी व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है परन्तु किसी विशेष उद्देश्य से किसी के नाम का उल्लेख करना उचित नहीं है ।**

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया ।

**Expunged as ordered by the chair.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री स० मो० बनर्जी : मैं नियम 376 (2) के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। श्री लकप्पा ने **का जिक्र किया है क्योंकि वह एक तथ्य है। मेरा केवल यह निवेदन है कि चर्चा के दौरान ऐसी बातें कही जाती हैं और व्यक्तियों के नाम भी लिए जाते हैं क्योंकि तत्सम्बन्धी दस्तावेज हमारे पास होते हैं। वे दस्तावेज सभा में पढ़े जा सकते हैं या नहीं। मैं इस सम्बन्ध में आपका निर्णय चाहता हूँ। इसी आधार पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि उपरोक्त शब्द कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकाले जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जहाँ तक सभापति द्वारा दिए गए निर्णय का सम्बन्ध है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं आपके माध्यम से सब सदस्यों को यह अपील करता हूँ कि यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है परन्तु इस पर विचार निष्पक्ष रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही मेरा यह अनुरोध भी है कि जिन लोगों को सभा में अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिलता, अथवा जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम सभा में न लिए जायें।

Shri Bibhuti Mishra : There is a mixed economy in our country. We have got public sector as well as private sector.Basic industries are in public sector while cosumer industries are allowed in private sector. As regards the procedure of licensing I want to submit that people should first apply for obtaining licence and the Licensing Department of Governments should deal with the applications. The people who are given licences establish industries either with their own finance or with collaboration of some other body.In this connectionI would like to suggest that Government should put its Licensing Department in order. There should be a provision to find out. Whether licences have been issued properly and reasonably ; whether industries have been put up on the basis of issued licences; whether the industries, so set up, have produced the required goods, so that a kind of check may be put in this respect.

Secondly, I want to suggest that the Planning Commission should be improved. There has been a bungling on large scale in Plannng Commission. If there is monopoly, if there is concentration of economic power somewhere, it is due to the wrong planning prepared by the Planning Commission. Proper attention should be paid to agriculture alongwith industry.

In the end, I would like to say again that thorough enquiry has not been made by the Inquiry Committee headed by Dr. Hzari.The report submitted by him is not complete. It is biased report. I believe in the dictum "each accordidg to capacity and each according to needs" I favour that all means of production should be nationalized. So I appeal to Shri F.A. Ahmed that this Committee should be ordered to go into the affairs of all business houses.

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व 12 वर्ष तक मैं कांग्रेस का महा-सचिव रहा हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस को किसी पूँजीपति से

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

एक पाई भी नहीं मिली। हरिजन सेवक संघ और हिन्दी प्रचारक संघ आदि को गाँधी जी की कुछ गतिविधियाँ चलाने के लिये पूँजीपतियों ने कुछ धन दिया था। कांग्रेस के पास जो पूँजी थी वह सदस्यों से चार आने चंदा वसूल करने से एकत्र हुई थी।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : I conguatulate Dr. Harzari for drawing the attention of the people towards a disease which is affecting our economic, social and political life. This is that of licensing system and we must cure this disease. Monoply commission and Mahalabonus committee have also confirmed the view taken by Dr. Hazari. These reports clearly indicate that monoply in our economic field is endangering our social, economic and politcal life. We had accepted the principle that we shall not encourage monoply in our economic life. The instrument of Industrial licence was devised to present monoply but that very licence has been used to encourage monoply. This is a point which should be considesed. We can find fault with the big capitalists that they have encouraged monoply because it is their nature but we have to accuse this Cogress Government which could not prevent them from doing so, although it had assured the people that they would safeguard the principles of the constitution and they will not encourage monopoly. It appears that there is a Birla Government within this Government which runs the administration. The main reason for this situation is that big industralits are working in connivance with the political parties and specially with ruling party and the result is that monopoly cannot be brought to an end. It has been stated in the Report that large amounts of salaries are given to the wives and other relatives of the senior executives of Birlas. The recipients of those salaries do not work at all.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे नियमों में लिखा है कि यदि कोई सदस्य किसी दस्तावेज से कुछ पढ़े तो सम्बन्धित भाग को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए। इस लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उन्हें ये उद्धरण सभा-पटल पर रखने की अनुमति दें।

श्री सु० क० तापड़िया (पाली) : यदि कोई मंत्री किसी दस्तावेज से पढ़े तो उसे सभा-पटल पर रखे जाने की आवश्यकता होती है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रतिवेदन राज्य-सभा के सभा-पटल पर रखा गया है, मैं उसे यहाँ पर रखने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। वह यह पत्र प्रस्तुत कर दें फिर हम विचार करेंगे कि उनके सभा-पटल पर रखे जाने की आवश्यकता है या नहीं है।

Shri Yogendra Sharma : I shall submit this report and thereafter it is for you to decide. This is a social and political problem and we should consider this matter in this light.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शर्मा कल अपना भाषण जारी रखें।

राष्ट्रमन्डल आप्रवासी विधेयक पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: STATEMENT ON COMMONWEALTH IMMIGRANTS BILL

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री ब० रा० भगत**) : 1 मार्च को ब्रिटिश

संसद द्वारा पारित नवीन आप्रवासी कानून के सम्बन्ध में 29 फरवरी को सभा-पटल पर एक पत्र रखा गया था । इस स्थिति के साथ निपटने के सम्बन्ध में कई सुझाव दिए गए हैं ।

Shri Kunwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : May I know the subject on which the hon'ble Minister is making a statement.

उपाध्यक्ष महोदय : आपके प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले मैंने उन्हें यह वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है । आप बाद में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

Shri Kunwar Lal Gupta : It is a question of procedure and precedent. According to list of businss my Motion is to be moved at 4 o' clock but you have permitted to hon'ble Minister to make a statement.

श्री ब० रा० भगत : मैं इस चर्चा में सभा की सहायता करना चाहता था । फिर यह कोई नयी बात नहीं है । परन्तु यदि वह नहीं चाहते तो मैं वक्तव्य देने के लिए आग्रह नहीं करता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे चर्चा में सहायता मिलेगी । इसीलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है ।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : उन्होंने कहा है कि यदि सदस्य नहीं चाहते तो वह वक्तव्य नहीं देंगे, परन्तु सदस्यगण तो चाहते हैं ।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : इस मामले में आपको निर्णय करना है । हमने यह सोचा था कि यदि इस सम्बन्ध में सरकार के विचार प्रस्तुत कर दिए जायें तो वे चर्चा में सहायक सिद्ध होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह वक्तव्य देना चाहें तो मैंने यह विनिर्णय पहले ही दे दिया है कि वह अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कार्य सूची के अनुसार श्री कंवर लाल गुप्ता को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 4 बजे बुलाया जाना चाहिये। यदि सरकार कोई सूचना देना चाहती है जो चर्चा में सहायक होगी तो वह प्रस्तुत करने के बाद वह सूचना दे सकती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) यह प्रस्ताव नियम 184 या 193 के अधीन प्रस्तुत किया गया था । आपने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है । आपको इस विनिर्णय पर दृढ़ रहना चाहिये । आपको श्री गुप्ता को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहना चाहिये ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस मामले पर तर्क-वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Shri Kunwar Lal Gupta: Sir, I beg to move the following motion—

"कि यह सभा युनाइटेड किंगडम के राष्ट्रमण्डल आप्रवासी विधेयक (कामनवैल्थ इम्ग्रिग्रेन्ट्स बिल) के बारे में वैदेशिक-कार्य उपमंत्री द्वारा 29 फरवरी, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करती है और भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह उपयुक्त प्रतिरोधी उपाय करे ।"

Britain has imposed restrictions on the entry of one lakh people of Asian origin into Britain by adopting this Immigration Bill. Those people hold British Passports. There is no precedent in the world histroy when a country has imposed restrictions on their own citizens.

At the time of Kenya's independence in 1963, the British Government had promised that they will take care of the interest of the people holding British passports. Now they have failed to keep their word. This is a breach of trust. As a result of this Bill there will be crisis. It is nothing but a serious set back for the commonwealth.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

So far as the question of Kenya Government is concerned, we have no objections on their scheme of Africanisation as it is their internal matter. But we want to know why no decision has been taken on the applications of those Indians who had submitted their applications for citizeship of Kenya, especially when these applications are pending for the last so many years. It seems that it is planned effort for not granting the citizeship to them. About 40 lakh Indians are living in foreign countries. If all of them are pushed out of those countries, then it will be a very serious problem for us. Therefore Government should adopt a definite policy in this respect. Our Prime Minister should discuss this matter with the Prime Ministers of Britian and Kenya and if no solution is found then a conference of all the Commonwealth Prime Ministers sould be convened and this matter should be placed before them. In case this effeort is also proved to be fruitless then we should also impose similar restrictions on the entry of British nationals in India. We may also tell Britain that if a satisfactory solution of this problem is not found than we will quite Commonwealth.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन भी सभा के समक्ष है ।

Shri Chandra Jeet Yadav (Azamgarh) : We are very much worried about the Common wealth Immigration Bill, which seeks to impose restrictions on the people of Indian origin in Kenya on their entry into Britain. If no action is taken in this regard, similar problems would arise in other countries also where people of Indian orgin are living. This Act is influenced by the idoalogy of racial discrimination and we should therefore oppose it. We have always been struggling against social discrimination in the world and therefore Government must take up this matter.

Our Prime Minister should establish direct contact with the Prime Minister of Britain and tell him that Government of United Kingdom have not considered our request that they should not indulege in undue hurry in passing the Immigration Bil. We should also tell them that either they should make necessary chages in the Bill or we shall quit Commonwealth.

We have provided many faclities to the British nationals in India. We should declare that no British national will be allowedtocome to Indiawithout a valid Visa. We should also withdrwn all the faclities already provided to British natonails in India.

If British Government do not change thier policy then 1, 30 thousand people will become homeless. They will become shelter less and jobless and the future of their childer will be dark. They have been our kith and kin and it is our moral duty that we should do something for them especially when this Bill is against the "Declaration of Human Rights".

Our Prime Minister should also establish contacts with other Governments of commonwealth countries and bring to their notice the bad legislation passed by British Government.

The Government of India should declare that it will raise this matter in the United Nations.

It is hoped that the Government will take the steps which are be in accordance with the national feelings.

श्री सु० कु० तापड़िया : (पाली) यह समस्या बहुत गम्भीर और असंतोषजनक है। हमें अब इस बात पर विचार करना है कि कीनिया में जो कुछ हो रहा है उसके लिये ब्रिटेन दोषी है या उसमें किसी अन्य पक्ष का भी हाथ है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में चार पक्षों का हाथ है। वास्तव में ब्रिटिश संसद् द्वारा पारित आप्रवासी अधिनियम सबसे अधिक लज्जाजनक है किन्तु कीनिया सरकार ने इससे भी लज्जाजनक कार्य किया है। इसके बावजूद कि भारत हमेशा उसके साथ मित्रता का वर्ताव करता है, कीनिया ने हमारे साथ मित्रता का वर्ताव नहीं किया।

इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कीनिया में रहने वाले भारतीयों के साथ अन्याय हुआ है। कुछ लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिये स्वयं कीनिया में रहने वाले भारतीयों को दोषी ठहराया है और कहा है कि उन्होंने अफ्रीका की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने प्राप्त होने वाली केनिया की नागरिकता को अस्वीकार क्यों कर दिया? इससे यह स्पष्ट होता है कि वे भारत की अपेक्षा ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार करने के इच्छुक थे।

इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि कीनिया की नागरिकता प्राप्त करने के लिये उन्हें दो वर्ष का समय दिया गया था और उसके दौरान लगभग 1,80,000 लोगों में से केवल 20,000 लोगों ने ही कीनिया की नागरिकता के लिये आवेदन-पत्र दिये और केवल 4,000 व्यक्तियों ने भारत आने की इच्छा व्यक्त की।

सरकार हमेशा गलत विदेशी नीति का अनुसरण करती रही है। प्रत्येक ओर यही नजर आता है कि सरकार की विदेशी नीति बुरी तरह असफल रही है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होने की सम्भावना है।

अब प्रश्न यह है कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिये? केवल ब्रिटेन की निन्दा किये जाने से ही समस्या हल नहीं हो जायेगी। हमें मानवता के अधार पर इस स्थिति का अध्ययन करना चाहिये। ब्रिटेन ने उन्हें अपने यहां आने के स्वीकृति नहीं दी है। उन लोगों को भारत में आने की अनुमति दी जानी चाहिये।

इस सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया गया है कि कीनिया के भारतीयों का लगभग 400 करोड़ रुपये से लेकर 500 करोड़ रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में लन्दन और स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा है। उनके धन को भारत लाने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ और व्यवहारिकता का परिचय देना चाहिये। हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिये और उनकी आय के सम्बन्ध में पूछ-ताछ नहीं करनी चाहिये।

श्री गु० सि० ढिल्लों (तरनतारन) : कीनिया से भारतीयों का निकाला जाना एक गम्भीर मामला है। कीनिया सरकार का भारत सरकार के प्रति मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहा है किन्तु जब उन भारतीयों के सम्बन्ध में बातचीत करें तो हमें भिन्न तरीके से विचार करना होगा।

मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि कीनिया के नेताओं का भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण रवैया रहा है। उन्होंने यह शिकायत की है कि कीनिया स्थित भारतीय कीनिया को अपना देश स्वीकार करना पसन्द नहीं करते। भारत सरकार उनको हमेशा ही यह सलाह देती रही है कि उन्हें स्थिति के अनुसार अपने को बना लेना चाहिये। इसके विपरीत भी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है।

ब्रिटिश पारपत्र रखने वाले भारतीय नागरिकों के इस रवैये का कारण भय नहीं हैं बल्कि इसका कारण यह है कि वे कीनिया की नागरिकता से ब्रिटेन की नागरिकता को ज्यादा अच्छा समझते हैं और कीनिया की नागरिकता से भारत की नागरिकता अच्छी समझते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिटेन से हमारे सम्बन्ध इतने मैत्रीपूण होने के बावजूद भी ब्रिटेन सरकार ने ऐसी कार्यवाही की। जिस जल्दबाजी में यह विधेयक ब्रिटेन सरकार ने पास किया है उसकी देश में तथा अन्यत्र काफी आलोचना की गई है।

सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये थी। भारतीयों का यहां स्वागत है। परन्तु उन्होंने ब्रिटिश पारपत्रों को पसन्द किया हैं। उन्हें यहां आने की अनुमति देने के पहले ब्रिटिश सरकार से इस सम्बन्ध में आश्वासन ले लेना चाहिये।

पाकिस्तान से हुए संघर्ष के पश्चात् से ब्रिटेन भारत के साथ भेद-भाव कर रहा है। कीनिया राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिये हमें कोई उपाय निकालना चाहिये। इन सम्बन्धों के होते हुए भी हमारे प्रति इतनी शिष्टता का प्रयोग भी नहीं किया गया जबकि इसका सम्बन्ध सीधा हमारे हितों से है।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत राष्ट्रमण्डल के कुछ देश आते हैं। हम ऐसी स्थिति में पहुँच गये हैं जब कि हमें मानवता के आधार पर कोई निर्णय लेना है। भारत सरकार द्वारा कीनिया के भारतीय के प्रति अपनाया गया गलत रवैया ही इस दुखद स्थिति का कारण है। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार की इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं रही है और उसने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को कोई निदेश नहीं दिये।

जो भारतीय अपनी पवित्र भूमि को छोड़कर विदेशों में गये हैं उन्होंने ऐसा वहाँ के लोगों का खून चूसने के लिये नहीं किया। सरकार का यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। उन्हें बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में हम कीनिया सरकार पर दोष नहीं लगा सकते क्योंकि उसने 1963 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात नागरिकता स्वीकार करने के लिये दो वर्ष की अवधि दी और इसके लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये। यद्यपि तब से अब तक चार वर्ष व्यतीत

हो चुके हैं तथापि 1,30,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कीनिया की नागरिकता के लिये आवेदन पत्र नहीं दिये ।

मै उन लोगों की भावना से परिचित हूँ क्योंकि श्रीलंका से भारतीयों के निकाले जाने पर भी, वे भारत में आने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी थी कि भारत में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है । अत: उसी प्रकार यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कीनिया में ब्रिटिश पारपत्र प्राप्त भारतीयों ने कीनिया या भारत में रहने की अपेक्षा ब्रिटेन में रहना अधिक पसन्द किया ।

वे अपनी इच्छा से ब्रिटेन जाना चाहते थे । इस विधेयक को पारित किये जाने के जो कारण दिये हैं उन्हें जानकर मुझे दुख होता है ।

हमें इस समय राष्ट्रमण्डल के देशों के साथ सम्बन्ध तोड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इस समय तक ब्रिटिश सरकार ने यह दावा पूरी तरह नहीं छोड़ा है कि उसका इन लोगों के प्रति कोई नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है ।

भारत सरकार को इस सम्बन्ध में ब्रिटेन सरकार से बातचीत करनी चाहिये । कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है । अब वह 15,00 परिवारों के स्थान पर 15,000 परिवार रखने के लिये तैयार हैं । कीनिया में बसे एशियाई लोगों का इस दर से ब्रिटेन में बसना असम्भव है । ब्रिटिश सरकार को इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी है ।

भारत सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस मामले के सम्बन्ध में सब स्तरों पर यथासम्भव कार्यवाही करे ।

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargone) : It is a serious matter to send British Nationlists from Kenya. The Britishers had advised the people of Indian Origin in Kenya to take British Citizenship, because in that case their money may be deposited in the banks of England.

Britian has been following a policy of hatred towards Indians. They are always trying to harm our interests. They have got a favourable attitude towards Pakistan. We should quit Commonwealth.

We know the attitude of Britian in the matter of Kutch. We have to understand Britian and its policies. They try to create one trouble or the other in case we try to become strong.

Today Asians do not consider themselves safe in Britain. This feeling is being created throughout Europe. In my opinion we should naturalise British assets.

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : पिछले कुछ दिनों में देश को बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में हमारे सम्बन्ध कच्चातीबू द्वीप के मामले में श्रीलंका से बिगड़ गये थे। इस समय हमारे सामने ब्रिटेन की संसद् द्वारा पारित आप्रवास अधिनियम का विषय है। बहुत से सदस्यों ने सरकार को कुछ प्रतिकरात्मक उपाय, जैसे राष्ट्रमंडल को छोड़ देना तथा हमारे देश में ब्रिटेन की जो आस्तियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया है । परन्तु मेरे विचार से ऐसा किया जाना व्यवहारिक नहीं है। इस मामले पर कानूनी तौर पर विचार करना चाहिये और मेरा विचार है कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जाना चाहिये । यह प्रश्न मानवीय तथा नैतिक प्रश्न है । इन लोगों में से अधिकांश, जो कीनिया और ब्रिटेन में जम गये थे, ने कीनिया में विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है ।

हमें यह नहीं देखना है कि कौन गलती पर है अथवा कौन नहीं, बल्कि हमें तत्काल उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिये तथा इस अधिनियम के अवांछनीय पहलूओं को समाप्त किया जाना चाहिये।

ब्रिटेन के गृह-सचिव ने कहा है कि इस अधिनियम में उन लोगों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिन्हें ब्रिटेन में आने दिया जायेगा। अतः इंग्लैंड में प्रवेश के अधिकार से इन लोगों को वंचित रखने का कोई प्रश्न नहीं है। इस अधिनियम में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 1500 व्यक्तियों को ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति होगी परन्तु अधिनियम में संख्या 1500 तक ही सीमित नहीं रखी गई हैं। अतः इसमें बातचीत की गुंजाइश है। सरकार ने ब्रिटेन सरकार पर इस संख्या को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से जो नैतिक दबाब डाला है वह उचित है।

इन भारतीयों के, जो व्यापार और विभिन्न दस्तकारियों में दक्ष थे, कीनिया छोड़ने के परिणामस्वरूप वहां आर्थिक संकट उपस्थित हो गया है।

यह उचित समय हैं कि वैदेशिक-कार्य मंत्री 60,000 व्यक्तियों के इस प्रश्न को श्री जोमो केन्याटा के साथ उठाये जिससे उन व्यक्तियों को कीनिया में रहने के लिये, काम करने के परमिट दिये जा सकें। इसके साथ-साथ ही हमें ब्रिटिश सरकार से इन लोगों का कोटा बढ़ाने के प्रश्न पर भी बातचीत करनी चाहिये। यदि इस सम्बन्ध में व्यवहारिक प्रयास किया गया तो 60,000 व्यक्तियों की समस्या को हल करने में काठिनाई नहीं होगी।

ब्रिटेन की सम्पत्ति जब्त करने अथवा उसके राष्ट्रीयकरण करने जैसे प्रतिकरात्मक उपाय करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें इस बात को याद रखना चाहिये कि भारत में इस समय केवल एक सौ अंग्रेज हैं जब कि लाखों भारतीय ब्रिटेन में हैं। इस सम्बन्ध में जल्दबाजी में कदम उठाने से पहले उन लोगों के भविष्य के बारे में विचार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में सरकार को संसद् में विचार करना चाहिये।

[उपाध्याक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री हो॰ना॰ मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ किया हैं, वह मानव शिष्टाचार की उपेक्षा और पूर्व अफ्रीका में एशिया के लोगों को दिये गये वचनों के घोर उल्लंघन का एक उदाहरण है।

किसी समय ब्रिटिश नागरिकता को बहुत महत्व दिया जाता था परन्तु आज उसका कोई महत्व नहीं है। आज ब्रिटेन में 'कीप ब्रिटेन व्हाइट' का नारा जोर पकड़ रहा है। इसके लिये श्री विलसन और उनके समर्थकों की निन्दा की जानी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक में जो अब अधिनियम बन गया है जातीयता के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं है।

कीनिया के भारतीयों को भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कीनिया सरकार के प्रस्ताव से कोई लाभ नहीं उठाया और ब्रिटेन पर विश्वास

किया। केवल 10,000 व्यक्तियों ने कीनिया की नागरिकता को स्वीकार किया और बाकी लोगों ने ब्रिटेन पर विश्वास किया।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में हमने राष्ट्रपति केन्याटा से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया? सरकार के वक्तव्यों में कीनिया सरकार से कोई सम्पर्क स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

इस बारे में पाकिस्तान को भी हानि हुई है। यदि कीनिया के लोग भारत आते हैं तो मेरे विचार से उनका स्वागत किया जाना चाहिये, क्योंकि उन्होंने भारत सरकार की सलाह नहीं मानी जिसमें कहा गया था कि वे कीनिया की नागरिकता को स्वीकार करें और उसे अपना ही देश समझें।

हमें राष्ट्रमंडल छोड़ देना चाहिये। इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। हमें ब्रिटिश पूंजी पर लाभांश देना भी बन्द कर देना चाहिये तथा ब्रिटिश सम्पत्ति को जप्त कर लेना चाहिये। भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर भी कुछ प्रतिकरात्मक प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिये। वोल्वरहेमटन में सिख बस ड्राइवरों और कन्डक्टरों ने इस लिये प्रदर्शन किया है कि उनकी दाढ़ी और पगड़ी के कारण उन्हें सेवा मुक्त किया जा रहा है। वहां इस प्रकार की प्रवृत्ति जन्म ले चुकी है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कुछ न कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बढ़) : ब्रिटिश सरकार ने यह एक ऐसा कानून पास किया है जिसका उसे नैतिक अथवा कानूनी अधिकार नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां हमारी तरह सर्वोच्च न्यायालय नहीं है यदि ऐसा होता तो इस कानून को चुनौती दी जा सकती थी और इसे अवैध घोषित किया जाता। जब कोई व्यक्ति ब्रिटिश नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वह वहां का कानूनी तौर पर नागरिक हो जाता है। ब्रिटिश पारिपत्र प्राप्त करने के बाद एशियाई लोग एशिया या कीनिया के नागरिक नहीं रहे, वे ब्रिटेन के नागरिक बन गये। वे अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं। किसी भारतीय को यदि भारत की नागरिकता दी जाती है तो वह हर तरीके से अपने आपको भारतीय समझता है। यदि सब नागरिकों को प्राप्त अधिकारों से उसे वंचित रखा जाता है तो उसे बहुत दुःख होता हैं।

इस सम्बन्ध में श्री केन्याटा को भी दोषी नहीं ठहराती। इसके लिये भारत सरकार और हमारे उच्चायुक्त दोषी हैं। जब कीनिया में लोगों को बड़े पैमाने पर अफ्रीकी बनाया जा रहा था तो वहां के उच्चायुक्त ने हमें अन्धेरे में रखा। उन्हें भारत सरकार को इस बारे में सूचित करना चाहिये था। हमारी सरकार उस समय कुछ कार्यवाही कर सकती थी। हमें ब्रिटेन को बताना चाहिये था कि यदि भारत ने प्रतिकरात्मक रुख अपनाया तो यह उसके लिये बड़ी खतरनाक होगा। मेरी सलाह राष्ट्रमंडल को छोड़ने की नहीं है। राष्ट्र मंडल में हमें कई देशों के साथ निकट सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर मिलता है। राष्ट्रमंडल का त्याग कर हम अपने आपको

अकेला बना लेंगे। हमने राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन का प्रभुत्व स्वीकार कर गलती की है। हमारी ही इच्छा से ब्रिटेन की महारानी राष्ट्रमंडल का सभापतित्व कर रही हैं।

हमें इस मामले को मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाना चाहिये। अप्रैल में मानवाधिकारों के बारे में सम्मेलन तेहरान में होने वाला है। हमारी सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और मानवाधिकार आयोग के समक्ष अपना पक्ष विश्वासोत्पादक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिये। इस प्रकार विश्व की अन्तर्भावना जाग्रत करने की समर्थ होंगे। मैं चाहती हूँ कि इस प्रकार की लोक-राय बनाई जाये। मुझे विश्वास है कि हम तब सफल होंगे।

Shri Rabi Ray (Puri): Mr. Speaker, it is a matter of great satisfaction that the Commonwealth immigrants Act is being opposed not only in the Parliament of India, but also in great Britian itself. There is a strong feeling of resentment against this measure. The Archbishop of Canterbury, Dr. Ramsay, has strongly raised his voice against it because of the fact that Britain has passed this Bill on the basis of racial discremination. He said that racial discrimination was being formally embodied into the law of U. K. through this Bill. He further criticised it in the way that "this Bill creats a class of persons who are virtually stateless as they are made to have effective citizenship in no state". He is of the opinon that unless it is considerably modified it will do the greatest harm to the progress of community relations.

[श्री गु० सिं ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

Sir Dingle Foot has also criticized this legislative measure by saying that "the British Government is making a distinction between the European and the Asian Community in the new Bill ... It provides that those who have a father or grand father in Britian can come back. Thus it gives the right of free entry to all Europeans while this right has been refused to the Asians. He condemned it by terming it as " recial legislation".

It appears that the tendency of racial discrimination is increasing day by day in the world. The idea of socialism is becoming absolute. A day will soon come when the poor and rich of the so called whites and non-whites will come to blows. So veiwing such a siutations India should take initiative of convening a conference of not the heads of the States but of the public leaders of the African countries like Matrin King Luther and Jomo Kenyata to devise means of removing the evil of racial discrimination for the world.

In the end I would like to give three suggestions—we should immediately sever our relations with the Commonwealth, all British assets in India should be nationalized and the visa restrictions should be imposed on the entry of Britishers in India. If India takes stock of the situation in which the War between the whites and non-whites of world is likely to break out, then she will be at the position to lead in the matter of putting an end to the racial discrimination.

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह समस्या न केवल भारत या पाकिस्तान के सामने ही है बल्कि यह सम्पूर्ण विश्व के सामने है। इसलिए इस विषय पर हमें इस दृष्टिकोण के साथ विचार करना है कि यह समस्या उन सब देशों के सामने है, जहाँ-जहाँ एशिया या अफ्रीका के लोग बसे हुए हैं।

भारतीयों ने कीनिया की आर्थिक और राजनीतिक नींव को मजबूत बनाया है।

कीनिया को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के पंजे से मुक्त कराने के लिए भारतीयों ने आर्थिक, राजनैतिक तथा नैतिक सभी प्रकार की सहायता की थी। यह बड़ी विचित्र बात है कि आज उन्हीं भारतीयों को कीनिया से बाहर निकाला जा रहा है। केवल यह कहने से कि उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता के लिए इच्छा व्यक्त की थी, हम अपनी उस जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते जो जिम्मेदारी हमारी भारतमूलक लोगों के प्रति है, चाहे उन्होंने किसी भी देश की नागरिकता क्यों न अपना ली हो। हमें उन्हें अपनाना ही होगा।

राष्ट्रमंडल आप्रवासी विधेयक के बारे में ब्रिटेन के एक समाचार-पत्र, "न्यू स्टेट्समैन" ने लिखा है कि "यह अधिनियम नैतिक, राजनैतिक या संवैधानिक किसी भी आधार पर सम्भव नहीं है।" परन्तु इस प्रकार की आलोचना से उन भारत मूलक लोगों को क्या लाभ हुआ जिनके ब्रिटेन में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लग चुका है। इस विधेयक को पास करके हैरल्ड विल्सन हिटलर विल्सन बन गये हैं। हिटलर ने यहूदियों के मामले में बड़ा बवन्डर खड़ा किया था जबकि अब विल्सन ने भारतीय और एशियाई लोगों के मामले में बवन्डर खड़ा किया है। इस विधान से ब्रिटेन की विधि-पुस्तक पर एक अमिट कलंक अंकित हो गया है। यह मजदूर दल की सरकार पर अन्तिम प्रहार होगा। इस समस्या के समाधान के दो उपाय हैं—एक यह है कि प्रभावित लोगों द्वारा 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर सत्याग्रह किया जाए और दूसरा यह है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक सम्मेलन शीघ्र बुलाया जाये, जिसमें ऐसे उपाय खोजे जायें, जिनसे ब्रिटेन पर नैतिक दबाव डाला जा सके। साथ ही ब्रिटेन पर यह भी दबाव डाला जाये कि वह सब प्रभावित लोगों के 10 या 15 वर्ष की अवधि में अपनाने की बजाय एक ही बार में स्वीकार कर ले।

दक्षिण रोडेशिया शासन द्वारा अफ्रीकियों को फांसी पर चढ़ाये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE:EXECUTION OF AFRICANS BY SOUTH RHODESIAN GOVERNMENT

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा विदेश मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : मैं सभा का ध्यान अफ्रीका महाद्वीप के उस भाग में, जहाँ अब भी रंग भेद की नीति कायम है, हुई एक घटना की ओर दिलाती हूँ। दक्षिण रोडेशिया की सरकार ने जेम्स धनामिनी, विक्टर महलाम्बो तथा डुनी शाउरेक नामक तीन अफ्रीकियों को फांसी की सजा देकर घृणित और घोर अपराध किया है। रंग-भेद की नीति का अनुसरण करने वाली रोडेशिया की इस श्वेत सरकार के इस राक्षसी कार्य के प्रति हम अपना क्रोध और घृणा प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि सभा का प्रत्येक सदस्य इस बर्बरतापूर्ण कार्य की भर्त्सना करेगा और तीनों अफ्रीकी शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करेगा।

एक सदस्य : मेरा यह सुझाव है कि शहीदों के सम्मान में सभा एक मिनट के लिए मौन खड़ी हो।

श्रीमती इंदिरा गांधी : सभा की भावना को देखते हुए सभा को एक मिनट के लिए मौन खड़ा होना चाहिए।

सभापति महोदय : ठीक है।

(इसके पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिए मौन खड़े हुए।)

The Members then stood in silence for a short while)

यू० के० राष्ट्र मंडल आप्रवासो विधेयक पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव-(जारी)

MOTION RE: STATEMENT ON COMMONWEALTH IMMIGRANTS BILL OF U.K.—CONTD.

श्रीनाथ पाई (राजापुर) : श्री विल्सन ने इस विधान को पास करके उस सब अच्छाई को त्याग दिया है जो ब्रिटेन की परम्पराओं में विद्यमान थी। दुख तो इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने समाजवाद, भाई चारे और समानता के स्वप्न को संजोया था, उसी ने उस सपने को खंडित कर दिया है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति अपने युवक समाजवादी साथियों को जन्म, जाति या रंग के आधार पर भेद-भाव किए जाने के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दिया करता था, उसने ही ब्रिटेन की विधि-पुस्तक में एक ऐसा विधान जोड़ा है जो रंग पर आधारित भेद-भाव की नीति से परिपूर्ण है। यह ब्रिटेन की समाजवादी परम्पराओं पर कलंक है।

[**श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए।**
Shri S. M. Joshi in the Chair]

यह कहा जाता है कि "युद्ध का खतरा उस स्थिति में उत्पन्न होता है जबकि कोई राष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षाओं की वेदी पर मानव के मूल अधिकारों की बलि चढ़ा देता है। जिन लोगों को मूलाधिकारों से वंचित रखा जाता है, न केवल वे ही कष्ट उठाते हैं बल्कि इससे अन्य कई खतरे भी उत्पन्न हो जाते हैं। ब्रिटेन के इतिहास में श्री एटली का नाम साम्राज्यवाद के परिसमापन के लिए प्रसिद्ध है परन्तु इस विधान के कारण श्री विल्सन का नाम राष्ट्रमन्डल के विघटन के लिए प्रसिद्ध होगा। मुझे सखेद कहना पड़ता है कि ब्रिटेन के समाजवादियों, उदारवादियों तथा मानवाधिकारवादियों ने जिस अच्छी परम्परा की स्थापना की थी श्री विल्सन ने उसको ही तोड़ डाला।

ऐसी बात भी कही जा रही है कि भारत राष्ट्र मन्डल को छोड़ दे। मेरा इस बारे में यह विचार है कि सरकार इस प्रश्न का निर्णय लेने से पूर्ण गम्भीरता से सोचे, और इस सम्बन्ध में जल्दबाजी में कोई निर्णय न करे। राष्ट्र मन्डल तो कुछ विचारों और आदर्शों का प्रतीक है। परन्तु यह तो कहना ही पड़ेगा कि राष्ट्रमन्डल की हत्या उसके आलोचकों द्वारा नहीं अपितु उसके संरक्षकों द्वारा ही की जा रही है। साथ ही मैं सरकार को एक सुझाव यह भी देना चाहता हूँ कि सरकार इस प्रकार के प्रश्न पर एक दीर्घकालीन नीति अपनाये। इस समस्या का कामचलाऊ समाधान ढूँढने से गुजारा न होगा। क्योंकि आज यह समस्या कीनिया में रहने वाले भारत मूल के लोगों के सामने है।

कल यही समस्या तनजानिया या उगान्डा में रहने वाले भारत मूल के लोगों के सामने आ सकती है। इस मामले में ब्रिटेन का दरवाजा खटखटाने के अतिरिक्त हमें विदेशों में रहने वाले भारतमूलक लोगों को यह समझाना चाहिए कि वे जिन देशों में रहते हैं, अपने आप को उनके देशवासियों के साथ पूर्णतः मिला लें और उन्हीं देशों के बन जायें। साथ ही मैं भारत सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि ब्रिटेन की यह एक चाल है जिससे भारत ऐसे सब भारतमूलक लोगों को वापस ले ले। अतः सरकार को ब्रिटेन की इस चाल में नहीं फंसना चाहिए। परन्तु भारत सरकार ऐसे लोगों की हर सम्भव सहायता अवश्य करनी चाहिए। अन्त में मेरा यह अनुरोध है कि जब रंग भेद के नाम पर मनुष्यों पर यह अन्याय किया जा रहा है तो भारत को इसके विरुद्ध विश्व-मत बनाने का प्रयास करना चाहिए।

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : सभापति महोदय : आप्रवासी विधेयक ब्रिटेन के माथे पर कलंक है। इससे ब्रिटेन की समानता तथा उसके न्याय पर पानी फिर गया है। इस विधेयक के पास हो जाने पर श्री विलसन भी दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री तथा इयान स्मिथ की श्रेणी में आ जायेंगे। इस विधेयक को पास करके ब्रिटेन की समानता तथा न्याय की सभी परम्पराओं का उलंघन किया जा रहा है।

भारत सरकार पर प्रायः यह आक्षेप किया जाता है कि वह किसी भी काम के लिए एक सुनिश्चित योजना नहीं बनाती जिसके कारण वह संकटमय समय पर विफल हो जाती है। परन्तु इस मामले में भारत सरकार ने, जो कुछ वह कर सकती थी, किया है। सरकार ने हर सम्भव प्रयास किया है कि कीनिया में रहने वाले भारत मूल के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इस सम्बन्ध में सरकार ने ब्रिटेन तथा अन्य देशों की सरकारों से सम्पर्क स्थापित किया है ताकि आप्रवासियों की स्थिति और अधिक न बिगड़े। इस मामले में ब्रिटिश सरकार पर कलंक लगा है जबकि भारत सरकार अपना दायित्व निभाने में असफल नहीं रही है।

यह कहना कि भारतमूलक लोग जो कीनिया में रहते हैं, उनके प्रति हमें सहानुभुति नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कीनिया देश के लिए कुछ भी नहीं किया है, ठीक नहीं है। भारत सरकार के लिए इस प्रकार रुख अपनाना उचित न होगा। मानवीय दृष्टि-कोण के आधार पर ही हमें उनकी हर सम्भव सहायता करनी चाहिए। जहाँ तक भारत स्थित ब्रिटिश सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है या राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि यदि इस प्रकार की कार्यवाही करने से भारत को कोई लाभ होता है और आप्रवासियों की समस्या हल हो जाती है तो इस प्रकार के प्रतिकरात्मक कदम उठाये जाने चाहिये, अन्यथा नहीं। इनके अतिरिक्त मेरा यह सुझाव है कि स्वयं ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए प्रसन्न किया जाए कि ग्रेट ब्रिटेन आप्रवासियों को अधिक संख्या में अपनाए। साथ ही कीनिया सरकार को इस बात के लिए मना लेना चाहिए कि वह अपनी कार्यवाही पर पुनः विचार करे। यदि हमने इस दिशा में कोई प्रयास किया तो कुछ हद तक अवश्य ही सफलता मिलेगी।

इस देश में आने वाले लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए और उनके हितों की देखभाल करने के लिए इस सभा की एक समिति बनाई जानी चाहिए।

श्री अनिरुद्धन (चिरयिन्कील) : ब्रिटेन सरकार द्वारा पारित किये गए आप्रवासी विधेयक के फलस्वरूप कीनिया में रहने वाले लगभग 1,20,000 से 130,000 एशियाइयों को, जिनमें भारी संख्या भारतीयों की हैं, कीनिया से निकाले जाने पर उन्हें ब्रिटेन में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। वे ब्रिटेन के लोग ही थे जिन्होंने इन लोगों को ब्रिटेन की नागरिकता प्रदान की थी और ब्रिटिश राज्यक्षेत्रों में आने की अनुमति भी दी थी क्योंकि इन लोगों ने ब्रिटेन के लोगों की एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सहायता की थी। इस अधिनियम को लागू करके ब्रिटेन की सरकार ने काले और गोरे वर्ण के आधार पर लोगों में भेद किया है क्योंकि गैर-एशियाई लोगों पर इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के समय, कच्छ के मामले में और अब इस मामले में ब्रिटेन की सरकार द्वारा अपनाये गए रवैए को ध्यान में रखते हुए हमें राष्ट्रमण्डल से अलग होने के बारे में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। राष्ट्रमन्डल में हमारे बने रहने का केवल ब्रिटेन को ही लाभ है क्योंकि यह उनके गौरव और सम्मान का प्रतीक है।

सरकार को इस मामले पर सीधे कीनिया सरकार से बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का कोई न कोई हल ढूँढने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने प्रयत्नों में असफल रहने की सूरत में हमें इन लोगों को अपने ही देश में बसाने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

आसाम और केरल में ब्रिटेन के लोगों के जो बागान हैं उन्हें अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए और वहाँ पर कीनिया से आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन बागानों के अलावा ब्रिटेन के बैंकों तथा इंजिनियरी उद्योगों के प्रबन्ध को भी अपने हाथ में ले लिया जाना चाहिए। सरकार को ब्रिटेन से लिए गए ऋण को लौटाना बन्द कर देना चाहिए।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब किसी मामले पर समूचे राष्ट्र की समान राय होती है। इनमें से यह भी एक अवसर है जब सभी वर्गों के सदस्यों ने ब्रिटेन में पारित किए गए आप्रवासी अधिनियम के प्रति अपना रोष व्यक्ति करने हेतु एक जैसी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। इस अधिनियम से राष्ट्रीयता के हमारे उन मूल सिद्धांतों का गला घोंटा गया है जिनके आधार पर हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने न केवल अपने राष्ट्र का परन्तु वर्तमान विश्व का नवनिर्माण किया है। जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर लोगों में भेद न करना ही हमारे राष्ट्र की नींव है जिसको हिलाने का प्रयत्न किया गया है।

ब्रिटेन के नेताओं ने कहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिये किया है कि कीनिया से भारतमूलक लोगों के ब्रिटेन में आ जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सामाजिक तथा

आर्थिक असंतुलन से बचा जा सके। आशा है इससे कोई आश्वस्त नहीं होगा और तो और उनके अपने नेताओं संसद-सदस्यों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने इस विधेयक की निन्दा की है। स्पष्ट है कि इससे ब्रिटेन के लोगों की आत्मा को भी ठेस पहुँची है। इसके अलावा इससे ब्रिटेन में विधि-प्रशासन को भी धक्का लगा है जिस पर राष्ट्रमण्डल की संकल्पना आधारित है। यदि ब्रिटेन सरकार ने इन सभी बातों पर विचार किया होता तो उसने ऐसा कदम न उठाया होता। समझ में नही आता कि इस कानून को बनाने के क्या बाध्यकारी कारण थे ?

इन लोगों के बारे में हमारी नीति आरम्भ से ही बिलकुल स्पष्ट रही है। उन्हें सलाह दी गई थी कि उन्हें उस देश की राष्ट्रीयता स्वीकार कर लेनी चाहिये जिसमें वे रह रहे हैं। उन्हें ब्रिटेन की राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिये कभी नहीं कहा गया था। परन्तु ये ब्रिटेन के नेता ही थे जिन्होंने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी थी। ये ब्रिटेन के लोग ही हैं और इनके लिये ब्रिटेन सरकार ही जिम्मेवार है। परन्तु खेद है कि अब उन्हें वहां प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। कुछ सदस्यों ने इसे एक नागरिक के मूलभूत अधिकारों पर धावा की संज्ञा दी है। वास्तव में यह एक मूलभूत मानव अधिकारों का मामला है। सुझाव दिया गया है कि यह मामला मानव अधिकार आयोग में उठाया जाना चाहिये। इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। यह केवल कीनिया में रहने वाले 50 लाख भारतीयों का ही मामला नहीं है परन्तु यह वेस्ट इन्डीज, पूर्वी अफ्रीका तथा अन्य स्थानों पर रह रहे भारतीयों का भी है। अतः हमें इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात ऐसी नीति बनानी चाहिये जिससे इस समस्या का कारगर ढंग से सामना किया जा सके। हमें इन लोगों के साथ पूरी सहानुभूति है और हम उनके दुख में उनके साथ हैं। परन्तु ये ब्रिटेन की सरकार की जिम्मेवारी हैं और हमारी नीति का उद्देश्य भी यही होगा कि ब्रिटेन की सरकार अपनी इस जिम्मेवारी को समझे।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि उन्हें भारत में आने दिया जाना चाहिये। उन्हें यहां पर बसाया जा सकता है और यह कोई समस्या नही है। यह ठीक है परन्तु उन्हे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि ब्रिटेन एक अत्यधिक विकसित देश है और उन लोगों को, जिनमें व्यापारी तकनीशियन, स्टेनोग्राफर, डाक्टर तथा अन्य लोग शामिल हैं, वहां पर अधिक अच्छी तरह से बसाया जा सकता हैं। ये लोग उन पर इतना अधिक बोझ भी नहीं डालेंगे कि जिसको ब्रिटेन में सहन न किया जा सके इसके अलावा इनको बसाना ब्रिटेन सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। इन लोगों को बसाया जाना इनकी संख्या पर नहीं अपितु किसी देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

समस्या पर अच्छी तरह से विचार करने के पश्चात हमने कीनिया में सामान्य रूप से रह रहे उन लोगों के लिये, जिनके पास ब्रिटेन के तथा उसकी बस्तियों के पारपत्र हैं, एक अधिसूचना द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि उन्हें भारत में प्रवेश करने के लिये विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों से अपने पारपत्रों पर स्वीकृति ले लेनी चाहिये। यह अधिसूचना अभी केवल कीनिया में रहने वाले उन लोगों पर लागू की गई है जिनके

पास ब्रिटेन के पारपत्र हैं। परन्तु यदि अन्य देशों के सम्बन्ध में भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई तो इस अधिसूचना को उन देशों के बारे में लागू कर दिया जायेगा।

ब्रिटेन के गृह सचिव, श्री कल्लाघन ने कहा है कि यदि उन लोगों को कीनिया से निकाल दिया गया तो उन्हें ब्रिटेन में बसाना नही पड़ेगा। जब नई दिल्ली स्थित ब्रिटेन के उच्चायुक्त से इस वक्तव्य पर प्रकाश डालने पर कहा गया तो उन्होंने बताया कि यह वचन संसद को दिया गया है और ब्रिटेन की सरकार इसे पूरा करेगी। यद्यपि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है तथापि आशा की जाती है कि ब्रिटेन की सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझेगी और यदि ये लोग वहां जाते हैं तो इन्हे वहां पर प्रवेश करने दिया जायेगा।

ब्रिटेन की सरकार ने एक बार यह सुझाव भी दिया था कि वह 1500 परिवारों को ब्रिटेन में आने देगी। हमारा सुझाव यह था कि वे 1500 की बजाय 15,000 लोगों को ब्रिटेन में प्रवेश करने दे ताकि 15 अथवा 20 वर्षों की बजाय 2 अथवा 3 वर्षों में सारे के सारे लोग ब्रिटेन में बस जायँ। हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं और उनका कहना है कि अधिनियम में संख्या के बारे में कोई सीमा निश्चित नहीं की गई हैं अतः इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हमें कीनिया सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहिये कि इन लोगों के साथ, जो वहां पर रह रहे हैं और जिन्होंने वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने में योग दिया है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये। हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। कीनिया सरकार से बातचीत करने के लिये प्रधान मंत्री ने मुझे वहां जाने के लिये कहा है। यदि कीनिया सरकार वहां से गैर-अफ्रीकियों को निकालने की अपनी नीति को धीरे-धीरे क्रियान्वित करना आरम्भ कर देती है तो इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है।

राष्ट्रमण्डल छोड़ने का जो प्रश्न उठाया गया है इस बारे में यह बताना आवश्यक है कि जब हम इसमें शामिल हुए थे उस समय हमने सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से विचार कर लिया था। राष्ट्रमण्डल जातीय समानता के मूल सिद्धान्त पर आधारित है। इस में 21 सदस्य हैं जिनकी जाति, धर्म और वर्ण अलग-अलग हैं। दक्षिण अफ्रीका को इस में से जातीय समानता के प्रश्न पर ही निकाला गया था। राष्ट्रमण्डल को छोड़ने की बजाय हमें यह मामला अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ उठाना चाहिये और यदि वे सहमत हो जाते हैं तो ब्रिटेन को ही राष्ट्रमण्डल से निकाला जा सकता है।

कीनिया में रहने वाले भारतीयों ने वहां की राष्ट्रीयता प्राप्त करने के लिये आवेदन किया हैं और ऐसे 10,000 आवेदन-पत्र कीनिया सरकार के विचाराधीन हैं। हम इस बारे में कीनिया सरकार से लिखा-पढ़ी कर रहे हैं।

कीनिया सरकार के उपराष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह उन मामलों पर विचार कर रहे है और शीघ्र ही निर्णय करेंगे। वहाँ पर अभी भी 80,000 से 1,00,000 लोग हैं। हम स्वयं दीर्घ कालीन नीति पर विचार कर रहे है। अब हमें नई परिस्थिति

की ध्यान में रखकर विचार करना होगा। हमें इससे सम्बद्ध सभी पहलुओं पर विचार करना होगा।

श्री स्वैल (स्वायतशासी जिले) : इस समय भी लगभग 600 व्यक्ति जहाज से भारत आ रहे हैं। उनके बारे में क्या नीति है?

श्री ब० रा० भगत : उन्हें यहाँ आने की आज्ञा दी जायेगी।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I welcome his decision of proceeding to Kenya. I want to say that now it pertains to Kenya. Next time there can be other countries also. Our High Commission and Government have done nothing in the past. These applications were before them for four years.

Indians are facing hardships there and our High Commission is doing nothing. I request the Government to be vigilant so that problems like this do not crop up again. I hope my resolution would be carried unanimously.

सभापति महोदय : पहले में संशोधन मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रमंडल आप्रवासी विधेयक (कामनवैल्थ इम्मीग्रेन्ट्स बिल) के बारे मे वैदेशिक-कार्य उपमंत्री द्वारा 29 फरवरी, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करती है और भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह उपयुक्त प्रतिरोधी उपाय करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

---

*नोवस्ती के साथ समझौता

*AGREEMENT WITH 'NOVOSTI'

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : रूस सरकार द्वारा भारत के सामाजिक और राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेत बहुत बढ़ गया है और अब तो यह चरम सीमा तक पहुंच गया है। रूस का गुप्तचर, समाचार-पत्र और रेडियो ने मिल कर इस देश की आन्तरिक गतिविधियों पर प्रचार आरंभ कर दिया है। इस बारे में के० जी० बी० गुप्तचर एजेन्सी, 'रेडियो पीस' और नोवस्ती समाचार एजेन्सी कार्य कर रहे हैं। पिछले आम चुनावों से पूर्व यह कार्य आरंभ किया गया था। इस बारे में भारत सरकार की नीति अस्पष्ट है।

के० जी० बी० एजेन्सी हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। गृह-कार्य मंत्रालय ने इस बारे में जांच की है। पिछले चुनावों लगभग में 129 उम्मीदवारों

*आधे घंटे की चर्चा

*Half an Hour discussion

की उन्होंने सहायता की थी और रूस ने लगभग एक करोड़ रुपया व्यय किया। ऐसा होते हुए भी सरकार ने कोई कारगर कार्यवाही नहीं की है।

इसी प्रकार रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस भी रूस ने हाल ही में चालू किया है। इसे एक स्वतन्त्र संगठन का नाम भी दिया गया था परन्तु वास्तव में यह रूस सरकार के अधीन है। पिछले चुनावों में उन्होंने खुले तौर पर कई राजनैतिक दलों का विरोध किया। उन्होंने कृष्ण मेनन के समर्थन में बहुत कुछ कहा। हमें पता चला है कि सरकार ने ऐसा प्रचार समाप्त कराने की कोशिश भी की परन्तु इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह प्रचार चला रहा है।

इस बारे में श्री के० के० शाह ने सभा को एक प्रकार से गुमराह भी किया है। उन्होंने 21 फरवरी, 1968 को तारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर में और 6 मार्च, 1968 को प्रश्न संख्या 457 के उत्तर मे कहा था कि जबसे हमने रूस सरकार का ध्यान इधर दिलाया है ये प्रसारण बन्द हो गये हैं। परन्तु अब फिर आगामी मध्यावधि चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रसारण आरंभ हो गये हैं। इस बारे में आज के समाचार पत्रों में रिपोर्ट छपी हैं। भारत की कई राजनैतिक पार्टियों के विरूद्ध फिर प्रचार आरंभ हो गया हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर विचार करे। क्या आकाशवाणी से किसी रूसी नेता के विरूद्ध बात की जा सकती है? क्या वे इसे सहन करेंगे? कई अन्य देशों में भी इस प्रकार के रूसी प्रसारण सुने गये हैं। हमारे वहां के दूतावासों को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये।

यह तथ्य समूचे विश्व को मालूम हैं कि रेडियो "पीस एण्ड प्रोग्रेस" और "नोवस्ती" रूसी सरकार के चलाये हुए है परन्तु भारत सरकार अभी भी कहती है कि यह रूस सरकार के नहीं हैं। कांगों की सरकार, कीनिया की सरकार, कोलम्बिया की सरकार और घाना की सरकार ने 'नोवस्ती' के प्रतिनिधियों को अपने देश से निकाल दिया था। इन सभी देशों में हमारे दूतावास हैं; क्या वहां से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं की गई थी। हाल ही में नैरोबी से भी इसके प्रतिनिधि को चले जाने को कहा गया है। परन्तु 21 फरवरी को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि सरकार को ऐसी जानकारी नहीं हैं। यह सभी तथ्य विदेशी समाचारपत्रों मे भी प्रकाशित हो चुके हैं। इससे हमारी सरकार तथा हमारे अन्य देशों में हमारे दूतावासों की दक्षता का पता चलता हैं।

खेद की बात तो यह हैं कि नोवास्ती के साथ हमारी सरकार ने समाचार-पत्र सूचना विभाग लेखों और चित्रों आदि के आदान-प्रदान के लिये समझौता किया है और हमारी सरकार दावा करती है कि यह भारत के हित में है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रूस में समाचार-पत्र सरकारी नियन्त्रण में है परन्तु हमारे देश में यह स्वतन्त्र हैं। 'नोवस्ती' अन्य देशों में तोड़फोड़ का कार्य करती रही है। अब इसने भारत के साथ समझौता किया है। क्या इसे यहां पर भी अपना कार्य करने की आज्ञा दी जायेगी? फिर हमें यह नहीं बताया गया हैं 'नोवस्ती' से हमारी सरकार को क्या सहायता मिलेगी।

यह समझौता श्री भारद्वाज ने मास्को जा कर किया है। इसकी जानकारी मंत्री महोदय को भी नहीं थी। क्या इस प्रकार यह उचित है? हमें वॉयस आफ अमरीका

से हुए समझौते से सबक सीखना चाहिये था। उस समय मंत्रालय के सचिव को बदल दिया गया था। अब इस समझौते को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये और सम्बन्धित अधिकारी और मंत्री को बदल दिया जाना चाहिये। हमें विदेशी कम्पनियों के साथ इस प्रकार के समझौते नहीं करने चाहिये और विदेशियों को हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं होनी चाहिये। हमें अपने राष्ट्रीय सम्मान का ध्यान रहना चाहिये। मेरी मांग है कि इस समझौते के बारे में पूरी-पूरी जांच होनी चाहिये।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, the hon. Member has quoted from answers of the Hon. Minister of Information and Broadcasting. We know as to how an agreement with 'Voice of America' was revoked by Shri Nehru. If that agreement was bad, this one is equally so.

Both U. S. A. and Russia are not in favour of India becoming a great country. They are spending large sums though C. I. A. and K.G. B. and other similar agencies. I want to know whether Government will enter into an agreement with other countries' agencies ?

We cannot tolerate Moscow Radio's criticism of Sri Balraj Madhok. The Minister should scrap this agreement with 'Novosti' : It is an invitation to Russia to interfere in our internal affairs. It should be scrapped forthwith.

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : इस देश के बाहर किसी व्यक्ति को हमारे लोगों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का समर्थन करता हूँ। समाचार-पत्र सूचना विभाग (पी० आई० बी०) बहुत से देशों के सूचना विभागों से जानकारी का आदान-प्रदान करता है। यह समझौता नवम्बर से लागू हुआ सरकार का समाचार-पत्र सूचना विभाग वितरण के लिये नहीं बनाया गया है। हमने अभी तक इस समझौते के अन्तर्गत किसी प्रकार की सामग्री नहीं बांटी है। सभी दूतावास समाचार-पत्रों को प्रेस नोट भेजते हैं। यह भी उसी प्रकार की बात है। विदेशों के दूतावास हमें जानकारी भेजते हैं और हम उसे पुस्तकालय में रख लेते हैं। फिर दुनिया के बड़े-बड़े समाचार-पत्रों के अन्य देशों के पत्रों के साथ जानकारी के आदान-प्रदान के लिये समझौते होते हैं।

मैंने पहले भी कहा है कि हम किसी भी सामग्री का परिचालन नहीं कर रहे हैं। परन्तु इसके बावजूद भी मुझ पर यही आरोप लगाया जाता है कि हम रूस की सामग्री का परिचालन कर रहे हैं। मैंने सभा में यह बात स्पष्ट कर दी हैं कि किसी भी ऐसी सामग्री का परिचालन नहीं किया गया है।

हम रेडियो 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' को स्वायत्त संगठन मानकर रूस की सरकार से विरोध प्रगट नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य भी इस बात से मेरे साथ सहमत हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रूस के संविधान के अनुच्छेद 126 में यह स्पष्ट रूप से दिया है कि सभी सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों में दल ही महत्वपूर्ण है। इसी धारणा को ले कर हमने 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' रेडियो द्वारा किये जा रहे प्रचार के सम्बन्ध में रूस सरकार से विरोध प्रगट किया है।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमें रूस के साथ अपने समूचे सम्बन्धों को ध्यान में रखना है। यदि एक अथवा दो बातों पर वह हमारे साथ सहमत नहीं है तो भी

हमें उनको राज़ी करने की नीति को जारी रखना है। हमने इस प्रश्न को रूस की सरकार के साथ उठाया था और कुछ दिनों के लिए यह प्रचार बन्द भी हो गया था।

'नोवस्ती' की जासूसी की गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया है। यह भी कहा गया है कि 'नोवस्तो' के प्रतिनिधियों को कीनिया से निकाल दिया गया है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए समाचारों को मैंने भी पढ़ा है परन्तु मेरे लिए उनकी पुष्टि करना तथा उनका प्रतिवाद करना सम्भव नहीं है।

मेरे माननीय मित्र श्री रविराय ने पूछा है कि क्या हम अन्य देशों के साथ भी ऐसे करार करने के लिए तैयार हैं मैंने सभा में यह कहा था कि हम विश्व के किसी भी अन्य देश के साथ इस प्रकार का करार करने को तैयार हैं। परन्तु कोई देश भारत के साथ इस प्रकार का करार के लिए आगे नहीं आया। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि यह करार भारतीय हित में अधिक है। अतः श्री भारद्वाज इस के लिए बधाई के पात्र हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह आरोप लगाया गया है कि उनको रूस सरकार द्वारा भुगतान किया गया है। मंत्री महोदय को अधिकारी की ओर से इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए।

श्री के० के० शाह : सम्बन्धित अधिकारी बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हैं। वह चतुर भी हैं। उन्होंने 80 लोगों के साथ इस प्रकार के करार किये हैं। परन्तु रूस के साथ यह लिखित रूप में किया गया है जबकि अन्य लोगों के साथ केवल आपसी सूझ-बूझ ही है।

जहाँ तक हमारी सामग्री का सम्बन्ध है मुझे बताया गया है कि कुछ सामग्री समाचार-पत्रों में दी गई है। मैं वे प्रकाशन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार, 7 मार्च, 1968/17 फाल्गुन, 1889 शक के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday 7th March, 1968/17 Phalguna, 1889 (Saka).

Printed by Job Printer, 119, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.